खण्ड-256, अंक-6
सोमवार, 15 चैत्र, शक संवत् 1887
(5 अप्रैल, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 256 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५६५–५६९
प्रश्नोत्तर	५६९–६०३
प्रश्नों में अंग्रेजी वाक्यांश लिखने पर आपत्ति	६०३
उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	६०४
वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति (मेज पर रखी गयी)	६०४
प्रदेश के विभिन्न जिलों में उपलवृष्टि के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	६०४
लखनऊ में दूध के अभाव के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	६०५–६०९
उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५ विधान परिषद् द्वारा पारित (प्रस्ताव पर कि विधेयक पर विचार किया जाय–विचार जारी) ..	६१०–६५८
नत्थियां	६५९–६६५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ५ अप्रैल, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---३७१

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री

गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डे राय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्मेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री

पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भोखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीर प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल , आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रघुपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री

रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामआनन्त पांडेय, श्री
रामआवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजर्यासिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतल प्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री

श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ५ अप्रैल, १९६५

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

बलरामपुर तथा उतरौला तहसील में धान के बीज का दाम वसूल करने पर आपत्ति

*१—श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५१–५२ में बीज भण्डार, बलरामपुर एवं उतरौला तहसीलों के कुंआरी धान को अगहनी के समय गलती से बांट देने से पैदावार न होने पर बीज माफ कर दिया गया था परन्तु १३/१४ वर्ष के बाद उसका अभी हाल में सूद दरसूद लगाकर वसूली की नोटिस दी जा रही है? जिस पर हजारों किसानों ने दिनांक ११ मार्च, १९६५ को परगनाधीश, बलरामपुर की कचहरी पर प्रदर्शन करके स्मृति-पत्र भेंट किया? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या मांगें हैं और कितने किसान पीड़ित हैं तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

कुंआरी धान को अगहनी के समय नहीं बांटा गया और न शासन ने वसूली माफ करने के कोई आदेश ही जारी किये। इस कारण प्रत्येक बकायादार से वसूली की कार्यवाही हो रही है।

[श्री बलदेवसिंह आर्य]

स्मृति-पत्र में यह मांग की गई थी कि चाइना फोर बीज बोने से धान की फसल को जो क्षति १९५१-५२ में पहुंची थी उसकी जांच की जाय व जांच के दौरान वसूली स्थगित रखी जाय। चूंकि यह मालूम है कि फसल को क्षति बीज के खराब होने की वजह से नहीं किन्तु "गंधी" नामक बीमारी से हुई थी इसलिए और जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

स्मृति-पत्र पर केवल २४ हस्ताक्षर हैं जब कि ८५२ काश्तकारों ने बीज लिया था।

श्री सुखदेवप्रसाद---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह धान जिसका जिक्र किया गया है, यह असाढ़ में बोया गया और जब बियाड़ बैठाने का समय आया तब बियाड़ में बाली आ गई थी । तो मैं जानना चाहता हूं कि यह लेट पैडी कही जायगी या अर्ली पैडी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री सुखदेवप्रसाद---

श्रीमन्, इससे गोंडा, बस्ती तथा कई जिलों में किसानों को काफी क्षति हुई है और ५१-५२ में यह धान चाइना फोर स्पेशल क्वालिटी का कहकर इसलिए दिया गया था कि इससे दुगुनी पैदावार होगी। अब यह कहा जा रहा है कि गंधी लगने से पैदावार खराब हो गई जब कि मेरा कहना है कि यह बीमारी बिलकुल नहीं लगी । यह धान समय पर बोया गया था, लेकिन चूंकि बाली आ गई थी, इसलिए लोगों ने खेतों में बियाड़ नहीं लगाई । इसलिए जो किसानों को क्षति हुई है, सरकार को उसके लिए किसानों को मुआवजा देना चाहिए था ।

श्री अध्यक्ष---

यह तो आप बहस कर रहे हैं ।

श्री सुखदेवप्रसाद---

जब प्रोनोट लिखा जाता है, तो तीन साल की मियाद होती है, लेकिन अब तक १२-१३ साल हो गए हैं और सरकार ने इसकी वसूली कभी नहीं की, तो आज सूद दरसूद लगाकर के वसूली क्यों की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष---

इतनी देर क्यों हुई। यही माननीय सदस्य जानना चाहते हैं ।

श्री बलदेवसिंह आर्य---

चायना फोर नहीं बांटा गया था।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि वसूली में इतनी देर क्यों हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

चायना टी०ए०टी० ३ किस्म का बीज दिया गया था। धान में जो गंधी लग गई, उसकी रिपोर्ट निदेशक कृषि विभाग को जब मिली, उन्होंने एक फसल के लिए उसकी वसूली स्थगित कर दी थी, और राजस्व विभाग के अधिकारियों से सूचना पाने पर यह कह दिया गया था कि अगर किसी को पूरा नुकसान हुआ हो, तो उसके प्रश्न पर विचार किया जायगा और उसे छूट दी जायगी। लेकिन चूंकि सूचना यह मिली है कि पूरा नुकसान नहीं हुआ, खेतों में कहीं-कहीं बीमारी लगी है, जिससे मामूली क्षति पहुंची है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि बस्ती में भी इसी प्रकार जड़हन की जगह पर गलत धान बांटा गया और जब सरकार को खबर मिली तो यहां से आदेश दिये गये थे कि बीज की वसूली की छूट दे दी जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इसकी सूचना नहीं है, यह प्रश्न बलरामपुर के बारे में है ।

श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या मन्त्री जी बताएंगे कि किसानों को भारी मात्रा में क्षति हुई है और मेरी जानकारी है कि हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। तो क्या मेरी सूचना के आधार पर जो बीज बीज-भंडार से दिया गया था, उसकी अगर वसूली ही करें, तो उतना जितना बीज दिया था, उसके दाम उसी भाव से लें जो १९५१-५२ में थे या जितना धान दिया गया था, उतना धान किसानों से वसूल करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह विवादास्पद प्रश्न है । आप कहते हैं बहुत क्षति पहुंची है....

श्री अध्यक्ष—

मैं उसे एलाऊ नहीं कर रहा हूं; प्रश्न सिर्फ इतना है कि जो आप वसूली कर रहे हैं रुपये की शक्ल में, वह उसी भाव से लीजिए, जो भाव बीज देते समय था या उतना धान ले लें।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उस समय बांड में जो कुछ लिखा गया होगा, उसी के मुताबिक वसूली होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या मन्त्री जी बताएंगे कि जब बीज १९५१-५२ में दिया गया था, तो १४ वर्ष तक इसको वसूल नहीं किया गया, इसका क्या कारण है ? और जो अफसर इसके लिए नियुक्त थे, उन्होंने जो इतनी ढिलाई की है, जिससे किसानों को सूद दर सूद देना पड़ रहा है, उस सम्बन्ध में उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह शिकायत केवल २४ किसानों की है, जब कि ८५२ लोगों को बीज दिया गया था, जिससे मालूम होता है कि बाकी लोगों से वसूल हो रहा है ।

श्री बब्बनसिंह (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, मेरा यह कहना है कि हम भी वहीं के रहने वाले हैं, अतः मेरी सूचना को सही मानकर क्या मन्त्री जी बताएंगे कि डेढ़ई धान करके दिया गया था, जब कि वह सहन था, और जब बोया गया तो वह बियाड़ के खेत ही में फूट गया। उस समय के जिलाधीश ने जब यह देखा कि यह डेढ़ई धान नहीं है, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस बारे में सरकार को लिखेंगे, कि वह छूट दे दे । तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या हुआ ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मैं उत्तर दे चुका हूं कि कौन-सा धान सरकार की ओर से बांटा गया था ।

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना है कि उसी समय वहां के जिलाधीश के ध्यान में यह बात लायी गयी और उन्होंने इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया था। तो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि यह बात सही है या नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इसकी सूचना नहीं है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, ५१–५२ का यह बकाया है, तो क्या मन्त्री जी बताएंगे कि जब वह धान अच्छा था, तो १९५२ से १९६२ तक कोई तकाजा क्यों नहीं किया और उनके खिलाफ कोई वारन्ट क्यों नहीं निकाला, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई ? अगर यह माफ नहीं किया तो इससे साबित होता है.....

श्री अध्यक्ष—

आप तो बहस कर रहे हैं।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

वसूली की कार्यवाही बराबर जारी है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

माननीय मन्त्री जी ने माननीय सुखदेव प्रसाद के पूरक प्रश्न में बताया कि उस समय बांड जैसा रहा होगा, उसी के अनुसार वसूली होगी। लेकिन किसानों की परेशानी और गलत धान को देखते हुए क्या मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे कि उस समय के बांड में सुधार किया जाय और किसानों को कुछ सहूलियत दी जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह तो बहुत पहले की बात है, अब क्या सुधार होगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, आपको याद होगा कि माननीय भानु प्रताप सिंह और हमने मिलकर सवाल किया था कि यह केस आश्वासन समिति के सामने है, वह कृषि विभाग से खत्म हो गया, श्री भगवान सिंह भी बुलाए गए थे जब वह सहकारी विभाग में थे और कुछ गांवों का ३५ रुपया माफ भी हुआ था, लगान भी माफ हुआ था तो क्या मन्त्री जी पुनः जांच करायेंगे कि इन किसानों का बीज का पैसा और लगान माफ किया गया इसी तरह से इसकी भी जांच करा के माफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

वसूली की कार्यवाही हो रही है, जांच का सवाल नहीं उठता।

श्री सुखदेवप्रसाद—

जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा उस दिन आपने कहा था कि यह जांच आश्वासन समिति के विचाराधीन है इसलिए नियम ५२ स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या मन्त्री जी फिर से जांच करा के उचित कार्यवाही करेंगे और लगान व बीज के दामों की माफी करायेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता।

श्री उमाशंकर---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् ५२ से ५७ के बीच गवर्नमेंट की तरफ से इस सदन में कोई एलान किया गया था कि यह धन माफ किया जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

ऐसा कोई एलान सरकार की ओर से नहीं हुआ है।

श्री ऊदल---

अध्यक्ष महोदय, मैं नोटिस दे रहा हूं कि मैं मन्त्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न लाऊंगा।

श्री अध्यक्ष---

विशेषाधिकार का सवाल नहीं है, नियम ५० में दीजिए, उसमें बहस हो जायगी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

धान की उपज

*१---श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त में इस वर्ष धान की फसल कितने एकड़ भूमि में जिलावार बोई गई तथा कुल कितनी उपज धान की हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

वांछित आंकड़े अब भी अन्तिम तौर पर उपलब्ध नहीं हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

अभी तक यह आंकड़े नहीं आये हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जब यह आंकड़े प्राप्त हो जायं तब क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि जितनी उपज हुई उसके आधार पर ६० प्रतिशत लेवी आई भी है या नहीं ? और यदि नहीं आई तो उसके कारण क्या हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

आंकड़ जब सामने हों तब देख कर ही कहा जा सकता है कि क्या कार्यवाही हो सकती है।

बदायूं में लोटनपुरा से पशुवधशाला हटाने की मांग

*२---कुंवर रुकुमसिंह राठौर (जिला बदायूं)---

क्या सरकार को पता है कि बदायूं चुंगी के मुहल्ला लोटनपुरा के बीच स्थित पशुवधशाला को जिससे उस मुहल्ले तथा अड़ोस-पड़ोस के मुहल्लों पर गिद्ध बैठ-बैठ कर छतों को खराब करते हैं और नालियों में उस पशुवधशाला के काटते हुए पशुओं का खून भी बहता है, बन्द कराने के आदेश जारी करने की कृपा करेगी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)---

नगरपालिका बदायूं ने सूचित किया है कि मौजूदा पशुवधशाला के आस-पास कोई गन्दगी नहीं रहती है और उसका संचालन नगरपालिका द्वारा बनाए गए उपनियमों के अनुसार होता है। वर्तमान पशुबधशाला हटाने के लिए नगरपालिका ने शासन से ग्रान्ट की प्रार्थना की है।

कुंवर रुकुमसिंह राठौर---

मन्त्री जी को मालूम है कि यह पशुवधशाला नगर के मध्य में है और वहां से पशुओं का खून नालियों में बहता है जिससे जनता को बहुत दुःख होता है, क्या सरकार जनहित में जिलाधीश द्वारा इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

नगरपालिका ने स्वयं ही इस पशुवधशाला को हटाने के लिए अपना प्रस्ताव पारित किया है और वह इस कार्य के लिए सरकार से अनुदान चाहते हैं, लेकिन सरकार चूंकि अनुदान देने में असमर्थ है क्योंकि इस तरह से कोई प्राविधान अनुदान देने के लिये नहीं है इसलिये वहां के कलेक्टर से सरकार द्वारा पत्र भेज कर निवेदन किया गया है कि जिस प्रस्ताव का नगरपालिका ने इस सम्बन्ध में पारित किया है उस के अनुसार वह उससे शीघ्रातिशीघ्र पशुवधशाला को ट्रान्सफर करके दूसरी जगह पर बनवाये ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यह पशुवधशाला जिस वक्त बनी थी, उस वक्त बदांयू नगर की सीमाएं बहुत थोड़ी थीं और जिस वक्त उसकी सीमाएं बढ़ायी गयीं उस समय से अब तक क्या नगरपालिका ने इसको हटाने के लिये कोई कदम उठाया है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

नगर पालिका ने इसको हटाने के लिये ४-११-१९६१ को अपना प्रस्ताव पारित किया ।

श्री शिवराजसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका को सरकार द्वारा ग्रान्ट देने में असमर्थ होने के क्या कारण हैं ? क्या धन का अभाव है या इस तरीके की कोई चीज है जिसके तहत में आप धन देने में असमर्थ हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

म्युनिसिपल ऐक्ट में इस प्रकार के पशुवधशाला के निर्माण या व्यवस्था के लिये कोई प्राविधान नहीं है । इसलिये सरकार असमर्थ है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

माननीय मंत्री जी को विदित होगा कि म्युनिसिपिल बाईलाज के मुताबिक आबादी के ३०० फुट के अन्दर कोई पशुवधशाला नहीं बनायी जा सकती है, ४-११-१९६१ को पारित प्रस्ताव के कार्यान्वयन न होने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल ---

नगर पालिका की आर्थिक स्थिति ही इसका कारण हो सकती है ।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं नगर पालिका के पास नयी पशुवधशाला बनवाने के लिये स्थान है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नयी पशुवधशाला बनवाने के लिये जमीन का चयन कर लिया गया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जमीन उनके पास है और उसी जमीन पर पशुवधशाला बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का प्रयत्न करेंगे कि जो खून पशुवधशाला से निकलता है उसमें ब्लड मील नामक खाद होता है और जो बहुत ही उपयोगी होता है, उसे नष्ट होने से बचाया जायगा ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आर्थिक कठिनाई हो सकती है, तो क्या सरकार यह राय देने की कृपा करेगी कि पशुवधशाला को बिलकुल ही बन्द कर दिया जाय ?

श्रीमती तारा अग्रवाल —

बन्द करने के लिये तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब आवश्यकता होगी तभी खोली गयी होगी लेकिन अगर नगरपालिका लिखे तो उस पर विचार हो सकता है ।

चित्रकूट धाम नगरपालिका को अनुदान

*३—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चित्रकूट धाम नगरपालिका, जिला बांदा को सन् १९५९ से १९६४ ई० तक किस-किस कार्य के लिये कितना-कितना अनुदान दिया गया ? क्या सरकार को यह भी पता है कि उस धन का नियमानुसार उपयोग नहीं किया गया ? यदि यह सत्य है, तो सरकार उसके वास्ते क्या कदम उठा रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल —

वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६५९–६६० पर)

श्री मतोलासिंह —

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सवा लाख का कर्जा दिया गया था, उसमें से केवल १८ हजार खर्च किया है तो क्या कारण है कि फिर सन् १९६४ में उसको काफी धन दिया गया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

माननीय सदस्य को सूचना दे दी गयी कि उपयोग की हुई धनराशि की भी और जो अब तक उपयोग नहीं हुई है उसका भी और जो टोटल दिया है मैं समझती हूं कि पहले से अधिक ही हो गया है ।

श्री मतोलासिंह—

५९ से इधर उनको सवा लाख रुपया दिया गया जिसमें केवल १८ हजार रुपया ही खर्च किया गया तो बाकी रुपये के पड़े रहने के क्या कारण हैं और सन् १९६४ में फिर और रुपया क्यों दिया गया ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

यह असल में तीर्थ स्थान है जिसकी वजह से ऐसी जगहों को थोड़ा-सा अनुदान दे दिया जाता है ताकि आम लोगों को शिकायत न रहे कि ऐसी जगहों के लिये भी कुछ नहीं दिया जाता ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

सवा लाख रुपया दिया गया और १८ हजार खर्च हुआ तो क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि यात्रियों की सुविधा के लिये जो इतना धन दिया गया उसे या तो खर्च किया जाये अथवा सरकार उसे वापस ले ले ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जिलाधीश को लिखा गया कि वह ऐसी व्यवस्था करें और म्युनिसिपल बोर्ड से कहें कि वह अपना प्रोग्राम बनावे और यह रुपया खर्च करे वरना वह वापस करा लिया जायगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

जैसा कि मन्त्री महोदय ने बतलाया कि यह जो सवा लाख रुपया दिया गया इसलिये दिया गया कि यह तीर्थ स्थान है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री तीर्थ स्थानों पर कोई संचित निधि का निर्माण कर रहे हैं ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

नगरपालिका, सिकन्दराबाद की खाद योजना

*४--श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६३-६४ में सिकन्दराबाद नगर पालिका में खाद की कम्पोस्ट स्कीम से कितना आय-व्यय हुआ ? इस वर्ष में खाद के गड्ढे स्कीम के अनुसार समय पर खोले गये या नहीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

नगरपालिका, सिकन्दराबाद ने सूचित किया है कि खाद योजना से वर्ष १९६३-६४ में अंकन ४९,३८० रु० की आय तथा अंकन २४,५७५ रुपये का व्यय हुआ। चूंकि कृषकों की खाद की मांग अधिक थी। अतः आवश्यक भूमि के अभाव तथा कृषि के हित में कुछ गड्ढे नियत समय से पूर्व खोले गये।

श्री जसरामसिंह--

मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्ष भर कितने खाद के गड्ढे भरे गये, कितने समय पर खोले गये और कितने समय से पूर्व खोले गये और एक गड्ढ़े की क्या कीमत थी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है लेकिन माननीय सदस्य का जो आशय है उस को मैं एक मिनट में बताना चाहती हूं कि पूर्व खोलने के लिये उस समय जरूरत होती है जब कि खाद का गड्ढा खाद के लिए तैयार हो जाता है और बरसात का भय सर पर आ जाता है। अगर बरसात आ गई और तैयार खाद में पानी भर गया तो कृषक उस खाद को नहीं खरीदता और इस तरह से खाद की कीमत में नुक्सान होता है। इसलिये बरसात के भय से कुछ गड्ढे पूर्व खोले गये और कुछ बाद को खोले गये।

श्री जसरामसिंह--

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि लोग अपने फायदे के लिये इन गड्ढों को समय से पूर्व ही खोदकर खाद ले जाते है, यह सूचना मंत्री जी को है, या नहीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

श्रीमन्, यदि वह कृषक हैं और उनको खाद की आवश्यकता है तो अवश्य उनकी मांग पूरी की जाती है।

श्री जसरामसिंह---

क्या मंत्री जी जिलाधीश को ऐसा आदेश देंगे कि हफ्ते में या १५ दिन में इन गड्ढों को नीलाम कर दिया जाय जिससे सब को पूरा फायदा हो सके ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

मान्यवर, जिस समय यह गड्ढे भरे जाते हैं तो जैसा रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि ४०/४५ दिन तक ये गड्ढे बंद रखे जाते हैं तब खाद तैयार होती है और खाद तैयार होने के बाद जिनको आवश्यकता होती है उस समय गढ़े खोद कर खाद नीलाम की जाती है।

गंजरिया फार्म, लखनऊ में प्रशिक्षित लाइव स्टाक सुपरवाइजर

*५---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---

क्या कृषि मंत्री कृपा कर के यह बतायेंगे कि सन् १९५८-५९ एवं १९६०-६१ ई० में गंजरिया फार्म, लखनऊ के लाइव स्टाक सुपरवाइजर का प्रशिक्षण पाकर कितने युवक निकले और वे किस पद पर तथा किस वेतन-दर से कार्य कर रहे हैं ?

*६---क्या यह सच है कि दो साल के बाद ही कुछ लाइव स्टाक सुपरवाइजर की पदोन्नति कर के उन्हें १२०---२५० रुपये का वेतन-क्रम दे दिया गया और कुछ ७५-५-१२० में ही पड़े हैं ?

*७---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एक ही प्रशिक्षण केन्द्र से एक ही पाठ्य-क्रम को उत्तीर्ण करने वाले युवकों की सेवा में इतना भेद क्यों है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री उमाशंकर---

मान्यवर, तीनों प्रश्नों की सूचना एकत्रित की जा रही है। पांचवें प्रश्न की तो सूचना की बात समझ में आ रही है लेकिन ६ और ७ में तो मैंने कोई तादाद नहीं मांगी है और सातवां प्रश्न तो बिलकुल साफ है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार किन चीजों की सूचना एकत्रित कर रही है और कब तक सदन की मेज पर रखी जायेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस तरह से है कि क्या कृषि मंत्री कृपा कर के यह बतायेंगे कि १९५८-५९ एवं १९६०-६१ में गंजरिया फार्म लखनऊ के लाइव स्टाक सुपरवाइजर का प्रशिक्षण पाकर कितने युवक निकले और वे किस पद पर तथा किस वेतन-दर से कार्य कर रहे हैं ? हमारे यहां तो इन युवकों का प्रशिक्षण होता है। इसके बाद ये युवक नियोजन विभाग में चले जाते हैं और नियोजन विभाग ही उन की नियुक्ति करता है। वहीं से आंकड़े आने में विलम्ब हुआ है, वही सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न ६-७ से संबंधित है। क्या सूचना एकत्रित की जा रही है ? क्या यह सच है कि दो साल के बाद ही कुछ लाइव स्टाक सुपरवाइजर को पदोन्नति कर के उन्हें १२०-२५० रुपये का वेतन-क्रम दे दिया गया और कुछ ७५-५-१२० रुपये में ही पड़े हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

अध्यक्ष महोदय, यह तो एक दूसरे से संबंधित प्रश्न हैं। यह भी सूचना नियोजन विभाग से ही प्राप्त होगी।

ग्रामीण पेय जल योजनान्तर्गत रिजर्वायर्स

*८—श्री शिवराजसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में ग्रामीण पेय जल योजना के अन्तर्गत कितने नलकूपों पर मार्च, १९६४ तक पानी इकट्ठा करने के रिजर्वायर्स बनाये गये और उनमें कितनी धनराशि खर्च हुई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर १,३८६ नलकूपों पर रिजर्वायर्स बनाये गये जिनमें १,३०,२२,४३२ रु० खर्च हुए। इसमें सिंचाई विभाग के ट्यूबवेल सर्किल मुरादाबाद तथा इरिगेशन वर्क्स सर्किल, मुरादाबाद द्वारा बनाये गये नलकूप सम्मिलित नहीं हैं।

*९—श्री शिवराजसिंह—

उपरोक्त ग्रामीण पेय जल योजना, जिसके अन्तर्गत यह रिजर्वायर्स बनाये गये थे, क्या थी और कितने ग्रामों में यह कार्यान्वित की जा सकी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह कार्य राष्ट्रीय जल सम्पूर्ति तथा स्वच्छता प्रोग्राम (ग्रामीण) के अन्तर्गत सम्पन्न कराया गया था जिसके लिये भारत सरकार से योजना की लागत का ५० प्रतिशत आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुई थी और इसे १४३२ गावों में कार्यान्वित किया गया है जिनमें उपर्युक्त दो सर्किलों द्वारा किये गये कार्य सम्मिलित नहीं हैं।

श्री शिवराजसिंह—

क्या यह सही है कि हजारों गांवों में करोड़ों रुपये खर्च करने के पश्चात् यह योजना पूर्णतया विफल रही है ? और आज किसी एक गांव में भी यह योजना अपने अमली रूप में चालू नहीं है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

सरकार के पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री शिवराजसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वे गांव कौन-कौन से हैं, जहां पर यह योजना अमली रूप से चालू है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री ऊदल—

सरकार ने इस योजना पर इतना रुपया—१ करोड़ २० लाख खर्च किया, किन्तु यह योजना विफल रही है । हमारे यहां पिंडारी बनारस में, कीरचपुर, जामपुर में और थानेरामपुर का माननीय मंत्री जी निरीक्षण कराने की कृपा करेंगे, जहां पर एक भी पाइप नहीं है और उसके आधार पर यह नतीजा निकालने की कृपा करेंगे कि सूबे में यह योजना बिलकुल सफल नहीं हुई है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जिन गांवों का जिक्र किया, माननीय सदस्य ने उनके जिले का जिक्र नहीं किया .....

श्री ऊदल—

ये चारों गांव जिनके नाम हमने गिनाये, बनारस जिले के हैं ।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

वाराणसी जिले में, मेरे पास टोटल गांवों की संख्या ६१८ है, जहां पर इस योजना से लाभ हुआ और यदि माननीय सदस्य इन गांवों की सूची देंगे तो उसकी जांच करा ली जायेगी ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

प्रश्न संख्या ९ से संबंधित, १,४३२ गांवों में से कितने गांवों में अबतक यह योजना चल रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास तो सूचना पूरे १४३२ गांव की है ।

श्री ऊदल—

सारी सूचना गलत है, सारे का सारा १ करोड़ २० लाख रुपया पानी में चला गया ।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय मंत्री जी को पता है कि इस योजना के अन्तर्गत बलिया जिले में भी कुछ कार्य हुआ और जिन गांवों में पानी देने की योजना आरम्भ की गयी थी, करणपुर आदि में, तो वहां पर योजना ठप हो गयी, उसके रख रखाव का इन्तजाम न होने की वजह से और कई गांवों में यह योजना नाली न बिछाये जाने के कारण रुक गयी । तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जहां पर योजना चालू है वहां पर इसके रखरखाव पर पूरा ध्यान दिया जाये और जहां नहीं है वहां पर इसके लिये नाली आदि बनवाने की व्यवस्था पूरी की जाये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय मैनेजरसिंह तथा अन्य माननीय सदस्यों ने जिन गांवों में योजना के सफल अथवा असफल होने की बात कही यदि लिख कर देंगे तो उसकी जांच करा ली जायगी ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि १ करोड़ २० लाख रुपया बिलकुल बरबाद हो गया तो अब सरकार की क्या योजना है कि इसको फिर से उपयोगी बनाया जा सके ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह बात तो नहीं है कि दो राय नहीं हैं । एक राय तो कम से कम उन आफिसरान की है जिनकी रिपोर्ट पर यहां जवाब दिया गया है । आपकी बात सही हो सकती है । जो नयी योजना की बात है उसमें हम केवल उन जगहों को ले रहे हैं जहां पानी की स्केयरसिटी है और आप जिन गांवों के लिये लिख कर भेज देंगे कि यहां यहां यह हालत है वहां की जांच करवा ली जायगी ।

श्री अध्यक्ष—

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर) माननीय मंत्री जी, जो वातावरण हम देख रहे हैं उस से पता चलता है कि सभी इस राय के हैं कि कहीं काम नहीं हुआ है । तो फिर से जांच करा लीजिये । (सदस्यों से) अगर आप चाहें तो बहस हो सकती है ।

श्री शिवराजसिंह—

यह उत्तर अधूरा है । माननीय मंत्री जी चाहें तो कुछ और समय ले लें लेकिन पूर्ण उत्तर देने की कृपा करें । अभी तो दो डिवीजन बाकी है जिनके ऊपर करोड़ों रुपये इनके अतिरिक्त खर्च हुय ह ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या यह प्रश्न स्थगित हो गये ?

श्री अध्यक्ष—

अब आप तो विद्वान आदमी हैं। इस पर बहस हो सकती है।

बस्ती जिले में हरिजनों को भूमि

*१०—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गोरखपुर डिवीजन के अन्तर्गत बस्ती जिले में कुल कितनी खेती योग्य नई जमीन कहां-कहां तोड़ी गई तथा वह कितने भूमिहीन परिवारों में बांटी गई और उसमें हरिजन परिवार कितने थे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बस्ती जिले में कुल ४७५.२४ एकड़ नई जमीन निम्नलिखित गांवों में तोड़ी गई तथा वह कुल ४८८ भूमिहीन परिवारों में बांटी गई जिसमें १११ हरिजन परिवार थे—

नरायनपुर, तालमडाच, पेन्दा, राजपुर, पिपरा, दयालतिवारी, कठेला गवां, मैनहिया, सिरसिया, पचाधा, मुहम्मदपुर, बैतनार एहतमाली, सिकन्दरपुर, तेलियाडीहा, खजुहा, गुलरहिया, घोसिया, पैदा बघाड़ी, रसवापुर, खैरा, तेनुहार, खम्हरिया, जोगिया, करौता, बानिया खास, गारडीह, ब्रिजारा, कठेला जनूबी, होरिलापुर, बसडिलिया।

श्री सोहनलाल धुसिया—

इसमें १४३५, एकड़ जमीन १११ हरिजन और ३७७ दूसरे लोगों को दी गयी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि १११ हरिजन परिवारों को कुल कितनी जमीन मिली ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अलग अलग परिवार को कितनी कितनी जमीन मिली, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री सोहनलाल धुसिया—

३७७ दूसरे लोगों और केवल १११ हरिजन लोगों को जमीन दी गयी। क्या उन गांवों में दूसरे हरिजन भूमिहीन नहीं थे ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

यह सवाल आपने कृषि विभाग से पूछा, इस विभाग से इस प्रश्न का कोई वास्ता नहीं है। रेविन्यू विभाग से पूछने में समय ज्यादा न लगे इसलिये हमने सोचा कि हमीं इस का जवाब दे दें, ताकि देर न हो जाय। उन गांवों में हरिजन थे या नहीं तो कानून में लिखा हुआ है कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की रू से जमीन दी जायगी, वह भूमिहीन लोगों को दी जायगी उसमें हरिजन और गैर-हरिजन का इम्तियाज नहीं किया गया है और जमीन देने का अधिकार भी गांव समाज को है जिसमें राज्य कर्मचारी नहीं आते।

श्री सोहनलाल धुसिया—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जितने गांव दिये गये है उनमें न डाकखाने का पता है और न पुलिस स्टेशन का पता है, अगर कोई उन गांवों में जाना चाहे तो वह कैसे जायगा ? क्या गवर्नमेंट पूरा पता उन नामों का देगी ताकि कोई कंटैक्ट उनसे करना चाहे तो वह कर सके ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

वह सूची तो नहीं है, तहसील और गांव हैं और तादाद भी हैं ।

श्री सोहनलाल धुसिया—

मेरी सरकार से यह गुजारिश है कि सरकार तकलीफ करके पूरी सूची तैयार कराकर टेबिल पर रख दिया करें ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो जमीन हरिजनों को बांटी गई तो क्या उन्होंने कोई ऐसा आदेश निकाला है कि जिस आदेश के अन्तर्गत उन्होंने प्रायोरिटी फिक्स की कि यह जमीन भूमिहीन और राजनैतिक पीड़ितों को बांटी जाय ? यदि हां, तो उसके मुताबिक क्या यह बटवारा हुआ है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

१९८ दफा जमीदारी अबालिशन की है । उसको पढ़ लिया जाय तो मालूम हो जायगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं गवर्नमेंट का ध्यान उस आर्डर की ओर दिलाना चाहता हूं कि जिसमें राजनैतिक और हरिजनों वगैरह को जो भूमिहीन है उनके लिये प्रायोरिटी फिक्स की है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस बात की जांच करेंगे कि उस गवर्नमेंट आर्डर के मुताबिक यह बांटी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वह गवर्नमेंट आर्डर इस वक्त मुझे याद नहीं है ।

[५ अप्रैल, १९६५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

खाद्यान्नों के भाव

*१—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, १९६४ में खाद्य अन्नों के क्या-क्या भाव प्रान्त के पूर्वीय तथा पश्चिमी भागों में थे और इतने उतार चढ़ाव का कारण क्या है ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

भावों की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है । भावों के उतार-चढ़ाव का कारण खाद्यान्नों की उपलब्धता में वृद्धि और कमी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६६१ पर)

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, मैंने सवाल किया था कि पूर्वी जिलों में और पश्चिम जिलों में सितम्बर से दिसम्बर, ६४ तक क्या भाव रहे और तालिका जो दी गई है उसमें गेहूं, चना, जौ और चावल के भाव दिये हैं उससे यह मालूम होता ह कि सितम्बर से दिसम्बर तक पश्चिमी जिलों में पूर्वी जिलों की अपेक्षा भाव बहुत ऊंचे रहे । पश्चिम जिलों में ९२ रुपये से लकर ९९.२५ पैसे तक और पूर्वी जिलों में ८६ से लेकर ८४.४८ पैसे तक । तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यह भाव में जो उतार-चढ़ाव हुआ है इसके आधार पर ही जितना सरकार के पास इम्पोर्टेटड गेहू था उसका ध्यान रखते हुए पूर्वी और पश्चिमी जिलों में वितरण किया ह, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

आपने कहा कि बाजार के भाव थे। चावल के अलावा और किसी गल्ले पर हमारा कंट्रोल नहीं है। बाकी चीजों में बाजार के आम भाव है। यह बड़ी खुशी की बात है कि पूर्वी जिलों में पश्चिमी जिलों की अपेक्षा भाव सस्ते रहे। पश्चिमी जिलों में वाटर लागिंग की वजह से काफी क्षति हुई है और इसलिये भाव तेज रहे। हम जितना गल्ला पिश्चिमी जिलों को भेज सकते थे, देते रहे लेकिन चूंकि पश्चिमी जिलों में कुछ उपलब्धि कम हुई इसलिये भाव वहां चढ़े रहे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

जो कारण माननीय मंत्री जी ने बतलाये उनको ध्यान में रखते हुए, उपलब्धि कम होने पर जो इम्पोर्टेन्ड गेहूं था उसका वितरण पश्चिमी जिलों में पूरी तरह न हो पाने का क्या कारण है? आज भी वहां एक किलो प्रति यूनिट के हिसाब से गल्ला मिल रहा है? क्या सरकार वहां अधिक गेहूं भेजने की कृपा करेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जहां तक इंपोर्टेड गेहूं देने का ताल्लुक है वह हमने पश्चिमी जिलों को कुछ कम देने का प्रयास नहीं किया, लेकिन वह हमारी जरुरत के मुकाबले में ५ परसेंट से भी कम होता है इसलिये वह बाजार भाव पर क्या असर डाल सकता है। लेकिन हमने कोशिश की है कि कुछ न कुछ जरूर दिया जाय और सहारनपुर तथा पश्चिम के दूसरे जिलों में हम दे रहे हैं।

श्री शिवराजसिंह---

प्रदेश की स्थिति को देखते हुए जो उच्चतम तथा निम्नतम भावों में जो सैकड़ों परसेन्ट का फ्लक्चुयेशन रहा है, क्या माननीय मंत्री जी एश्योरेंस दे सकते हैं कि इस वर्ष यह भाव एक निश्चित दायरे के अन्दर ही फ्लक्चुयेट करेंगे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

भाव पर और बाढ़ पर किसी का नियंत्रण तो मैंने देखा नहीं।

श्री कल्पनार्थीसिंह---

माननीय सदस्य के अनुसार पूर्वी जिलों में भाव कुछ सस्ते रहे तो क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो भाव दिये गये हैं यह होलसेल के भाव हैं अथवा रिटेल के? क्योंकि यह भाव गलत मालूम देते हैं और क्या मंत्री जी इनकी जांच करायेंगे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह तो जो बुलेटिन निकलता है केन्द्रीय तथा प्रदेशीय सरकार का भावों का उसी से लिये गये हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

मंत्री जी ने बतलाया कि बाढ़ और भाव पर नियंत्रण करना संभव नहीं है, लेकिन चीनी के भाव पर नियंत्रण रखने में आप सक्षम हुए हैं, तो किसानों की वस्तुओं के भावों पर आप नियंत्रण करने में सक्षम क्यों नहीं हो पाते?

श्री जगमोहनसिंह नगी---

यह खुशी की बात है कि आपने यह तो माना कि हम चीनी के भावों पर नियंत्रण रख पायें हैं। और चीजों पर भी काबू पा लेंगे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

पिछली बार आपने आश्वासन दिया था कि चार किलो प्रति यूनिट आप गल्ला कर देंगें, लेकिन वह मुमकिन नहीं हो पा रहा है। आज भी सहारनपुर में एक किलो प्रति यूनिट के हिसाब से ही गल्ला मिल रहा है। कहा जाता है कि कानपुर से आटा आ रहा है लेकिन वह आया नहीं। तो क्या मंत्री जी कोई ऐसा प्रबन्ध करगे कि वहां अनाज पहुंच सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैं अर्ज करूंगा कि माननीय सदस्य अख्वार पढ़ते होंगे, आज पहला जहाज अमरीका से बम्बई आया है। जो पोजीशन है उसके अनुसार दे रहे हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

तो आप आश्वासन किस बात का दे रहे थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

वह तो सब लुट गया।

मुरादाबाद जिले में सीमेंट का वितरण

*२---श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १ जनवरी, १९६४ से ३१ दिसम्बर, १९६४ तक जिला मुरादाबाद में कुल कितना सीमेन्ट भजा गया और उसम से कितना देहाती क्षत्रों में बांटा गया और कितना शहरी क्षेत्रों में और डी० एस० ओ० के दफ्तर द्वारा कितने सीमन्ट के परमिट जारी किय गय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

१ जनवरी, १९६४ से ३१ दिसम्बर, १९६४ तक जिला मुरादाबाद में ६,३४५ मी० टन सीमेन्ट भेजा गया जिसमें से ३,९८० मी० टन सीमेन्ट देहाती क्षेत्रों में बांटा गया तथा २,३६५ मी० टन शहरी क्षेत्रों में। इसम से १,२५५ मी० टन सीमेन्ट क परमिट डी० एस० ओ० के द्वारा जारी किये गये।

*३---श्री रियासत हुसैन---

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कितना सीमेन्ट दिनांक १ जनवरी, १९६४ से ३१ दिसम्बर, १९६४ तक मुरादाबाद जिले के रहने वाले को उत्तर प्रदेश सरकार ने सीधा मंजूर किया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

उत्तर प्रदेश सरकार ने १ जनवरी, १९६४ से ३१ दिसम्बर, १९६४ तक मुरादाबाद जिले के रहने वालों को २५३ मी० टन सीमेन्ट जी० ए० डी० कोटा से मंजूर किया।

श्री रियासत हुसैन---

क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि जो डी० एस० ओ० के दफ्तर से परमिट जारी किये गये उनमें से ज्यादातर वह जारी हुई हैं जिनमें २ रुपया बोरी कर्मचारी ने लिया है, तो इसकी कोई खास जानकारी करायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मेरे पास तो कोई ऐसी सूचना नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि २५३ टन का जो सीमेन्ट बेचा गया है वह किन किन लोगों को बेचा गया है और किस काम के लिये बेचा गया है और इसके लिये जिला अधिकारियों ने सिफारिश की थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां, यह हाइयर सेकेन्डरी स्कूल को दिया गया। एक मुरादाबाद कालिज को दिया गया, एक सेवा सदन मुरादाबाद को दिया गया, एक जिलाधीश, मुरादाबाद ने श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई की सिफारिश पर लोगों को दिया, फिर मेसर्स श्याम लाल लक्ष्मीनारायण इसी तरह से ज्यादातर संस्थाओं को दिया गया।

सहारनपुर नगरपालिका में सड़कों के ठेके में अनियमितता

*४—श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि यह सत्य है कि सहारनपुर नगरपालिका ने दिनांक २९ अगस्त, १९६४ के आस पास नगर की सड़कों की मरम्मत के लिये टेन्डर इनवाइट किये और सब रद्द कर दिये और फिर दूसरी बार उसी कार्य के लिये टेन्डर मंगाये और फिर रद्द कर दिये और फिर तीसरी बार बिना टेन्डर मंगाये श्री भगन लाल ठेकेदार नगरपालिका को ऊपर कहे गये कार्य का एक हिस्सा बनाने का ठेका दिनांक १ अक्तूबर, १९६४ को १,१६,४४० रुपये में दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अनियमितता का कारण बतायगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां, यह सत्य है कि दो बार टेन्डर मंगाकर रद्द कर दिए गए परन्तु यह सत्य नहीं है कि तीसरी बार श्री मगन लाल को बिना टेन्डर मगाये ही १,१६,४४० रुपये का ठेका दिया गया, वरन वस्तुस्थिति यह है कि उन्हें उनके ९१,२३८ रुपये के टेन्डर पर ठेका दिया गया। जहां तक अनियमितता का प्रश्न है ? इस पर अभी जांच की जा रही है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

दो बार जो टेन्डर मंगवाये गये अगस्त और सितम्बर में तो क्या उनमें श्री मगन-लाल का भी टेन्डर था ? यदि हां, तो जब बाकी टेंडर मगन लाल से नीचे थे तो क्या कारण है कि दोनों बार वह टेन्दर नामंजूर कर दिये गये ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जो पहला टेन्डर मांगा गया उस वक्त ५ आये। नाम के लिये सूचना की जरूरत होगी।

दूसरे टेन्डर में ३ टेन्डर आये, एक हरबंसलाल, महासिंह तथा आनन्द स्वरूप।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

मैंने पूछा था कि उच्चतम टेन्डर क्या था और नीचे के क्या थे ? जो नीचे कम थे उनको नामंजूर करने का क्या कारण थे और यह कितने एरिया के लिये थे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जो टेन्डर मांगा गया वह ७५ हजार के लिये मांगा गया था जो कि अनुमानित लागत निर्माण की थी जो कि १५ अगस्त, १९६४ में जाकर के अखबार में टेन्डर का विज्ञापन दिया गया। चूंकि टेन्डर वालों ने टेन्डर.....

श्री अध्यक्ष—

उनका सवाल यह है कि सब से कम क्यों स्वीकार नहीं किया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

७५ हजार की लागत का अनुमान था। निर्माण का टेन्डर इससे भी अधिक लागत के आये, इसलिये नामंजूर हो गये।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

तीसरी बार जो १,१६,४४० रुपया का मंजूर किया गया, क्या यह सही है कि वह श्री मगन लाल का मंजूर किया गया जो कि वहां के एग्जिक्यूटिव आफिसर के साढू हैं और चेयरमैन के रिश्तेदार है ? तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की दोबारा जांच करायेंगे कि क्योंकि मेरी सूचना यह है कि इन कागजों में दोबारा हेरफेर करके १,१६,४४० की जगह ९१,२३८ रुपया किया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

तीसरी बार जो विज्ञापन दिया गया वह १,१६,४४० का था, और इसी आधार पर मगन लाल का ९१ हजार कुछ का था, यह कीमत कम थी, इसी लिये इनको दिया गया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

यह तीसरा विज्ञापन किस अखबार में दिया गया था और क्या माननीय मंत्री जी इसकी भी जांच करायेंगे कि जो विज्ञापन दिया गया वह समय के अन्दर ही छपा था या टेन्डर स्वीकार होने के बाद छपा है, यदि बाद में छपा है तो क्या इस संबंध में कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इसकी पूरी जांच कराने के लिये संबंधित अधिकारी से कह दिया गया है। जब जांच होकर उनकी रिपोर्ट आयेगी तो जो भी अनियमितता पायी जायेगी उसके लिये उचित कार्यवाही की जायेगी।

सहारनपुर नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप

*५—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या स्वायत्त शानस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगरपालिका के अध्यक्ष ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए जैसा कि उसे २५० रुपये तक के बिल पास करने का बिना बोर्ड की मंजूरी के अधिकार है, हजारों रुपये की एक-एक मद के भिन्न-भिन्न बिल ढाई-ढाई सौ के बना बना कर स्वयं दिनांक १ जनवरी, १९६४ से ३० नवम्बर, १९६४ तक पास किये हैं ? यदि हां, तो उनकी पूर्ण सूची महीनेवार क्या है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

राज्य में बन्दी

*६—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के जेलों में सन् १९६० से १९६४ तक कुल कितनी-कितनी संख्या कैदियों की थी और इस समय कुल कितनी है तथा उसमें कितनी संख्या राजनैतिक कैदियों की है तथा कितनी साधारण कैदियों की ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

प्रदेश की जेलों में सन् १९६० से सन् १९६४ तक बन्दियों की दैनिक औसत संख्या इस प्रकार थी :

१९६०	..	..	..	३५,५१७
१९६१	..	..	..	३४,८९६
१९६२	..	..	..	३६,३११
१९६३	..	..	..	३८,०१७
१९६४	..	..	..	४०,७०७

जनवरी सन् १९६५ (जब यह प्रश्न किया गया था) की दैनिक औसत संख्या ४१३१५ थी ।

राजनैतिक बन्दियों की संख्या के बारे में सूचना देना संभव नहीं है क्योंकि बंदियों का ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है ।

*७—श्री कल्याणचन्द मोहिले —

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के जेलों में कैदियों के बन्द तथा खोलने का समय निर्धारित होने के उपरान्त जो कैदी कचहरी मुकदमें हेतु ले जाये जाते हैं उनको जेल बन्द हो जाने के बाद जब वह मुकदम से लौटकर जेल आते हैं बन्द जेल को खोल कर उन्हें लिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इस संबंध में जेल मैनुअल के पैराग्राफ १७ का पालन किया जाता है जिसके अनुसार दन्ड प्राप्त कैदी (convicted prisoners) कचहरी से मुकदमें के बाद लौटने पर जेल बन्द होने के बाद भी जेल के अन्दर ले लिया जाता है, और यदि वह बिचाराधीन बन्दी है तब केवल मैजिस्ट्रेट की लिखित आज्ञा से ही जेल बन्द होने के बाद भी जेल में अन्दर ले लिया जाता है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जो कैदी जेल बन्द होने के बाद जेल में जाते हैं उनको बैरकों में बन्द कर दिया जाता है जिससे उनको समय से खाना नहीं मिलता ह ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जो सूचना मिली है वह यह है कि जो बन्दी जेल बन्द होने के बाद आते हैं उनको जेल के अन्दर रखा जाता है और उनको खाना भी दिया जाता है ।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी कारण बतायेंगे कि पिछले पांच या छः साल से प्रदेश के अन्दर कैदियों की जो तादाद बढ़ चुकी है, उसका कारण क्या हैं ? क्या यह स्थिति ला एन्ड आर्डर की खराबी से हो गई है ? इसके साथ ही यह भी बतलाने की कृपा करें कि प्रिजनर्स और पोलिटिकल प्रिजनर्स में भेद रखने का क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

समाज क अन्दर कैदियों की संख्या बढ़ रही है, इसका कारण तो माननीय सदस्य भी जान सकते हैं और सरकार भी जान सकती है । जहां तक दूसरा प्रश्न है इसमें कैदियों के दो ही वर्ग रक्खे गय है। एक ऊंचा और दूसरा असाधारण । इसलिये ऊंचे वर्गीकरण में, जो राजनैतिक बन्दी हैं, वे भी आ सकते हैं।

नोट—तारांकित प्रश्न ७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

रीजनल फूड कण्ट्रोलर कार्यालय के लिपिकों का वेतन-क्रम

*८--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर० एफ० सी० कार्यालय के चारों रीजनों में कार्य करने वाले तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के सहायकों को अधिकतम वेतन एक सौ पन्द्रह रुपया मासिक मिलने के बाद आगे प्रोमोशन का कोई चान्स नहीं मिलता है जब कि रीजनल एकाउन्टस अफसर के कार्यालय के सहायकों का प्रमोशन एकाउन्टेन्स चीफ एकाउन्टेन्ट ए० आर० ए० ओ० तक हो जाता है व आर० एम० ओ० के सेन्टर पर कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी के सहायकों का प्रमोशन एम० आई० एस० एम० आई० ए० आर० एफ० सी, डिप्टी आर एम० ओ० तक हो जाता है, जो कि गजटेड पोस्ट होती है ? अगर ऐसा होता है, तो क्यों ? क्या मंत्री जी भविष्य में आर० एफ० सी० आफिस के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के सहायकों को भी चान्स देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

ऐसा नहीं है कि रीजनल फूड कन्ट्रोलर के कार्यालय के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के लिपिकों की पद्दोन्नति एक सौ पन्द्रह रुपया मासिक वेतन पर ही समाप्त हो जाती है। उनकी पद्दोन्नति उक्त कार्यालय के उच्चतम पद अर्थात हैड क्लर्क के पद तक जिसका वेतन १५०-२०० रुपया है होती है। उक्त कार्यालय में हैड क्लर्क के पद से ऊंचा लिपिक संबंधी कोई पद नहीं है अतः डेड क्लर्क के पद के बाद पद्दोन्नति का प्रश्न नहीं उठता।

*९--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या खाद्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि आर० एफ० सी० आफिस के हैड क्लर्कों को हैड कलर्कों के बाद कहीं प्रमोशन का चांस नहीं मिलता है जब कि आर० ए० ओ० के चीफ एकाउन्टेन्ट का प्रमोशन असिस्टेन्ट एकाउन्टस आफिसर तक हो जाता है व हैड क्लर्को तथा चीफ एकाउन्टेन्ट का वेतन-क्रम एक ही है, एक ही हैड से दोनों को पे ड्रा होती है, तथा दोनों का हैड आफिस आर० एफ० सी० ही होता है ? इन दोनों के प्रमोशन में इतनी असमानता क्यों है, तथा भविष्य में हैड क्लर्कों को भी तरक्की देने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब से ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

चीफ एकाउन्टेन्ट तथा एसिस्टेन्ट रीजनल एकाउन्टस आफिसर के पदों पर पद्दोन्नति के लिये अभ्यर्थी को लेखा संबंधी समुचित ज्ञान अनुभव का होना अनिवार्य है अतः चीफ एकाउन्टेन्ट को असिस्टेन्ट एकाउन्टस आफिसर के पद पर कार्य करने की क्षमता होती ह और इसी आधार पर उसकी असिस्टेन्ट एकाउन्टस आफिसर के पद पर पद्दोन्नति की जाती है।

रीजनल फूड कन्ट्रोलर के कार्यालय के हैड क्लर्क को जिसको लिपिक संबंधी ज्ञान तथा अनुभव होता है, पद्दोन्नति किसी उच्चतर पद पर नहीं की जा सकती क्योंकि इस प्रकार की योग्यताओं से संबंधित रीजनल फूड कन्ट्रोलर के नियंत्रण में हैड क्लर्क के पद से उच्चतर कोई पद नहीं है।

गेहूं की पैदावार

*१०--श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ से लेकर वित्तीय वर्ष १९६३-६४ तक प्रदेश में अलग-अलग वर्षो में टनों में कितना कितना गेहूं पैदा होने का तखमीना लगाया था और कितना-कितना हुआ ?

कृषि मन्त्री (श्री चरणसिंह)—

पैदावार के आंकड़ों का केवल अनुमान ही लगाया जाता है क्योंकि वास्तविक उत्पादन मालूम करना संभव नहीं है। यह अनुमान वित्तीय वर्ष के नहीं बल्कि फसली वर्ष (१ जुलाई से ३० जून तक) के लगाए जाते हैं। वित्तीय वर्ष १९६०–६१ से १९६३–६४ की अवधि के फसली वर्षों के गेहूं की पैदावार के लक्ष्य तथा संशोधित अन्तिम प्राक्कलन के आंकड़े निम्नलिखित है —

फसली वर्ष	लक्ष्य (लाख टनों में)	पैदाबार (टनों में)
१३६८ ..	गेहूं के लक्ष्य अलग से निर्धारित नहीं थे	३८,८२,२९८
१३६९ ..	३६.८१	४०,८८,९९०
१३७०	४०.८४	३१,५९,८५०
१३७१	४४.२८	२६,७२,२४१

*११—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गेहूं पैदा कम होने के कारण कौन-कौन हैं ?

श्री चरणसिंह—

१९६२–६३ में पैदावार कम होने के निम्नलिखित कारण थे—

(१) शीतकालीन वर्षा की कमी ,
(२) मार्च के महीने में ओले गिरने से क्षति
(३) गेहूं का कम क्षेत्र में बोया जाना ।

१९६३–७४ के कमी के निम्नलिखित कारण थे —

(१) शीतकालीन वर्षा की कमी ,
(२) भारी पाला, शीत लहरी तथा ओलों का पड़ना ।
(३) गेहूं का कम क्षेत्र में बोया जाना ।

*१२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त वित्तीय वर्ष ही में प्रदेश में कुल अन्नोत्पादन के तखमीने कितने-कितने टनों में लगाये गये थे और कितना-कितना हुआ ?

श्री चरणसिंह—

फसली वर्ष १३६८ से १३७१ तक के कुल खाद्यान्नों के उत्पादन के लक्ष्य तथा संशोधित अन्तिम प्राक्कलन के आंकड़े निम्नलिखित हैं—

फसली वर्ष	लक्ष्य	पैदावार
१	२	३
	(लाख टनों में	(टनों में)
१३६८ ..	१४२.६७	१,४२,५७,१७८
१३६९ ..	१४४.१२	१,३८,३८,८६९
१३७० ..	१५३.३३	१,३२,८२,६११
१३७१ ..	१५६.७४	१,१६,०८,७८७

पूर्ति तथा खाद्य विभाग में सेवा नियम

*१३—श्री कमलसिंह यादव (जिला गाजीपुर) तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर —

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नियुक्त पूर्ति तथा खाद्य विभाग में अधिकारियों के बारे में तथा दूसरे कर्मचारियों के लिये निम्न विधान बनाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

1—Manual of Control Orders.
2—Service Rules of Gazetted and Non Gazetted Staff.

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

(१) जी हां ।

(२) बनाये जा रहे हैं ।

*१४-१५—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

[७तवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

स्याना क्षेत्र में ३१२ नं० का गन्ना बोने से क्षति

*१६—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री अनीसुर्रहमान (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार को यह ज्ञात है कि विधान सभा क्षेत्र स्याना (जिला बुलन्दशहर) के उस भाग में जो कि मुक्त है और किसी चीनी मिल के क्षेत्र में नहीं है, ३१२ नं० गन्ने की आम तौर से काश्त होने और इस वर्ष उसमें पिछले वर्ष से भी अत्यन्त अधिक उकटा लगने से कृषकों को लाखों रुपये की क्षति हुई है ?

श्री चरणसिंह—

सरकार को यह सूचना मिली है कि कथित क्षेत्र में गन्ना रेड राट रोग से काफी हद तक ग्रसित है । किसानों को कितनी हानि हुई है, इसका अनुमान लगाना इस समय सम्भव नहीं है ।

*१७—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री अनीसुर्रहमान—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब सरकार को इस सम्बन्ध में पिछले वर्ष की जानकारी हो गई थी कि उक्त क्षेत्र में गन्ना उकटने का अत्यन्त रोग फैल चुका है तो क्यों किसानों को उन्नतिशील गन्ने का बीज देने की पूर्णरूप से व्यवस्था नहीं की गई और क्या सरकार की ओर से कृषकों को यह नहीं बताया गया कि वे ३१२ नं० को न बोयें ?

श्री चरणसिंह—

सरकार की ओर से किसानों में यथासंभव प्रचार किया गया कि वे ३१२ नं० गन्ने को न बोयें क्योंकि वह रोग ग्राही जाति है । पश्चिमी क्षेत्र के लिये गन्ने की स्वीकृत जातियों की सूची से इसे हटाया भी जा चुका है । सरकार की ओर से अनुमोदित उन्नतिशील गन्ने के बीज सी० ओ० ११४८ के वितरण की व्यवस्था भी की गई ।

*१८—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री अनीसुर्रहमान—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार तुरन्त विधान सभा क्षेत्र स्याना के कृषकों के लिये घनी मात्रा में उन्नतिशील गन्ने के बीज का प्रबन्ध (कर्जे की शक्ल में) करेगी और कृषकों को ३१२ नम्बर गन्ने को बोने से रोकने के लिये परिचित करेगी ?

श्री चरणसिंह—

३१२ नं० गन्ने को न बोने के लिये प्रचार किया जा रहा है और यथासंभव और अधिक प्रचार भी किया जायेगा । किसानों को कर्जे के आधार पर अन्य उन्नतशील गन्ने के बीजों को देना संभव नहीं है । यह केवल नकद रूप में ही दिया जा सकता है ।

हैदरगढ़ तहसील में शकर व आटे की सप्लाई

*१९—श्री रामकिशोर त्रिपाठी तथा श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बाराबंकी जिले की तहसील हैदरगढ़ को जिला पूर्ति कार्यालय सेशकर एवं आटे का कोटा अब तक फरवरी माह से न मिलने की वजह से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या इस तहसील को समय से कोटा दिलाने की सरकार व्यवस्था करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जांच के उपरान्त मालूम हुआ कि तहसील हैदरगढ़ को चीनी व आटे के फरवरी के कोटे के न मिलने की बात तथ्यहीन है । अतः इस सम्बन्ध में अलग से आदेश जारी करने का प्रश्न नहीं उठता ।

झांसी जिले में चावल के आयात पर प्रतिबन्ध

*२०—श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में चावलों की गत ५ वर्षों में प्रति वर्ष पैदावार का क्या औसत है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

झांसी जिले में गत पांच वर्षों में चावल की पैदावार का औसत १०,९२४ टन प्रति वर्ष रहा है ।

*२१—श्री कृष्णचन्द—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने झांसी जिले में एक क्विन्टल सतासी किलो से अधिक चावलों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

झांसी जिले के उस भाग को छोड़ कर जो सीमांत क्षेत्र में आता है, शेष सम्पूर्ण जिले में चावल के आयात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । झांसी जिले के सीमान्त क्षेत्र में पड़ने वाले भाग में १ क्विन्टल ८७ किलो से अधिक चावल के आयात पर प्रतिबन्ध अवश्य है जो स्मगलिंग को रोकने के लिये जरूरी है ।

*२२—श्री कृष्णचन्द —

क्या सरकार झांसी जिले की आबादी के अनुपात से वहां पर चावलों की बहुत पैदावार तथा खाद्य संकट का विचार करते हुये उक्त प्रतिबन्ध को अविलम्ब हटा लेने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर को ध्यान में रखते हुये सम्पूर्ण झांसी जिले से चावल के आयात पर से प्रतिबन्ध हटाने का प्रश्न नहीं उठता । जहां तक झांसी जिले के उस भाग से प्रतिबन्ध हटाने का सम्बन्ध है जो सीमान्त क्षेत्र में पड़ता है, ऐसा करना फिलहाल सम्भव नहीं है क्योंकि प्रदेश से अपवहन (स्मगलिंग) को रोकने के लिये यह प्रतिबन्ध आवश्यक प्रतीत होता है ।

*२३–२५—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

[हटा दिये गये ।]

नौगढ़—मधुपुर मार्ग पर कर उगाही

*२६—श्री ऊदल—

क्या सरकार प्रथम सत्र १९६५ के पहले सोमवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ९६ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि तहसील चकिया, जिला वाराणसी, में स्थित नौगढ–मधुपुर मार्ग पर पहली अप्रैल, १९५९, से प्राइवेट कार के ऊपर २५ रु० टैक्स, बैलगाड़ी के ऊपर टैक्स, ट्रक के ऊपर टैक्स बड़े पैमाने पर लिया जाता है और आम कारबार तथा सवारियों, बैलगाड़ियों, कार, ट्रक के लिये प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ?

श्री चरणसिंह—

तहसील चकिया, जिला वाराणसी, में स्थित नौगढ़-मधुपुर मार्ग पर कार, टैक्सी, बैलगाड़ी व लदे हुये जानवरों के आने जाने पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। पहली अप्रैल, सन् १९५९ ई०, अर्थात् वन विभाग को उपरोक्त मार्ग के हस्तान्तरित होने की तिथि, से ट्रक और बसों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों से केवल सड़क मरम्मत शुल्क (रोड मेंटिनेन्स फी) लिया जाता है। ट्रकों और बसों पर इसके अतिरिक्त और कोई प्रतिबन्ध नहीं है। आम कारबार तथा सवारियों, बैलगाड़ियों और कारों के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

*२७—श्री ऊदल—

क्या सरकार के उत्तर में जो यह कहा गया है कि चूंकि वह मार्ग घने बन से हो कर गुजरता है इसलिये वन उपज की अवैध निकासी अथवा चोरी को रोकने के लिये नौगढ़ और जैमोहिनी पोस्ता गांव के पास बैरियर लगाये गये हैं, परन्तु उस कारण अब जनता को किसी प्रकार के आवागवन में रुकावट नहीं पड़ती, क्या यह सही है कि रुपया टैक्स के रूप में लिया जाता है, उसकी रसीद भी वन विभाग हर सवारी हेतु देता है ? तो क्या सरकार को अपना बैरियर रखते हुये भी इस सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग को देने में क्या कठिनाई है जबकि यह सड़क मिर्जापुर तक जाती है ?

श्री चरणसिंह—

नौगढ़–मधुपुर मार्ग घने वन से हो कर गुजरता है इसलिये वन उपज की अवैध निकासी अथवा चोरी को रोकने के लिये नौगढ़ व जैमोहिनी पोस्ता गांव के पास बैरियर लगाए गए हैं, परन्तु इस कारण जनता को किसी प्रकार के आवागमन में कावट नहीं पड़ती। यह सही है कि जो रुपये सड़क की मरम्मत हेतु ट्रकों व बसों के प्रयोग करने वाले व्यक्तियों से लिये जाते हैं उसकी समुचित रसीद दी जाती है। यह मार्ग सीधे मिर्जापुर को नहीं जाता है बल्कि अहरौरा-राबर्टसगंज मार्ग में मधुपुर के निकट मिलता है। ऐसी स्थिति में उक्त सड़क को सावजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय बाग, सहारनपुर का कोल्ड स्टोरेज

*२८—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार तारांकित प्रश्न ५५–५६ तथा ५७, १५ फरवरी, १९६५, के संदर्भ में बतायेगी कि जो टेन्डर मांगे बताये गये हैं उनमें केवल ३ की रकम सरकार ने बताई तथा अन्य की रकम नहीं, इसका क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह—

जैसा कि पहले सोमवार (१५–२–६५) के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या ५६ के उत्तर में बताया गया था, ६ फर्मों से कोटेशन मांगे गये थे परन्तु केवल तीन ही फर्मों ने अपने कोटेशन भेजे जिनकी रकम भी बता दी गई थी।

*२९—श्री बालोजी अग्रवाल तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर—

उक्त संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में कितने रुपये के पेड़ उत्तर में कहे बाग से प्रान्त के बाहर भेजे गये ?

श्री चरणसिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गाजीपुर जिले में ऊसर सुधार

*३०—श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जनपद में ऊसर रिक्लेमेशन योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से स्थान लिये गये हैं और उन पर कार्य की प्रगति क्या है ?

श्री चरणसिंह—

गाजीपुर जनपद में ऊसर सुधार का कार्य मुहम्मदपुर, पाली, पहाड़पुर, बेहुला, करकापुर बुजुर्ग, हथौली एवं भदौला गांवों में ८० एकड़ में हो रहा है ।

*३१—श्री राजनाथसिंह—

भूमि संरक्षण योजना के अन्तर्गत इस समय कहां कार्य हो रहा है और उसकी प्रगति क्या है ?

श्री चरणसिंह—

इस समय भूमि संरक्षण का कार्य प्रदेश के २८ जिलों में चल रहा है और इस वर्ष फरवरी, १९६५ तक लगभग २.५० लाख एकड़ में यह कार्य हो चुका है ।

*३२—श्री राजनाथसिंह—

[आठवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ८६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

भूमि संरक्षण योजना

*३३—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में स्वायल कंजरवेशन स्कीम के अन्तर्गत कार्य हो रहा है ?

श्री चरणसिंह—

भूमि संरक्षण योजना के अन्तर्गत इस समय प्रदेश के २८ जिलों में कार्य हो रहा है ।

*३४—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि इस वर्ष इस स्कीम में कितने जिले और शामिल किये गये हैं और क्या उनम मुरादाबाद जिला शामिल है ? यदि नहीं, तो उसे कब तक शामिल किया जायेगा ?

श्री चरणसिंह—

वर्ष १९६४-६५ में ९ जिले और शामिल किये गये ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में मुरादाबाद जिले में भूमि संरक्षण का कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है ।

जालौन जिले में खाद वितरण

*३५—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन को १९६४ में कितना खाद दिया गया तथा कितना बांटा गया और कितना अभी बाकी है ?

श्री चरणसिंह—

जिला जालौन में वर्ष १९६४ में कुल मिलाकर २६७९ टन विभिन्न प्रकार की खादें वितरण के लिये उपलब्ध थीं, जिसमें से ३१ दिसम्बर, १९६४, तक ६७२ टन वितरित की गई और २,००७ टन बाकी रही ।

*३६–३७—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

[७तवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३८—श्री ऊदल—

[हटा दिया गया ।]

माधुरी कुण्ड डेरी का आय-व्यय

*३९—श्री केदारनाथ भार्गव (जिला मथुरा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मथुरा जिले के माधुरी कुंड डेरी फार्म से प्रति दिन कितना दूध बिकता है तथा उस से वर्ष में कितना हानि-लाभ है ?

श्री चरणसिंह—

प्रति दिन ५५० किलोग्राम दूध बिकता है और इससे १९६१–६२, १९६२–६३ तथा १९६३–६४ में क्रमशः ५२,८०३.००, ६३,८७५.१० और ७६,०३६.०३ रुपयों की हानि हुई ।

*४०—श्री केदारनाथ भार्गव—

[७तवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बस्ती तथा अन्य जिलों को सीमेंट

*४१—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में जनवरी, १९६४ से जनवरी, १९६५ तक कितना वैगन सीमेंट बस्ती को मिला ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिला बस्ती को जनवरी, १९६४ से जनवरी, १९६५ तक १४,७७८ मी० टन सीमेंट एलाट किया गया ।

*४२—श्री रणबहादुरसिंह—

क्या खाद्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर में प्रत्येक जिले को उपरोक्त समय में कितने वैगन मिले और बटवारे का आधार क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उपर्युक्त समय में प्रदेश भर में प्रत्येक जिले को जितना सीमेंट अलाट किया गया उसकी सूचना संलग्न है । जिलों को सीमेंट का एलाटमेंट जिले की जनसंख्या, नियोजन के अन्तर्गत निर्माण कार्यों तथा जिलों से प्राप्त त्रैमासिक मांगों तथा उपलब्ध पब्लिक तथा प्लानिंग कोटा के आधार पर किया जाता है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६६२–६६४ पर ।)

*४३—श्री रणबहादुरसिंह—

उक्त सीमेंट में कितना विकास कार्य के लिये था, कितना आम जनता के लिये गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिला बस्ती को उक्त अवधि में ३,१४६ मी० टन सीमेंट आम जनता के लिये तथा ११,६३२ मी० टन विकास कार्यों के लिये एलाट किया गया । कुल प्रादेशिक कोटे में से १,६४,४५५ मी० टन आम जनता के लिये तथा २,९५,९०७ मी० टन विकास कार्यों के लिये समस्त जिलों को एलाट किया गया था ।

बस्ती जिले को सीमेंट

*४४—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बस्ती के विकास खंड, उस्का बजार, खेसरहा, बांसी तथा नवगढ़ में गत दिसम्बर, जनवरी तथा फरवरी, १९६५ में कुल कितना सीमेंट दिया गया तथा किनको किस काम के लिये दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिला बस्ती के विकास खंड उस्का बाजार, खेसरहा, बांसी तथा नौगढ़ को गत दिसम्बर, ६४; जनवरी, ६५ तथा फरवरी, ६५ में कुल ८७४ बोरी सीमेन्ट दिया गया । किन को किस काम के लिये दिया गया, इसका विवरण संलग्न †तालिका 'अ' व 'ब' में दिया हुआ है ।

*४५—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि उपरोक्त स्थानों पर लघु सिंचाई के लिये दिये गये सीमेंट का बड़ी तादाद में दुरुपयोग हुआ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

स्थानीय जांच के आधार पर यह पाया गया है कि लघु सिंचाई हेतु दिये गये सीमेन्ट का उपयोग उसी कार्य में हुआ है ।

ग्राम सभा, बसहरा को वन विभाग का नोटिस

*४६—श्री सालिग्राम जैसवाल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील के अन्तर्गत सोन बनखंड रेंज के बसहरा जंगल के काश्तकारों एवं ग्राम सभा बसहरा को दफा ३८–बी उपधारा (२), इन्डियन फारेस्ट ऐक्ट, के अन्तर्गत नोटिस दी गई है ?

श्री चरणसिंह—

ग्राम बसहरा, परगना खैरागढ़, तहसील मेजा, जिला इलाहाबाद, जो कि सोन वन खंड के इलाहाबाद रेन्ज में पड़ता है, के दावेदारों को भारतीय वन अधिनियम की धारा ३८–बी की उपधारा (२) के अन्तर्गत सरकारी विज्ञप्ति सं० ७६४१/१४–बी—८१४-५९, दिनांक १५ अप्रैल, १९६३ के द्वारा नोटिस दी गई थी कि वे इस विज्ञप्ति के जारी होने की तिथि से ३० दिन की अवधि के अन्दर अपने क्षेत्र के परगनाधीश के यहां अपने आपत्ति पत्र दाखिल करें ताकि वे परगनाधीश द्वारा सुने जा सकें ।

इस ३० दिन की अवधि के समाप्त होने पर उपरोक्त ग्राम बसहरा को सरकारी विज्ञप्ति सं० ५९०१/१४–बी—८१४-५९, दिनांक ४ अक्तूबर, १९६३ के द्वारा भारतीय वन अधिनियम

---

†छापी नहीं गई ।

की धारा ३८–बी की उपधारा (१) के अन्तर्गत अधिसूचित कर दिया गया जिसके फलस्वरूप ग्राम बसहरा में स्थित दावेदारों के जंगलों में ४–१०–१९६३ से १५ वर्षों तक निम्नलिखित कार्यों का निषेध कर दिया गया :

(क) कृषि अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिये भूमि तोड़ना या साफ करना,

(ख) बनस्पति जलाना या उसे साफ करना,

(ग) किसी वृक्ष के तने को गोलाई में काटना (giraling) या उसका रस चुवाना या उसे जलाना अथवा उसकी छाल निकालना ।

(घ) वृक्षों में काट–छांट करना, और

(ङ) वृक्षों का काटना, चीरना, उनका आकार बदलना या उन्हें हटाना ।

*४७––श्री सालिग्राम जैसवाल तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले––

यदि नहीं, तो वहां के किसानों को, जो भूमिहीन हैं, उनको झाड़ियां काट कर खेत बनाने में क्यों रोका जाता है ?

श्री चरण सिंह––

चूंकि ग्राम बसहरा में धारा ३८-बी (२) के अन्तर्गत नोटिस दी जा चुकी है, अतः प्रश्न सं० ४७ उठता ही नहीं ।

सरकारी फार्मों में गल्ले की उपज

*४८––श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)––

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सरकारी कृषि फार्म में कितनी एकड़ जमीन है और उन फार्मों में कितना क्विन्टल गेहूं तथा चना प्रति वर्ष पैदा होता है ?

४९––क्या कृषि मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रति क्विन्टल गेहूं तथा चना पैदा करने पर सरकार का कितना व्यय होता है और इन दिनों खाद्य संकट की विभीषिका को दखत हुये इन सरकारी फार्मों में क्या गल्लों की पैदावार बढ़ी है ? यदि हां, तो किस खाद्यान्न की ?

श्री चरणसिंह––

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

इलाहाबाद में मन्त्री, माघ मेला सलाहकार समिति के विरुद्ध कार्यवाही

*५०––श्री कल्याणचन्द मोहिले––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के कुम्भ मेले में जो १९६५ में लगा था स्थानीय विधायकों ने मैनेजर, माघ मेले, से माघमेला कर्मचारी तथा यूनियन नामक संस्था के नाम से बहुत से बाहर से आये हुये दुकानदारों को कम की रसीद देकर जमीन के मूल्य के अतिरिक्त धन वसूलने की शिकायत की थी ? यदि हां, तो रसीद कितने धन की कितने दुकानदारों को दी गई और उनसे कितना–कितना धन वसूल किया गया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––

जी हां । बाहर से आने वाले ४६ दुकानदारों को १२ रु० प्रति दुकान के हिसाब से रसीदें दी गई थीं । परन्तु वास्तव में उन्होंने ३० रु० के हिसाब से मंत्री, दुकानदार यूनियन, के पास पेशगी जमा किया था । शिकायत प्राप्त होने पर उक्त मंत्री को यह आदेश दिया गया

था कि अगर उन्होंने ऐसा किया हो तो तुरन्त ही संबंधित व्यक्तियों के रुपये लौटा दें। इस पर उक्त मंत्री ने ४६ व्यक्तियों के लिखित प्रार्थना पत्र इस बात के कि उन्हें रुपया वापस मिल गया है लाकर दिये। इस कार्य को अनुचित समझते हुये उक्त मंत्री को माघ मेला सलाहकार समिति की सदस्यता से पृथक कर दिया गया।

जिला पूर्ति कार्यालय, मथुरा में हरिजन कर्मचारी

*५१—श्री कन्हैयालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला पूर्ति कार्यालय, मथुरा, में इस समय कुल कितने चपरासी, क्लर्क व इन्स्पेक्टर कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्येक श्रेणी में कितने-कितने व्यक्ति हरिजन हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

जिला पूर्ति कार्यालय, मथुरा, में कार्य करने वाले विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है :

(१) इन्सपेक्टर	११
(२) क्लर्क	१३
(३) चपरासी	८

उपरोक्त कर्मचारियों में एक क्लर्क तथा एक चपरासी हरिजन हैं।

*५२—श्री कन्हैयालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह बात सही है कि मथुरा का जिला वितरण कार्यालय बहुत सी छोटी किराये की इमारत में स्थित है जिससे जनता को गर्मी व बरसात में बहुत कष्ट होता है ? क्या सरकार इस कार्यालय को शीघ्र ही किसी दूसरी उचित इमारत में बदलने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जिलापूर्ति कार्यालय १४ फरवरी, १९६५, से पहले जिस इमारत में था वह कर्मचारियों की संख्या व जनता की सुविधा को देखते हुए छोटी थी। १४ फरवरी, १९६५, से कार्यालय दूसरी इमारत में स्थानान्तरित कर दिया गया है और वह पहली इमारत की अपेक्षा अधिक सविधा-जनक है।

५३—श्री रामचन्द्र सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

[७तवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

ब्लाक थानाभवन में सीमेंट वितरण

*५४—श्री रामचन्द्रसिंह—

क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर, ब्लाक थानाभवन, को पुराने मकानों की मरम्मत हेतु कितनी सीमन्ट जनवरी सन् १९६४ से जनवरी, १९६५ तक मिली तथा कितनी गांव वालों को और कितनी कस्बे वालों को तथा किस आफिसर द्वारा उक्त सीमेन्ट का वितरण हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ब्लाक थानाभवन, जिला मुजफ्फरनगर, को पुराने मकानों की मरम्मत हेतु जनवरी, १९६४ से जनवरी, १९६५ तक ८६६ बोरी सीमेन्ट मिले। इसमें से ६६६ बोरी गांव

वालों को तथा २०० बोरी सीमेन्ट कस्बे वालों को मिली। उक्त सीमेन्ट का वितरण गांव वालों को बी० डी० ओ० थानाभवन ने और कस्बे वालों को तहसीलदार, कैराना, ने किया।

*५५-५७—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

[सातवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

गोंडा वन खण्डों में बन्दोबस्त

*५८—श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तरी तथा दक्षिणी गोंडा डिवीजन वन विभाग में किस समय से बन बन्दोबस्त शुरू किया गया और कितने एकड़ भूमि की प्रारम्भिक हदबरारी की गई और धारा २० बन अधिनियम के अधीन कितने एकड़ भूमि का विज्ञापन किया गया तथा उपरोक्त कार्य में सरकार का कितना व्यय हुआ ?

श्री चरणसिंह—

उत्तरी तथा दक्षिणी गोंडा वन खंडों में १९५४-५५ से वन बन्दोबस्त का कार्य प्रारम्भ हुआ और ९५,१९६.८९२ एकड़ क्षत्र में प्रारम्भिक हदबन्दी (Preliminary demarcation) की गई। भारतीय वन अधिनियम की धारा २० के अधीन १८३९.८९ एकड़ क्षेत्र को अधिसूचित (Notified) किया गया। उपरोक्त समस्त कार्य में रुपये ६,४६,०२५.५७ पैसे का व्यय हुआ।

फर्रुखाबाद जिले में शुगर कण्ट्रोल आर्डर

*५९—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रूखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि १९६४ के जिला फर्रूखाबाद के अन्तर्गत य० पी० शुगर कन्ट्रोल आर्डर, १९६३ के उपखंड ६ के अन्तर्गत कितने लोगों की शकर उक्त उपखंड के उल्लंघन के कारण अब तक रुकी हुई है तथा उनके न छोड़े जाने के कारण क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अब कोई शक्कर नहीं रुकी हुई है। प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महापालिका की "ग्रीन बेल्ट स्कीम नं० ४०"

*६०—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर नगर महापालिका ने "ग्रीन बेल्ट स्कीम नं० ४०" कब बनाई गई है, तथा इस स्कीम के अन्तर्गत कौन-कौन ग्राम अर्जित (एक्वायर) कर लिये गये हैं ? और कौन-कौन ग्राम अर्जित (एक्वायर) किये जावेंगे ?

*६१—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर नगर महपालिका ने "ग्रीन बैल्ट स्कीम नं० ४०" के अन्तर्गत अर्जित (एक्वायर) की गई भूमि में से कितनी-कितनी भूमि पनकी थरमल प्लान्ट (बिजलीघर) और इन्डिया आयल कारपोरेशन व अन्य संस्थाओं को बेची है तथा किस कीमत व शर्तों पर ?

*६२—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उक्त स्कीम के अन्तर्गत जो भूमि किसानों की कानपुर नगर महपालिका ने अर्जित कर ली है, उसका मुआवजा आज की महंगाई को देखते हुये, बढ़ी हुई दर (रेट) पर कब तक देने की व्यवस्था कर रही है और यहां से किसानों की जीविका व पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*६३—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[७तवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

माण्टेसरी स्कूल द्वारा आदर्श कारागार, लखनऊ देखा जाना

*६४—श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी निकट भूत दिनांक ९ फरवरी, १९६५, को स्थानीय मान्टेसरी स्कूल के अल्प वयस्क बच्चों तथा उनके साथ महिला अध्यापिकाओं के १०० के जत्थों को आदर्श कारागार दे खने की अनुमति अधीक्षक महोदय के द्वारा जेल मैनुअल के अनुच्छेद के विरुद्ध दी गई थी तथा इन बच्चों एवं अध्यापिकाओं को आदर्श करागार का भ्रमण कराया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां, ९ फरवरी, १९६५ को स्थानीय मान्टेसरी स्कूल के विद्यार्थियों, अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के एक समूह ने आदर्श कारागार, लखनऊ, देखा जिसके लिये अनुमति नियमानुसार उक्त कारागार के अधीक्षक ने दी ।

*६५—श्री राधेश्याम शर्मा—

और क्या यह भी सही है कि बच्चों को कैदियों का परिचय कराते समय उन्हें बन्दियों, डाकू तथा चोर के नाम से सम्मानित किया गया ? इस पर नैतिकता का हनन किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं ।

*६६—श्री राधेश्याम शर्मा—

यदि यह सब सत्य है, तो कारागार मंत्री उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

प्रश्न नहीं उठता ।

*६७—श्री कृष्णचन्द —

[७तवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ८५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

विकास खण्ड दहगांव में नाजायज कोयला

*६८—श्री उल्फत सिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन को जिलापूर्ति अधिकारी, बदायूं, द्वारा दिनांक ३ अक्तूबर, १९६४, को कोई ऐसी सूचना मिली कि बदायूं जिले में विकास खंड दहगवां के ग्राम खरीफनगर एग्रीकल्चर सीड स्टोर की सीमा के भीतर कोई नाजायज कोयला पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो उस सूचना पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं ।

डोमा काल्पी ब्लाक, परसपुर का कृषि फार्म

*६९—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि डोमा कल्पी ब्लाक परसपुर, गोंडा में राजकीय कृषि फार्म का रकबा क्या है और तीसरी पंचवर्षीय योजना-काल के वर्षों में उसमें जिन्सों की प्रति एकड़ उपज का ब्योरा क्या है ?

श्री चरणसिंह—

डोमा कल्पी ब्लाक, परसपुर, गोंडा के राजकीय कृषि फार्म का क्षेत्रफल ६० एकड़ है। तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में इस फार्म में पैदा होने वाली मुख्य जिन्सों की प्रति एकड़ उपज का ब्योरा संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६६२ पर।)

*७०—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि उक्त कृषि फार्म की मिट्टी खेती के लिये अनुपयुक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फार्म को छोड़ने की सम्भावना पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो उसकी मिट्टी की किस्म क्या है और उसके हानि–लाभ का ब्योरा क्या है ?

श्री चरणसिंह—

उक्त कृषि फार्म की मिट्टी खेती के लिये अनुपयुक्त नहीं है, यद्यपि कुछ कमजोर है। सरकार इस फार्म की गति विधि (working) के संबंध में हर पहलू पर जांच करने के बाद यह निश्चय लेगी कि इस फार्म को चलाया जाय या नहीं। इस फार्म की मिट्टी की किस्म भूड़ है और इसके हानि लाभ का ब्योरा निम्नलिखित है :

वर्ष	हानि
	रु०
१९६१–६२	७,९४५
१९६२–६३	१०,८५८
१९६३–६४	९,८२४

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में प्रोबेशन की दरख्वास्तें

*७१—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या जेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २७ जून, १९६२, को केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़, के कितने कैदियों की प्रोबेशन की दरख्वास्ते स्वीकार की गई और उनके नाम क्या हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

दिनांक २७ जून १९६२ को केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़, के किन्हीं भी कैदियों की प्रोबेशन की दरख्वास्तें शासन द्वारा स्वीकार नहीं की गई।

*७२–७३—श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर) तथा श्री द्वारका प्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)—

[७वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये]।

बहजोई ब्लाक में सीमेंट

*७४—श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)—

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ब्लाक बहजोई के निवासियों को सीमेंट का कोटा सम्भल के स्टाकिस्ट से कर दिया है और असमोली ब्लाक के निवासियों को सीमेंट का कोटा बहजोई के स्टाकिस्ट से कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

जी हां। ऐसा सीमेन्ट के समय अभाव को दूर करने के लिये ही किया गया था, ताकि अल्प सिंचाई योजनाओं की पूर्ति की जा सके।

*७५—श्री जुगल किशोर—

क्या सरकार बहजोई तथा असमोली के ब्लाक के कृषकों को सीमेंट ले लेने में जो परेशानी हो रही है, उसे शीघ्र से शीघ्र पूरा करके फिर से पहले जैसी व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यथासंभव प्रयत्न यही किया जाता है कि प्रत्येक क्षेत्र के निवासियों को उनके क्षेत्र में ही सीमेन्ट प्राप्त हो।

करनलगंज नगरपालिका कर्मचारियों का शेष वेतन

*७६—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोंडा जिला की करनलगंज नगरपालिका के समस्त कर्मचारियों की ७ माह की तनख्वाह बाकी है और उसे प्राप्त करने के लिये उनकी यूनियन ने जिलाधीश गोंडा और श्रमायुक्त को ऐसी सूचना भेजी है कि २८ फरवरी, १९६५, तक यदि वेतन न दिया तो प्रभावशाली कदम उठायेंगे ? यदि हां, तो वेतन दिलाने के लिये सरकार ने क्या किया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं। कर्मचारी यूनियन ने अध्यक्ष, नगरपालिका, करनलगंज, को लिखा था कि यदि १५ दिन के अन्दर बकाया वेतन का भुगतान न हुआ तो समस्त कर्मचारी नगरपालिका का कार्य बन्द कर देंगे। नगरपालिका ने अपनी बैठक दिनांक ३ मार्च, १९६५, द्वारा उचित मांगें अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार स्वीकार कर लीं। नगरपालिका इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि सभी कर्मचारियों का बकाया वेतन वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के अन्त तक पूरा-पूरा चुकता कर दे।

*७७—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[हटा दिया गया।]

*७८—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—

[हटा दिया गया।]

सीतापुर जिले को सीमेंट [illegible]

*७९—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६१–६२, १९६२–६३, १९६३–६४ व १९६४–६५ में सीतापुर जिले को कितना सीमेंट एलाट हुआ था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वित्तीय वर्ष १९६१–६२, १९६२–६३, १९६३–६४, व १९६४–६५ में सीतापुर जिले को जितना सीमेंट एलाट हुआ उसके आंकड़े निम्न प्रकार हैं;—

वित्तीय वर्ष				एलाटमेंट मी० टन में
१९६१–६२	..	..	..	५,४४५
१९६२–६३	..	..	..	४,६२३
१९६३–६४	..	..	..	४,११४
१९६४–६५	..	..	..	४,११७
			योग ..	१८,२९९

*८०—श्री गनेशीलाल चौधरी—

इस अलाटमेंट में से उक्त दिनों कितना सीमेंट सीतापुर को प्राप्त हुआ और क्या सरकार बकाया सीमेंट ऐडहाक बेसिस पर सीतापुर जिले में देने की कृपा करेगी कि जिससे सीतापुर के बाकी प्लान पूरे हो सकें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस अलाटमेंट में से उक्त वर्षों में जितना सीमेंट सीतापुर जिले को प्राप्त हुआ उसके आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

वित्तीय वर्ष				प्राप्ति मी० टन में
१९६१–६२	..	..	..	७,८६८
१९६२–६३	..	..	..	५,२५९
१९६३–६४	..	..	..	४,४९४
१९६४–६५	..	..	..	१,७५७
			योग ..	१९,३७८

प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*८१–८२—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

[सातवें सोमवार के लिए स्थगित किये गये।]

*८३—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

[नवें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

फतेहपुर जिले में थरियांव पड़ाव पर नजूल भूमि

*८४—श्री रघुवीरसहाय कंथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर के अन्तर्गत थरियांव पड़ाव पर कुछ सरकार की परती नजूल भूमि है ? यदि हां, तो उसका नम्बर व रकबा क्या है और उसकी देख -भाल का प्रबन्ध किसके द्वारा होता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिला फतेहपुर के अन्तर्गत थरियांव में पड़ाव एवं सराय पर जो सरकार की पर्ती नजूल भूमि है उसका नया नम्बर ४२५२ है और उसका रकबा २ बीघा, १६ बिस्वा है। यह भूमि जिला परिषद् फतेहपुर के प्रबन्ध में है।

*८५—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त कथित थरियांव की पर्ती नजूल भूमि के कितने भाग पर किन-किन लोगों ने कब-कब किसकी इजाजत से मकान बना लिया है और उसका कितना भाग इस समय पर्ती पड़ा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उक्त कथित थरियांव की पर्ती नजूल भूमि के २ बिस्वा १४ बिस्वांसी भाग पर श्री सुखदेव (हरिजन), ६ बिस्वा ९ बिस्वांसी भाग पर श्री शिव बरन सिंह तथा ४ बिस्वांसी पर श्री सुखराम ने बिना किसी को इजाजत के मकान बना लिया है। और शेष भूमि २ बीघा ५ बिस्वा तथा ९ बिस्वांसी पर्ती पड़ी है। श्री शिव बरन सिंह का मकान बहुत पुराना बना हुआ है और सर्वश्री सुखदेव तथा सुखराम ने २–३ वर्ष के अन्दर मकान बनवाये हैं।

*८६—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या यह सही है कि उक्त कथित थरियांव की नजूल भूमि पर करीब २–३ वर्षों में अब तक में जिन असरदार व्यक्तियों ने मकान बना लिये हैं उनके विरुद्ध जिला परिषद् अथवा जिलाधीश, फतेहपुर ने तो कोई कार्यवाही नहीं की किन्तु उस भूमि पर एक हरिजन द्वारा मकान बना लेने पर उसके विरुद्ध दफा १३३ का मुकदमा चला कर उसका मकान जबरन गिरा दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसी दुतरफा कार्यवाही का मुख्य कारण क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह सही नहीं है कि असरदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध जिला परिषद् द्वारा कार्यवाही की जा रही है। यह भी सही नहीं है कि हरिजन का मकान जबरन गिरा दिया गया। उक्त स्थिति में दुतरफा कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजनान्तर्गत बरेली जिले से प्रार्थना-पत्र

*८७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक, लखनऊ, की हाउसिंग शाखा में बरेली के निम्न वर्ग आय सम्बन्धी कितने प्रार्थना-पत्र ऐसे पड़े हुये हैं जिनको कर्ज देना स्वीकार हुये। १ वर्ष से ऊपर हो गया और भवन-निर्माण के लिए अब तक कर्जा न देने का कारण क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत बरेली जिले के ऐसे ६१ प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक में पड़े हैं, जिनमें १ वर्ष से अधिक हो जाने पर भी ऋण नहीं दिया जा सका है।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक द्वारा अल्प आय तथा मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजनाओं के अधीन ऋण वितरण कार्य पर रिजर्व बैंक आफ इन्डिया द्वारा आपत्ति उठाये जाने के कारण कोआपरेटिव बैंक को नये ऋण स्वीकृत करना स्थगित कर देना पड़ा।

*८८—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[सातवें सोमवार के लिए स्थगित किया गया]

अतारांकित प्रश्न

गुलाबबाड़ी, इलाहाबाद के क्वार्टर

१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद, नगर मुहल्ला अटाला (गुलाबबाड़ी) के सरकारी धन से जिसमें लाखों रुपया व्यय हुआ है सैकड़ों क्वार्टर बनवाये गये हैं जो ४ वर्ष पूर्व बन चुकने के बाद भी आबाद नहीं किये गये? यदि हां, तो यह क्वार्टर किन लोगों के लिए सरकार ने बनवाये हैं और उनको न बसाने के क्या कारण हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

५,३५,०९१ रुपया की लागत से इलाहाबाद में १४४ क्वार्टर बनवाये गये हैं, जिनमें से २४ क्वार्टर फाउल टैंक क्षेत्र में हैं तथा १२० क्वार्टर गुलाबबाड़ी मुहल्ले में हैं। ये क्वार्टर अप्रैल, १९६१, से खाली पड़े हैं। ये क्वार्टर उन व्यक्तियों को देने के लिए हैं जो फाउल टैंक गन्दी बस्ती सुधार योजना से निष्कासित किये जायेंगे। चूंकि संशोधित योजना अभी तक कार्यान्वित नहीं की जा सकी है और भूमि अर्जन की कार्यवाही भी प्रारम्भ नहीं हुई है, अतः इन क्वार्टरों का आवंटन अभी नहीं हो सका है।

२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया उपरोक्त बने हुये क्वार्टरों की जांच करवायेगी और क्या यह सच है कि उन क्वार्टरों का बहुत सा सामान न बसने के कारण गायब हो गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

क्वार्टरों के न बसने के कारण कोई विशेष सामान गायब नहीं हुये हैं, क्योंकि क्वार्टरों की देख भाल के लिए चौकीदार नियुक्त किये गये हैं।

प्रश्नों में अंग्रेजी वाक्यांश लिखने पर आपत्ति

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, नत्थी (ग) के १३ वें सवाल में क्रमशः (१) तथा (२) में "मैनुअल आफ कन्ट्रोल आर्डर्स" और "सर्विस रूल्स आफ गजेटेड ऐन्ड नान-गजेडेड स्टाफ", लिखा गया है। मैं आप की इस सम्बन्ध में व्यवस्था चाहता हूं। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि इस तरह के वाक्यांश या तो हिन्दी में ही लिख दिये जायें या फिर अंग्रेजी में लिखे जाकर भी हिन्दी में लिखे जा सकते हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, नत्थी (ग) के प्रश्न संख्या ५ की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष—

यह तो यहां नहीं हो सकेगा। कोई प्राग्दर्शन की बात हो, जैसा माननीय कल्पनाथसिंह जी ने कहा, तो ठीक है। आदरणीय सदस्यगण ध्यान रक्खें कि देवनागरी लिपि में अंग्रेजी शब्दों को भी लिख दिया करें।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, यह सदस्यों का काम नहीं, आपके आफिस का काम है।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, यह सदस्यों को ही करना होता है।

उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० में प्रख्यापित संशोधन*

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६०, में, खाद्य तथा रसद विभाग की विज्ञप्ति संख्या डब्लू० एम० आर० ए० एम०-३८४/२९-डी०--४०-डब्लू० एम०--६४, दिनांक २२ फरवरी, १९६५, के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९, की धारा ४३ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति†

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, १९४८, की धारा ३-क के अधीन प्रख्यापित वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-१४७०/१०--९०२(६३)-५०, दिनांक १५ मार्च, १९६५, को उक्त धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में उपलवृष्टि के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास माननीय मतोला सिंह, माननीय रक्षपाल सिंह, माननीय रघुबीर सहाय तथा माननीय दीपनारायण सिंह जी की ओले और वर्षा से जो फसलों को भीषण क्षति पहुंची है, उनके सम्बन्ध में सूचनायें आयी हैं। मैंने उन्हें स्वीकार किया है। लेकिन मैं माननीय राजस्व मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो दोबारा वर्षा और उपलवृष्टि सारे प्रदेश में हुई है विस्तृत रूप में, उसके सम्बन्ध में फिर एक बयान पूरे प्रदेश भर का आप दे दें।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

मैं इन्क्वायरी कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

इन्क्वायरी कराके १९ की बैठक में यानी छुट्टी के बाद दे दीजियेगा। २० तारीख को प्रदेश की, दे दीजियेगा।

---

*छापे नहीं गये।

†छापी नहीं गयी।

लखनऊ में दूध के अभाव के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

चिकित्सा मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

लखनऊ सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ ने, जोकि १९३८ में संगठित हुआ था, वर्ष १९४७–४८ में दुग्ध शुद्ध करने वाला (Pasteurization) प्लान्ट स्थापित किया जिसकी प्रति दिन २५० मन दूध शुद्ध (Pasteurize) करने की क्षमता (capacity) थी। आरम्भ में संघ ने केवल ५० मन दूध प्रति दिन इकट्ठा करना शुरू किया परन्तु यह मात्रा धीरे धीरे बढ़ती गयी। बाद में संघ ने सरकार की सहायता से एक नया प्लान्ट स्थापित किया जिसका कार्यारम्भ अक्तूबर, १९६३ में हुआ। वर्ष १९६४–६५ के पूर्वार्द्ध तक दुग्धशाला औसतन ३९० मन दूध प्रति दिन इकट्ठा करने लगी। अगस्त–सितम्बर के महीनों में यह मात्रा ४३० मन प्रति दिन तक पहुंच गयी थी। नवम्बर-दिसम्बर, १९६४ में दूध की इस मात्रा में अवश्य कमी हुई, परन्तु जनवरी–फरवरी, १९६५ के महीनों से दूध की मात्रा फिर बढ़कर लगभग ४०० मन प्रति दिन तक पहुंच गयी है। सब बातों को देखते हुये, लखनऊ सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा इकट्ठा किये जाने वाले दूध की मात्रा में पिछले वर्षों में वृद्धि ही हुई है तथा गत वर्ष यह मात्रा लगभग स्थिर रही है।

नवम्बर, १९६४ में मेसर्स नारंग मिल्क प्रोडक्ट्स फैक्टरी ने कार्यारम्भ किया। शासन के पास इस फैक्टरी द्वारा किये जाने वाले व्यापार के आंकड़े नहीं हैं फिर भी ऐसा अनुमान है कि इस फैक्टरी में लगभग १५० मन दूध की प्रति दिन खपत हो रही है और इसकी क्षमता ५०० मन दूध प्रति दिन तक की है। यह भी पता चलता है कि यह फैक्टरी मक्खन निकाले हुये दूध के पाउडर (Skimmed Milk Powder) को प्रदेश के बाहर भेजती है। सहकारी दुग्धउत्पादक संघ, लखनऊ, तथा मेसर्स नारंग मिल्क प्रोडक्ट्स फैक्टरी इन दोनों के द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले दूध की मात्रा पूरे लखनऊ शहर में दूध की खपत की मात्रा (जिसका अनुमान लगभग २,७०० मन प्रति दिन किया जाता है) का केवल एक अंश मात्र हैं। अतः किसी भी गम्भीर परिस्थिति के उत्पन्न होने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी जनता के उपयोगार्थ अधिक से अधिक शुद्ध (Pasteurized) दूध की मात्रा उपलब्ध करने के उद्देश्य से सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि दूध-निर्मित पदार्थों का उत्पादन करने वाली नयी फैक्टरियों की स्थापना पर कितना और किस प्रकार नियन्त्रण लगाया जा सकता है तथा इस प्रकार दूध निर्मित्त पदार्थों को राज्य से बाहर भेजने पर किस प्रकार रोक लगायी जा सकती है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि दूध उत्पादक संघ जो कि सन् १९४७ में ४०० मन दूध देता था और उसमें २०० मन ही दूध आने लगा, क्योंकि नारंग की फैक्टरी महाराष्ट्र को दूध का पाउडर बना कर भेजती है। तो जब नारंग साहब ने फैक्टरी के लिए दरख्वास्त दी कि लखनऊ के आस-पास का दूध महाराष्ट्र को भेजेंगे तो उनको फैक्टरी लगाने की उत्तर प्रदेश सरकार ने परमिट क्यों दे दी?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस फैक्टरी ने कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया, और न सरकार ने कोई आज्ञा ही दी।

श्री उग्रसेन—

क्या यह सही है कि फिर यह बिना लाइसेंस, बिना हुक्म, जबरदस्ती इनके क्षेत्र में अधिकृत होकर चल रही है? यदि हां, तो उसके विरुद्ध सरकार कौन सी कार्यवाही करन जा रही है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जो आज कानून है उसके अनुसार फैक्टरी को इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी लागत २५ लाख से कम होती है। अगर उससे अधिक की लागत हो तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ती है और प्रदेशीय सरकार को सिफारिश करनी पड़ती है। लेकिन चूंकि उसकी लागत २५ लाख से कम रही है, इसलिए ऐसी जरूरत पेश नहीं आयी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि डेढ़ सौ मन दूध प्रति दिन, जैसी कि कमी पड़ गयी है, उसके लिए अन्य साधन क्या-क्या सोचे गये और इस संबन्ध में इस दूध की डेरी के द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

अध्यक्ष महोदय, कोई दूध की कमी नहीं पड़ी है। जो अक्तूबर, १९६३ में ३७७ मन दूध होता था जो कि सहकारी संघ लेता था वह १९६४-६५ में ४३० मन लिया। नवम्बर-दिसम्बर में यह फैक्टरी लगी। नवम्बर, १९६३-६४ में ३४२ मन लिया सहकारी संघ ने, और सन् १९६४-६५ में ३८५ मन लिया और दिसम्बर में ३६४ मन लिया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, दूध की कितनी कमी है यह तो विधायक निवास वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं। माननीय मन्त्री जी मानते हैं कि नारंग फैक्टरी १५० मन दूध प्रति दिन खरीद रही है फिर भी वह कह रहे हैं कि कमी नहीं है।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

श्रीमन्, मैं जवाब दे रहा हूं, फिर मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य बीच में किस कायदे के अनुसार बोल रहे हैं।

मैं अर्ज कर रहा था कि नवम्बर-दिसम्बर, में ४५-५० मन की कमी जरूर रही लेकिन जनवरी में फिर ४०० मन हो गया। जनवरी, १९६३-६४ में जहां ३४७ मन था उसके मुकाबले में १९६४-६५ में ४०० मन दूध हो गया। इसलिए दूध की कोई कमी नहीं हुई।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इधर दूध के मूल्य में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है और क्यों हुई है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

अप्रैल, १९६४ के पहले ७४ पैसे लिटर था, उसके बाद से दूध की कीमत ८० पैसे प्रति लिटर रखी गयी है।

श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)—

जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा—मैं मान लेता हूं कि दूध की कमी नहीं है और यह भी मान लेता हूं कि नारंग इन्डस्ट्री जो खोली गयी है उसको रोकने की भी क्षमता सरकार के पास नहीं है, परन्तु इस बात में माननीय मन्त्री जी से मैं मतभेद रखता हूं कि दूध की कमी नहीं है। मैं उनको अवगत कराना चाहता हूं और उनसे पूछता हूं कि वे हम लोगों को बतलावें कि नारंग इन्डस्ट्री के कम्पिटीशन के कारण ही सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ को १० पैसे प्रति लिटर दूध का मूल्य बढ़ाना पड़ा जिससे उसे लगभग ४२ हजार रुपये का घाटा हुआ, फिर भी उसने प्राहकों पर मूल्य नहीं बढ़ाया, और अधिक फैट निकाल कर टोन्ड (Toned) मिल्क देना शुरू कर दिया है जिसमें ३.५ परसेंट के बजाय ४ पर सेंट फैट है। इस प्रकार से यह एक बड़ा प्राब्लम है कि...

श्री अध्यक्ष—

यह तो बहस है। आप प्रश्न पूछें।

श्री कृष्णपालसिंह—

जो १० पैसे प्रति लिटर कीमत बढ़ानी पड़ी उस के कारण आज दूध की कमी नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि नारंग इन्डस्ट्री के साथ इसी तरह का कम्पिटीशन रहा तो मूल्य बढ़ेगा और उसकी वजह से दूध की कमी हो जायगी। फिर भी क्या माननीय मन्त्री जी समझते हैं कि आगे दूध की कमी नहीं रहेगी? यदि रहेगी, तो उसके लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

माननीय सदस्य ने दफा ५२ के अन्तर्गत जो सूचना दी है, उससे मालूम होता है कि उनको खुद गलतफहमी है। उन्होंने सूचना दी है कि दुग्ध उत्पादन संघ द्वारा १ हजार मन दूध रोज इकट्ठा हुआ करता था लेकिन नारंग इन्डस्ट्री के खुल जाने से अब केवल ४०० मन दूध ही इकट्ठा हो पाता है। इस तरह से उनके दिमाग में यह बात है कि जहां पहले १ हजार मन दूध आता था वहां अब केवल ४०० मन आता है, इस तरह से ६०० मन दूध की कमी हो गयी। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। लखनऊ में तो ३ हजार मन रोजाना की जरूरत पड़ती है जबकि यहां केवल सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ द्वारा ४०० मन और नारंग इन्डस्ट्री द्वारा १५० मन दूध खरीदा जाता है, जो करीब ५५० मन हुआ। जबकि लखनऊ की जरूरत लगभग ३ हजार मन रोज की है। इसलिए यह कोई असन्तोष या परेशानी की बात नहीं है। जहां तक कमी दूर करने के लिए उपाय करने की बात है, उसके लिए हम चाहते हैं कि जो कैटल ओनर्स हैं उनको लोन दें जिस से वे अच्छे जानवर खरीद सकें। दूसरे संघ कोशिश कर रहा है कि नये क्षेत्र और तलाश करे जहां से कि दूध ज्यादा इकट्ठा किया जा सके। दूसरे, जैसा कि मने कहा है, दूध की अधिक मात्रा उपलब्ध करने के उद्देश्य से सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि दूध निर्मित पदार्थों का उत्पादन करने वाली नयी फैक्टरियों की स्थापना पर कितना और किस प्रकार नियन्त्रण लगाया जा सकता है तथा इस प्रकार दूध निर्मित पदार्थों को राज्य से बाहर भेजने पर किस प्रकार रोक लगायी जा सकती है। अगर इस दिशा में विचार कर के सरकार किसी नतीजे पर पहुंची तो निश्चय ही हम इस कमी पर काबू पा लेंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

साथी सदस्यों ने जो प्रश्न किया कि क्या यह सही है कि दस नया पैसा मूल्य कोआपरेटिव यूनियन को बढ़ाना पड़ा और जो दूध में फैट की मात्रा होती थी उसको कम करना पड़ा इस लिए कि वह बढ़े हुये मूल्यों का सामना कर सकें?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह तो कार्मशियल संस्था है, वह तो दूध की, मक्खन की मात्रा कम ज्यादा करते रहते हैं लेकिन यह सोचने की बात है कि अप्रैल, सन् १९६४, से कोई बढ़ोत्तरी रेट की नहीं की गयी है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

यह देखते हुये कि नारंग की फैक्टरी देहात से १ रुपया सेर के हिसाब से दूध खरीदकर पंजाब में साढ़े ८ के हिसाब से बेचती है और साढ़े ७ रुपये का लाभ उठाती है, क्या इसको रोकने की सरकार कोई व्यवस्था करेगी और कोआपरेटिव मिल्क यूनियन का क्षेत्र निर्धारित करेगी जिस तरह से कि गन्ने का क्षेत्र निर्धारित होता है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मैंने तो वक्तव्य में पहले ही कहा है कि सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

श्री उग्रसेन—

मन्त्री जी ने बताया कि लखनऊ में ३ हजार मन दूध की रोजाना खपत है, यह आंकड़े उनके पास कैसे आये ? साढ़े ६ लाख की जो आबादी है उसको ५ औंस के हिसाब से लगाया जाय तो ३,००० मन तो आता नहीं है। कौन-कौन-सी एजेंसीज से वह आता है, ४०० मन का एक हिसाब बताया गया और डेढ़ सौ मन का एक है और बाकी किस एजेंसी से लखनऊ शहर का दूध मिलता है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

७ लाख की यहां की आबादी है, जितना दूध रोज आता है उसकी तफसील तो नहीं है कि किस बेसिस पर यह आंकड़े इकट्ठा किये हुये हैं...

श्री उग्रसेन—

जब यही नहीं मालूम तो क्या हवा में उड़ा रहे हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस हवाबाजी की बात को आप रखें, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही नामुनासिब चीज है, मैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता हूं...

श्री अध्यक्ष—

उग्रसेन जी, आप जवाब सुनते नहीं हैं। बीच में इस तरह से बात करते हैं, आप बैठ जायं।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह से जो बीच में मदाखलत होती है, वह कानून और नियम के भी विरुद्ध है।

श्री उग्रसेन—

आप कोई अध्यक्ष नहीं हैं, आप मन्त्री ही हैं, आप चुप रहिये। आप कोई सर्मन पढ़ रहे हैं यहां ?

श्री अध्यक्ष—

सर्मन की बात नहीं है, अपील तो वह मुझ से कर ही सकते हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

वह मन्त्री जी से...

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं। उनका प्रश्न यह है कि शेष दूध कहां से आता है, इसकी आपको सूचना है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

विभाग ने जो अन्दाजा लगाया है और आंकड़े दिये हैं वह सूचना मेरे पास है और वही मैंने बयान में दी है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि प्रदेश में दूध का पाउडर बनाने की फैक्टरी बहुत बढ़ रही है, एक कारखाना एटा में लिवर ब्रादर्स का खुला है और दूध यहां भी ऊंचे

भाव में वहां जाता है और जरूरतमन्द गरीब जनता को नहीं मिलता, वह लोग इस रोजगार में काफी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जो कि पहले से ही पैसे वाले हैं, तो क्या सरकार इस पर कोई प्रतिबन्ध लगाने जा रही है कि इस तरह से शहर के करीब दूध का पाउडर बनाने के लिए दूध न लिया जा सके ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

कानूनी दृष्टि से सरकार इस पर विचार कर रही है और तभी इसका फैसला होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिस प्रकार से दूध का अभाव लखनऊ शहर में है, उसी प्रकार से प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में, जैसे कानपुर इत्यादि में भी, दूध की काफी कमी है, जिस की वजह से गरीब लोगों को तथा छोटी आमदनी वालों के बच्चों को दूध बिलकुल नहीं मिल पाता है। तो क्या सरकार इस प्रकार का प्रयास करने जा रही है, जिससे छोटी आमदनी के लोगों को दूध मिल सके ? सरकार अपनी तरफ से कोई योजना बना रही है, जिससे बड़े शहरों में दूध मिल सके ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

दूध बेचने का तरीका तो यही है कि दुग्ध सहकारी संघ नियत मूल्य पर दूध देते हैं और दूसरा तरीका है, खुले बाजार में बेंचने का।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

यह प्रश्न दुग्ध सहकारी संघ के बारे में है। इस पर मन्त्री जी ने स्वीकार किया कि ५०० मन तक दूध देते हैं। परन्तु नयी कम्पनी खुल जाने से वह मात्रा घटकर ४०० मन या कुछ उसके आस पास हो गयी है, इससे दूध का अकाल पड़ गया है, जैसे दारुलशफा अस्पताल आदि में जहां निश्चित मात्रा में दूध जाता था, अब वह नहीं जाता है। तो जितनी मैक्सिमम दूध की सप्लाई करने की कैपेसिटी दुग्ध सहकारी संघ की थी, उसको पूरा करने की कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सहकारी समिति जितना दूध खरीदती थी, उसमें कमी नहीं हुई है। मैंने तो आंकड़े बता दिये।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि प्राइवेट सेक्टर से निकाल कर पब्लिक सेक्टर में दूध की कम्पनी खोलने की कोशिश भविष्य में वे करेंगे तथा प्राइवेट सेक्टर में जो कम्पनी खुल रही है, उनको कम्पेंनसेशन देकर एक्वायर करेंगे ?

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

दूध का कारखाना कोई इतने बड़े पैमाने की चीज नहीं है जो पब्लिक सेक्टर में खोला जाय। कारखाना अगर बनेगा तो कोआपरेटिव सेक्टर में अच्छा रहेगा। यह भी मैं बता दूं कि यह बात सही है कि जहां दूध का कारखाना खोला है, फिलहाल वहां दिक्कत है। मैंने लीवर ब्रदर्स के कारखाने को देखा है, उनकी योजना है कि चारों तरफ के इलाके में गाय की नस्ल को इम्प्रूव करेंगे, ऐनिमल हस्बैन्डरी में मदद करेंगे, फाडर इम्प्रूव करेंगे ताकि उन को सप्लाई मिलती रहे, और लोकल सप्लाई कम न हो। मैंने उनका ध्यान इस ओर दिलाया कि अगर लोकल सप्लाई कम होगी, तो यह गलत होगा। यह कारखाना अपनी तरफ से वहां का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है।

श्री उग्रसेन—

जिस प्रकार इंग्लैन्ड में मिल्क बोर्ड है और पूरा इंग्लैन्ड ११ जोन्स में बंटा हुआ है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश को बांटकर इस दूध के मसले को सरकार अपने हाथ में लेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५*

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह बिल जिसके जरिये से भूमि सम्बन्धी कई अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव है उनके सब मूल अधिनियम अंग्रेजी में हैं, लेकिन जिन खंडों में संशोधन का प्रस्ताव है, उनका हिन्दी अनुवाद विधेयक के साथ दे दिया गया है केवल १ को छोड़कर लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट अंग्रेजी में है और जिन खंडों में संशोधन किया जा रहा है वे खंड भी इसमें अंग्रेजी में दिये गये हैं, लेकिन संशोधन हिन्दी में दिया जा रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि अंग्रेजी के मूल खंड में हिन्दी का संशोधन कैसे फिट किया जायगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उसका ट्रांस्लेशन जो होगा उसी में लगा दिया जायगा। हमें हिन्दी का प्रचार करना है और अगर इस बात का इन्तजार करें कि पहले लैंड रेवन्यू एक्ट पूरा हिन्दी में ट्रांस्लेट हो जाय तब संशोधन करें, तो इसमें गड़बड़ होगी और समय भी बहुत लगेगा।

श्री अध्यक्ष—

जब यहां भाषा विधेयक पर बहस हुई थी, तब दोनों तरफ से यह सुझाव आया था कि अगर अंग्रेजी अधिनियमों में, जो पहले से चले आ रहे हैं, संशोधन करना हो, तो वह विशेष धारा जिसका संशोधन हो रहा है, हिन्दी में अनूदित कर दी जायगी और यह संशोधन उसी में समाविष्ट होगा। उसी के आदर के लिए यह किया जा रहा है।

श्री भीखा लाल—

श्रीमन्, मैं वही कह रहा हूं, जो आपने कहा। लैन्ड रेवन्यू ऐक्ट अंग्रेजी में है।

श्री अध्यक्ष—

एक सेक्शन जिसका संशोधन हो रहा है, उसका हिन्दी अनुवाद कर दिया गया है।

श्री भीखालाल—

नहीं है इसमें।

श्री अध्यक्ष—

वह कर दिया जायगा।

श्री भीखा लाल—

वह इस बिल के साथ होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

---

*३१ मार्च, १९६५, की कार्यवाही में छपा है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि बहुत से बिलों का अनुवाद करा देंगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस काम के लिए कितना स्टाफ लगा है और इस बारे में क्या हो रहा है तथा क्यों नहीं सारे अधिनियम हिन्दी में ट्रांस्लेट अभी तक हो सके ।

श्री अध्यक्ष—

यह फिर पूछ लीजियेगा । इस समय इसको चलने दीजिये ।

*श्री हुकूमसिंह विसेन—

अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्तसरन चन्द बातें इस विधेयक में जो हैं, उनका जिक्र कर देना चाहता हूं । इतने वर्षों से ये विधेयक हैं और तजुर्बे में जो दिक्कतें आयी हैं, उनके आधार पर हमने इसमें संशोधन किये हैं । एक बात हमने यह कर रक्खी है कि गांव सभाओं को तो इस बात का अधिकार है कि अगर उसकी किसी जमीन का बकाया इरिकवरेबिल हो तो राइट-आफ कर सकती है, लेकिन लोव ल हाडीज ऐसा नहीं कर सकती । तो हम उनको भी अधिकार देना चाहते हैं कि वह भी इरिक वरेबिल मालगुजारी को राइट-आफ कर सकें । एक शिकायत वक्तन-फवक्तन आती रही और जहां कहीं मैं गया सुना भी,जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में एक दफा में यह दिया हुआ है कि अगर किसी खाते का एक जुज डिस्प्युटेट हो जाय तो काश्तकार को पूरे खाते का दावा करना पड़ेगा, अपने राइट को डिक्लेअर कराने के लिए । यह दावा उसी जुज का होना चाहिये । इसलिए हम यह कर रहे हैं कि उसी जुज का दावा वह कर सके । बस्ती, जौनपुर तथा अन्य जिलों से शिकायतें आयी हैं कि चकबन्दी के बाद दफा ५२ में जो नोटिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद रिकार्ड मैप, खसरा खतौनी तैयार होते हैं । उनमें गलतियां हो जाती हैं । लेकिन दफा २७ (२) जो चकबन्दी अधिनियम की है, उसकी रू से वह फाइनल हो जाता है, और उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता जिसकी वजह से जो ऐग्रीव्ड हैं उन्हें रिमेडी नहीं दे सकते । अब हम यह कर रहे हैं कि ऐसी गलतियों को ठीक करने का अधिकार हमको हो जाय । इसमें हम यह कर रहे हैं कि जो प्रिजम्प्शन होगा वह रिबेटेबिल होगा । इसलिए इसमें जो डिलीबरेट गलतियां रह जाती हैं, उनको दुरुस्ती हो जाय ।

जमींदारी अबालिशन और कुमायूं डिवीजन एबालिशन ऐक्ट में एक ओवरलोपिंग हो गई और वह यह कि तराई भावर में जो गवर्नमेंट स्टेट है, उसमें टेनेंसी ऐक्ट के आधार पर काम चल रहा था और वही लागू था, जिसमें भूमिधर, सीरदार और आसामी हैं, जबकि कुमायूं डिवीजन एबालिशन ऐक्ट में खायकर और सीरतान हैं । तो उन दोनों टेन्योर्स में तालमेल नहीं है । इसलिए कुमायूं डिवीजन एबालिशन ऐक्ट का भी प्राविजन निकाल देंगे और जमींदारी एबालिशन ऐक्ट से वह चीज गम्भीर हो जायगी । दूसरी बात यह है बहुत से बिजनेस अन्डरटेकिंग्स हैं, जैसे शुगर मिल । वह अगर हमारे देय धन नहीं देती हैं तो बतौर मालगुजारी के वसूल कर सकते हैं और अटैच कर सकते हैं । इसमें एक दिक्कत यह हो सकती है कि अगर उसकी प्रापर्टी को अटैच कर लें, तो शुगर फैक्टरी का चलना बन्द हो जाय और लेबर भी बेकार हो जायं । नेबरिंग वाले बेकार हो जायं और किसानों का भी अहित हो । हम इस प्रोसीजर में तरमीम लाये हैं । यह कोई सबस्टैन्शियल या बेसिक बात नहीं है ।

दूसरी चीज हमने यह देखी है कि हम गांवों के मुकदमों के लिए कोई पैनल लाइयर एप्वाइंट नहीं कर सकते हैं । जिलों के लिए तो कर सकते हैं । लेकिन आयुक्तों के न्यायालयों, राजस्व परिषद् और उच्च न्यायालय में गांव सभा के पैनेल के वकीलों की नियुक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं है । लिहाजा हमने इसमें प्राविधान किया है कि ऐसे पैनेल मुकर्रर करने की इजाजत दी जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

इसके अलावा हम कन्सालिडेशन ऐक्ट में एक तरमीम कर रहे हैं। अभी तक इसमें सहकारी समितियां, गवनमेंट के लेसीज नहीं आते हैं। अतः यह मांग है कि उनको भी कन्सालिडेशन में कर दिया जाय। कभी-कभी यह होता है कि चारों तरफ तो टीनेंट्स होते हैं और बीच में वह पड़ते हैं जिससे हमारा कन्सालिडेशन का काम रुक जाता है और कन्सालिडेशन की स्कीम विफल हो जाती है। इसके अलावा और जो छोटी-छोटी दिक्कतें हमारे सामने आयी हैं, उनके लिए भी कांसीक्वेंशियल अमेंडमेंट हम लाये हैं। हमने अपने जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के बेसिक प्रिंसिपल को टच नहीं किया है।

इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि इन्हें स्वीकार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, इस सम्बन्ध में मुझे कुछ कठिनाई है। जो माननीय भीखा लाल जी ने प्रश्न उठाया है, उसके ऊपर आप हमें अवगत करा दें। यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट को आपने अंग्रजी में ही दिया है। उसी एक्ट में संशोधन कर रहे हैं। ये संशोधन अंग्रेजी में है। माननीय भीखा लाल जी कहते हैं कि ये संशोधन हिन्दी में रखने चाहिये न कि अंग्रेजी में। इसके उपर आप देख लें। उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५, के पृष्ठ ३३ पर लिखा है कि :

"In this Act, unless there be something repugnant in the subject or context.

(16) "Sub-proprietor" in Agra means a person having an inferior but heritable and transferable proprietory interest in land with whom a sub-settlement has been made under the provisions of this Act...."

तो क्या ये सब-प्रोप्राइटर की डेफिनीशन आप लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट में करने जा रहे हैं? इसको देख लीजिये, स्टडी कर लीजिये, मैं भी स्टडी कर लूंगा।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, हम तो पढ़ चुके हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप तो बीच में ही बोल उठते हैं। मैं तो स्वयं चाह रहा हूं कि साफ हो जाय। (मन्त्री से) आप भी देख लें और मैं भी देख लूंगा। यदि अंग्रेजी में आवश्यकता न हुई तो हिन्दी में करा दिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, संशोधनों का प्रस्ताव हमारी ओर से है। हमने इसको दिया है।

श्री अध्यक्ष—

आप तो अलग अपना संशोधन रखेंगे। माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी का एक संशोधन का प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने के लिए जनता में एक मास के लिए घुमाया जाय। यह एजेन्डा में नहीं छपा है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष जी, जो संशोधन विधेयक लाया गया है उसकी नेकनीयती को मैं स्वीकार करता हूं। यह संशोधन जो आय हैं वे आवश्यक थ।

यह संशोधन आज नहीं, बहुत पहले आना चाहिये था। मुझे दुख है कि जमींदारी अबोलीशन ऐक्ट सन् ५० का है और तब से आज तक हर वर्ष संशोधन इस विधेयक में लाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, अपना प्रस्ताव जरा रख दें।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५, को एक मास के लिये जनमत जानने के लिये जनता में परिचालित किया जाय।

हर वर्ष इस विधेयक में संशोधन लाने का आखिर कारण क्या है? एक कारण तो यह है कि जो हमारे मसविदा बनाने वालें हैं उनकी योग्यता पर प्रकाश पड़ता है। अधिकारी वर्ग, चाहे वह जज के रैंक के हों अथवा सिविल जज के रैंक के हों, अगर वे ड्राफ्ट करते हैं तो, श्रीमन्, आप भी अवगत होंगे और मेरा भी परिचय इस विभाग से है, मुझे भी मालूम है कि कितना ही बड़ा जज क्यों न हो, हाई कोर्ट का ही जज क्यों न हो, वह ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं कर सकता। वकील ही ऐसा व्यक्ति है जो अच्छी ड्राफ्टिंग कर सकता है। अन्य देशों में ड्राफ्टिंग के लिये अलग विभाग होता है। ड्राफ्टिंग करने वाला एक्सपर्ट होता है और उसकी ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा एक कमेटी होती है और जो बिल ड्राफ्ट किया हुआ होता है वह उसके सामने रखा जाता है। वह एक्सपर्टस् की कमेटी होती है। वह उसे स्वीकार करती है। अगर अस्वीकार करती है तो फिर वह बिल ड्राफ्ट करने वाले के पास वापस भेज दिया जाता है। इंगलैन्ड में ३३ बार एक ऐक्ट वापस हुआ था क्योंकि उसका ड्राफ्ट मुनासिब नहीं था यद्यपि उसके ड्राफ्ट करने वाले सब एक्सपर्टस् थे। जहां तक मुझे याद है, उस दफा हमने यह चेतावनी दी थी कि आप अपने विभाग को दुरुस्त करिये लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती। सरकार यह समझती है कि अगर वकील वर्ग में से लिया गया या कोई एक्सपर्ट लिया गया जो सरकारी अधिकारी नहीं होगा तो वह हमारे वश में नहीं होगा और हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा कारण समझ में नहीं आता कि आज तक इस सरकार ने इस विधेयक को क्यों नहीं ठीक किया।

दूसरा कारण यह है कि कोई नजीर हुई तो वह मंत्री महोदय के मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती। जो वित्त विभाग के लोग हैं उनके मस्तिष्क तक वह नहीं पहुंचती। रूलिंग्स पर रूलिंग्स होती चली जाती हैं और जब जनता में हाहाकार मचता है तो सरकार चेतती है और तब वह समझती है कि जनता में कोई कष्ट है, इसलिये उसे संशोधन लाना पड़ता है। अगर संशोधन करते वक्त किसी योग्य वकील से परामर्श किया जाय, जनमत में प्रचालित किया जाय तो मालूम हो सकता है कि कौन-सी खामियां हैं और क्या संशोधन सरकार को लाना चाहिये, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। यही कारण है कि हर वर्ष संशोधन करना पड़ता है। माननीय माल मंत्री ने उदाहरण के लिये अभी कहा कि उन्होंने जो पार्ट होल्डिंग्स के संबंध में संशोधन किया है वह लोगों के हल्ले के कारण किया है। ३,४ वर्ष से नजीरें मुतवातिर ऐसी थीं कि पूरी होल्डिंग का दावा कीजिये। एक होल्डिंग का दावा कीजिये और एक होल्डिंग में १० खेत हैं और आप दावा एक खेत का करते हैं तो मजबूरन दसियों खेत का दावा करना पड़ेगा। कानून ही ऐसा बना हुआ था। कितने हजारों मुकदमें हुए और बोर्ड से या कमिश्नर के यहां से रिमांड हुए। लाखों रुपया पब्लिक का खर्च हुआ और काफी असुविधा हुई जिससे यह संशोधन सरकार को लाना पड़ा। मैं समझता हूं कि इस सबका कारण यह है कि हमारी सरकार अपने इस विभाग पर विशेष ध्यान नहीं देती जो विभाग कि इसको ड्राफ्ट करता है, या विभाग क अधिकारियों का, जो मुकदमे चलते हैं या जो रूलिंग्स आती हैं, उनसे कोई सम्पर्क नहीं रहता है, इसलिये उनको ज्ञान नहीं रहता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

इसके अलावा, श्रीमन्, जो कानून का वर्किंग है और जिस तरह से वह प्रयोग में आ रहा है उससे हम अनुभव करते हैं कि लिटीगेंट जनता को क्या कठिनाइयां हैं, वह उनके सामने नहीं आ पाती हैं। ये तो वकील वर्ग से संबंधित है। हमें याद नहीं कि कभी इन्होंने इसे जनमत जानने के लिये प्रसारित किया है या नहीं। यह हमें मालूम नहीं है, इसीलिये हमने यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा है। बहुत सी बातें हैं और माननीय मंत्री जी ने भी चार बातें बताई हैं कि उन्होंने उनका संशोधन किया है। बहुत से ऐसे ड्यूज गांवसभाओं के होंगे जिनके माफ करने का अधिकार गांव सभाओं को ही दिया जाय। ये सब चीजें इन्होंने कंसोलिडेशन ऐक्ट में की हैं जिनका हम स्वागत करते हैं। ये जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में संशोधन कर रहे हैं, लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में कर रहे हैं, कुमायूं जमींदारी ऐक्ट में कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी बातों को ये छोड़े दे रहे हैं क्योंकि उधर इनका ध्यान नहीं गया है।

श्रीमन्, मैं मिसाल के तौर पर मोटी-मोटी बातें ही रख रहा हूं। इतने संशोधन करने पर भी मुकम्मिल संशोधन ये जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में नहीं ला सके हैं। एक मिसाल मैं देता हूं। लिटीगेंट जनता की कठिनाइयां हैं; इस पर मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें। जैसे जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में इन्होंने यह कह दिया है कि जमीन एक वर्ष से ज्यादा किसी को पट्टे पर या बटाई पर नहीं दी जा सकती है। कुछ ऐसे अयोग्य लोग हैं जिनको अधिकार दिया गया है कि वह अपनी जमीन पट्टे पर या बटाई पर दे सकते हैं। इसका नतीजा क्या हुआ? जब इन्होंने, श्रीमन्, यह कानून बनाया तो जमीन से संबंधित अन्य कानूनों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे सीलिंग ऐक्ट में अपने नाम से, अपने बेटे के नाम से, अपनी लड़की के नाम से और पत्नी के नाम से हजारों बीघा जमीन लोगों ने रख ली है। ये ऐसी जमीन को निकाल नहीं पा रहे हैं और वह जमीन जोती भी नहीं जा रही है और वह जमीन परती पड़ी रहती है। नतीजा यह है कि इससे देश का बड़ा भारी अहित हो रहा है। जिस जमीन पर अनाज पैदा किया जा सकता था वह नहीं किया जाता। जिनके पास खेत नहीं हैं वह बटाई पर पा जाते या पट्टे पर ले लेते यदि इनके कानून में यह प्रतिबंध न होता। मुझे याद है किसी भी गांव में चले जाइये। जिसके पास १० बीघा जमीन है वह उसको बटाई पर नहीं देता है। जो लोग बम्बई, कलकत्ता वगैरह बाहर किसी सिलसिले में चले जाते हैं वे अपनी जमीन इसलिये बटाई पर या पट्टे पर नहीं देते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि उनके हाथ से जमीन निकल जायगी या जो आदमी उस जमीन को जोतेगा वह ले लेगा। क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है कि उस जमीन को पट्टे पर दिया जा सके। यह बहुत बड़ी इस कानून में खामी है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि प्रदेश में बहुत-सी जमीन परती पड़ी रह जाती है। लोग जमीन जोतते नहीं है और जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी बटाई पर या पट्टे पर नहीं दे पाते हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि सब-लैटिंग एलाऊ कर दिया जाय।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि कुछ नियमों के साथ जरूर एलाऊ कर दिया जाय।

दूसरा कारण यह है कि बहुत से लोग जिनके पास जमीन पड़ी हुई है और वे लोग बम्बई वगैरह किसी काम से चले जाते हैं तो वे अपनी जमीन जोतने के लिये केवल एक साल के लिये देते हैं। इससे जमीन लेने वालों को यह निश्चय नहीं रहता कि दूसरे साल उसको जमीन मिलेगी या नहीं। इसलिये वह उसमें परिश्रम नहीं करता है। इसलिये ये ऐसी सीलिंग रखें जिससे जमीन बेंच न सके। यह दूसरा कारण है।

श्रीमन्, तीसरा कारण गांव समाओं के बारे में हैं। नित्यप्रति का मेरा यह अनुभव है कि ऐसा लगता है कि हमारी सरकार के मस्तिष्क में कोई निश्चित ज्ञान गांव सभाओं की जायदाद, उसके संरक्षण या प्रबन्ध के बारे में नहीं है। आप देखें कि एक गांव सभा की जायदाद चाहे पेड़

हो, चाहें जमीन हो, वह वैसी ही पड़ी हुई है और जिसके पास बल है या जो प्रधान है या जो आदमी उससे मिला हुआ है वही उस जमीन को जोत रहा है। वह उसको बराबर जोतता रहता है, व पेंड़ भी काट लेता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है। हमारी सरकार ने एक नियम बनाया कि जो गांव समाज की प्रापर्टी है, उसका रजिस्टर हो और वह प्रापर्टी उस रजिस्टर में दर्ज की जाये। वह प्रापर्टी रजिस्टर में दर्ज भी रहती है, किन्तु आपका कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो हर वर्ष उसका निरीक्षण करे और देखे कि पहले जो ४ पेड़ थे अब वह दो क्यों रह गये, आदि। नतीजा यह है कि पटवारी से मिलकर लोग अपने नाम लिखवा लेते हैं और बराबर उसे जोते रहते हैं। तो इस प्रकार जो गांव की प्रापर्टी ह वह क्षीण होती चली जाती है। जो नियम है कि गांव की प्रापर्टी, गांव की जमीन, जो लडलैस लेबरर हैं उनको मिले, इसके लिये भी कुछ नियम नहीं बना है। इसमें मेरा अनुभव यह हैं कि लैंडलेस लेबरर की कोई परिभाषा नहीं है। है यह कि वहां के लैंडलेस जो हों उनको अवश्य नोटिस दी जाये और उनसे कोई भी बोली न बुलवाई जाये। किन्तु आप करते यह हैं कि उनको नोटिस नहीं रहती है, जिनके पास पैसा है उन्हें केवल नोटिस रहती है। वह भूमि उनको दे दी जाती है जबकि दूसरा कोई बोली बोलने वाला नहीं रहता ह। तो इसका जैसा उद्देश्य है कि बंजर भूमि का १० परसेन्ट उसको दिया जाये वह दिया नहीं जा रहा है। सीलिंग ऐक्ट में इसके लिये आप सुधार क्यों नहीं करते हैं? उसमें सुधार होना बहुत आवश्यक है। इसमें मैं आपकी नेकनीयती पर शक करता हूं। हमारे जिले में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास १, २, २।। हजार बीघा जमीन न हो, वह जमीन इस तरह की है, उसमें बाग लगा दो, सबने बाग लगा दिये। दीनदयाल जी के एलेक्शन में हमने काफी वहां जाकर देखा, वहां पर एक शायद मेंहदी नाम के थे, जिनके पास बहुत बड़ी जमीन थी और उन्होंने उसके आसपास बरी शायद लगा रखी थी और कहने का मतलब यह है कि वह अपनी जमीन को बाग की शक्ल में बनाकर अपने पास रखे हुये थे। तो इस बाग बनाने वाली छूट के कारण सीलिंग ऐक्ट प्रभावकारी नहीं हो पाया है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इस तरह का जो सीलिंग ऐक्ट बनाया उससे जिनके पास बड़ी-बड़ी जमीनें थीं, वह उन्हीं के हाथों में बनी रहीं और आप उन्हें निकाल नहीं सके।

एक मिसाल मैं दूंगा। जैसा आपका नियम है कि २० अगस्त, १९५९, के पहले आप जमीन हस्तान्तरित कर दें और वह सीलिंग ऐक्ट के अधीन नहीं आयगी, तो इसका नतीजा क्या हुआ? सब लोगों ने अपनी बड़ी-बड़ी जमींनें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम कर दीं, जिसे जोत वही रहे हैं, लेकिन केवल नाम दूसरों के कर दिया। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी एक केस भी उदाहरणस्वरूप यहां प्रस्तुत नहीं कर सकते, जहां पर सीलिंग ऐक्ट की दफा २९ के मातहत सरकार ने कोई कार्यवाही की हो। क्या उसके लिये भूमिहीनों को कोई जमीन मिली है? उन्हें कोई जमीन नहीं मिली है, जो मिलनी चाहिये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरप्लस भूमि कितनी निकली। दूसरी बात सरप्लस जमीन निकली तो कानून के मुताबिक यह अधिकार कानूनगो तहसीलदार को दे दिया, उसके डिस्पोजल के लिये। यह तो बड़ी गलत बात है कि यह अधिकार उसी को दे दिया गया है। नतीजा यह हुआ है कि एक तो सरप्लस भूमि बची ही नहीं, यदि सरप्लस भूमि निकली भी तो उसे भूमिहीन पा नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने इतनी मालगुजारी बढ़ा दी कि जिससे कोई भी गरीब भूमिहीन उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। कानूनगो जाता है और जिससे रुपया ज्यादा पाता है, उसके नाम उसे कर देता है। कानूनगो साहब हजारों रुपये लेकर जमीन का डिस्पोजल कर देते हैं। वह हजारों रुपया भूमिहीन तो नहीं दे पाता, उसके पास पैसा नहीं है, हरिजन नहीं दे सकता, तो कितना दोषपूर्ण कानून आपका है।

तीसरी बात यह है कि आपके कानून में है कि सरप्लस लैंड घोषित हो जाने के बाद वह उसी कोर्ट में एतराज दाखिल करें और अपने नाम उसे करवा ले। हमारे जिले में कम से कम १० हजार मुकदमे दाखिल हैं.....

श्री अध्यक्ष---

एक निवेदन मैं कर दूं। आपका प्रस्ताव तो यह है कि इस विधेयक को १ मास तक जनमत के लिये परिचालित किया जाय, लेकिन आपकी बहस इस तरह से हो रही है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय जिसको यह अधिकार हो कि वह अन्य धाराओं पर विचार करे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

भूल हो गयी उसको समझानें में।

श्री अध्यक्ष---

जनमत के लिये तो आप यह कह सकते हैं कि इसमें अमुक-अमुक दोष हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

कानूनी दोष तो मैं बता ही रहा हूं। आगे इसके और दोष बताऊंगा।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)---

फिर हमारी नीयत पर हमला ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

जी नहीं, बिलकुल नहीं।

श्री अध्यक्ष---

इस समय तो केवल आप कह सकते हैं कि प्रस्तुत संशोधन विधेयक में अमुक-अमुक दोष हैं और उनके लिये जनमत जानना आवश्यक है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के पृष्ठ १३ पर एक संशोधन है जिसमें यह कहा गया है कि उसकी काश्त से जो मालगुजारी वसूल की जायगी वह उसी हिस्से से वसूल की जायगी जिस खाते से संबंधित हो। अब मान लिया जाय मेरे १० प्लाट्स हैं। उनमें से २ ही प्लाट्स बेंचने से पूरी मालगुजारी वसूल हो जाती है तो फिर शेष ८ प्लाट्स को बेचने की क्या आवश्यकता है ? लेकिन यह न हो कर उसके सारे प्लाट्स बेंच दिये जाते हैं, ऐसा होता है और उसकी जिन्दगी का सारा सहारा निकल जाता है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

लीज भी कर सकता है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

वह तो ठीक है लेकिन लीज से वह चीज पूरी नहीं होती हो और फिर उसका पूरा हिस्सा आपने बेंच डाला, तो फिर वह क्या करें ? इसीलिये मैं कहता हूं कि अगर थोड़े से काम हो जाता है तो पूरा क्यों बेचा जाय ? लेकिन आपने कहा कि वह इसके बारे में कलेक्टर साहब के यहां प्रार्थना-पत्र दे सकता है। और अगर वह मालगुजारी नहीं देगा तो लीज उसकी डिटरमिन हो जायगी और अगर सारे खेत को क्षति पहुंचे और सारी प्रापर्टी को क्षति पहुंचे तो उनके पास क्या प्राविधान है ?

तीसरी बात यह है कि जो अधिकार दिया गया है उसके लिये कहा गया है कि "ऐज प्रेस्काइब्ड" वह प्रेस्काइब्ड करके दिये जायेंगे। हम यह चाहते हैं कि उनको स्पष्ट किया जाय लेकिन आप अपनी मर्जी पर छोड़ते हैं न कि यहां पर विवाद होता। सम्भवतः यहां पर विवाद होता तो हम उचित संशोधन देते और वह आपके लिये भी और बाकीदार के लिये भी फायदेमन्द होता।

लीज के संबंध में एक बात यह कहना चाहता हूं कि इसमें एक दोष है। मान लीजिये, एक प्रापर्टी है १० खेत की और उस १० खेत की प्रापर्टी पर ५० रुपया बकाया है। उसमें से ४ खेत ट्रान्सफर हो गये। मैं यह चाहता हूं कि जब वे ४ वहां से अलग हो गये और ६ रह गये तो उन ४ ट्रान्सफर होने वाले खेतों से वह मालगुजारी बाकी वसूल न की जाय। पहले के ६ खेत हैं उनसे उसको वसूल किया जाय क्योंकि वह तो बेच चुका है। यह बात जरूर है कि मालगुजारी जमीन के साथ जाती है, यह कानून है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि उस मालगुजारी को उस ४ वाले से वसूल करने के बजाय पहले वाले से ही वसूल किया जाय। इसका इसके अन्दर प्राविजन होना चाहिये, जो इस समय नहीं है।

एक बात यह निवेदन करना है कि मालगुजारी वसूल करने के लिये जो उसका अपना रिहायशी मकान है उस रिहायशी बिल्डिग को न नीलाम किया जाय। सेक्शन ६० में, सिविल प्रोसीजर के, यह प्राविजन है कि खेती करने वाला अगर उस मकान को अपने काम में रखता है और उस घर में रहता है तो उसको नीलाम नहीं कर सकते और उसको बेच नहीं सकते। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि अगर खेती करने वाले पर बकाया है और वह अगर उस मकान में नहीं रहता है उसका रिहायशी मकान है, तो मालगुजारी की एवज में उस मकान को न बेचा जाय। वह उसकी जायदाद है। जिससे उसने फायदा उठाया है उसी से वह वसूल की जाय। यह आपके लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट में खामी है और इसको दूर करने की आवश्यकता है।

आप कंसोलिडेशन ऐक्ट के अन्दर भी संशोधन लाये हैं। जब हजारों केसेज प्रान्त में हो गये तब आप इसको लाये हैं। मुझे भी एक केस करने का मौका मिला था। एक मामले में एक आदमी को ८० घाव लगे थे। यह आप समय पर नहीं लाये। कंसोलिडेशन ऐक्ट जिस समय से पास हुआ उस वक्त से प्रान्त में हाहाकार मचा हुआ था। अब आकर सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया है। हाईकोर्ट तक बहुत से केसेज चले हैं और एक जगह नहीं, प्रान्त में बहुत जगहों पर ऐसे फौजदारी के केसेज हुये हैं। ऐसी सूरत में मैं चाहता था कि यह ऐक्ट जो है, इसको भी जनमत जानने के लिये प्रचालित किया जाय।

१२७ में आपने पैनल लाइयर के लिये कहा है। मेरा अनुभव है कि जब लोग मुकर्रर हो जाते हैं तब गांव सभा के मुकदमे चलते हैं। सभापति पहुंचते नहीं हैं। कुछ देर प्रतीक्षा करते हैं। जब नहीं आते हैं तो उनको एक्स-पार्टी कर देते हैं या डिसमिस कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि गांव के सभापति आयें और वे वकीलों से मिलें। वह उनसे नहीं मिलते हैं और फरीक से मिलते हैं। इस वजह से उन केसेज की पैरवी मुनासिब नहीं हो पाती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि एप्पोयर, प्लीड और ऐक्ट करने में उनको रिस्टोर का अधिकार वकीलों को दिया जाय जिससे कि उन पर फिर रिव्यू हो सके। इस वजह से उसको अपने दस्तखत से कागज दाखिल करने का अधिकार दिया। अगर कोई सभापति नहीं आता तो उसके द्वारा एफिडेविट दाखिल करने का अधिकार भी दिया जाय और जितने भी किसानों के हित की रक्षा के काम हैं वे सब वकीलों को दिये जांय ताकि उसकी जगह पर वे दरख्वास्त दें सकें। जमींदारी एबालिशन में बहुत-सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आवश्यक हो गया है कि इसमें जनमत जान लिया जाय।

तीसरी बात, श्रीमन्, यह भी जानने की जरूरत है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के आधार पर सरकार बहुत से अधिकार अपने हाथ में ले लेती है और जिस पर यहां अच्छी तरह से वाद-विवाद होना चाहिये। उसके अनुसार जो नियम आदि बन कर आते हैं उन पर भी पूरी तरह से विचार करने का अवसर हमको नहीं मिल पाता। तो इस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पद्धति में जनता को अपने भावों को व्यक्त करने का अवसर नहीं मिल पाता। इसलिये भी यह विधेयक जनमत संग्रह के लिये जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त यह बिल ऐसा है कि इसको पढ़ कर हम में से भी बहुत से लोग इसके अवगुण नहीं निकाल पायेंगे। बाहर हमारे बहुत से वकील तथा जज भाई हैं, अगर यह बिल उनके सामने जाय तो वे अपने सुझाव इस पर दे सकते हैं जो हमारे हित में ही होगा। इसलिये इस विधेयक को जनमत संग्रह क लिये जाना चाहिय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय भीखालाल जी, आपने जो प्रश्न उठाया था मैं समझता हूं कि इसका उत्तर तो इसमें ही पृष्ठ १३ पर है। यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में जितने भी संशोधन करने हैं सभी हिन्दी में दिये हुए हैं और इसमें दिया हुआ है कि मूल धारा के स्थान पर यह धारा रखी जाय। तो प्राग्दर्शन में मालूम होता है कि ठीक किया है, लेकिन इसके बाद भी आप देख लीजियेगा। पृष्ठ १४ और १३ पर स्पष्ट है कि धारा १४६ की जगह पर यह धारा, १६५ की जगह पर यह रख दी जाय, १८२ के स्थान पर यह रख दी जाय, आदि। आप इसको स्टडी कर लीजियेगा।

(श्री रामकुमार शास्त्री के खड़े होने पर) माननीय रामकुमार जी, माननीय कमलासिंह जी जब अपना अमेंडमेंट रख दें तभी इस पर वाद-विवाद प्रारम्भ हो तो अच्छा है।

श्री रामकुमार शास्त्री—

यह बिल टुकड़ों-टुकड़ों में है और सब ने मिल कर एक विधेयक का रूप धारण कर लिया है। मैं थोड़ा सा समय ही लूंगा, मुझे बोल लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

इसमें दिक्कत यह होगी कि अगर हम इसको बांट देंगे तो समय बांटना कठिन हो जायगा। इस समय यह अमेंडमेंट पेश हो जाने दीजिये उसके बाद आप बोल लीजियेगा।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि.....

(इस समय १ बजकर ४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए।)

उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जिसको विधेयक में परिवर्तन तथा परिवर्धन करने का अधिकार हो तथा समिति अपना प्रतिवेदन १ मास के भीतर सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत है, यदि शुरू से आखिर तक यह पढ़ा जाय तो यह मालूम होता है कि जैसा संघ हमारे यहां बना है ठीक उसी तरीके पर माननीय मंत्री जी एक संघ नियमों के साथ भी बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस से बढ़ कर कोई दूसरा और गलत प्रोसीजर नहीं हो सकता? हालांकि मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी को अधिकार है कि ऐसा विधेयक वह सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन श्रीमन्, यदि देखा जाय तो ऐसा ही एक विधेयक आपने १९६१ में प्रस्तुत किया, फिर १९६२ में आपने दूसरा प्रस्तुत किया और आज यह तीसरा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकार जो ५, ६ विधयक एक साथ आ जाते हैं उनके कारण सही प्रकार से इन पर विचार नहीं हो पाता।

अब मैं मंत्री जी का ध्यान भूमि सुधार की ओर दिलाना चाहता हूं। थर्ड फाइव इयर प्लान में पहला उद्देश्य लैंड रिफार्म के बारे में था कि उसमें ग्रो मोर फूड प्रोडक्शन के सिलसिले में जो दिक्कतें हमारे सामने आती हैं उनको कैसे दूर किया जाय। दूसरी चीज थी सिक्योरिटी आफ दि टिलर आफ दि स्वाइल (security of the tiller of the soil)। इन उद्देश्यों को लेकर थर्ड फाइव इयर प्लान बनाया गया। तो जहां तक पहले उद्देश्य का सवाल है, आज चकबन्दी और लैंड रिफार्म होने के बाद भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। मैं उधर नहीं जाऊंगा, अपने को दूसरी तरफ महदूद करूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्य से यह आग्रह करूंगा कि आप प्रतिवेदन में निर्दिष्ट विषयों तक या विधेयक में सुसंगत किन्हीं वैकल्पिक सुझावों तक ही अपने को सीमित रखें ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं समझ नहीं पाया, श्रीमन् ।

श्री अधिष्ठाता—

इस विधेयक के सम्बन्ध में ही अपने विचारों सीमित रख ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

अधिष्ठाता महोदय, ये तो अधिष्ठाता मंडल के सदस्य हैं, काफी अनुभवी हैं ।

श्री रक्षपालसिंह—

वह बोल सकते हैं । वह जमींदारी आबोलीशन के बारे में पूरी बात बतलायेंगे ।

श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता था कि कोई नयी बात आप बतायेंगे जिससे मैं डायरेक्ट हो सकूं, लेकिन वह पुरानी बातों को आपने दोहराया । खैर, फिर भी मैंने शुरू में ही कह दिया था कि ग्रो मोर फूड के बारे में मैं नहीं जाना चाहता । भूमि सुधार के लिये दो-तीन चीजों की जरूरत है । पहली चीज देखने में आती है कि काश्तकारों के पास भूमि है लेकिन वह पेशा दूसरा करते हैं, खुद जमीन नहीं जोतते । कुछ ऐसे हैं जिनके पास जमीनें इतनी मात्रा में हैं कि वह खुद खेती नहीं कर सकते, या तो परती रखते हैं या महज बीज छिटक देते हैं कब्जा कायम रखने के लिये या दूसरों के नाम कर देते हैं । कुछ भूमिहीन लोगों के हाथों में खेती करने की ताकत है, लेकिन खेती नहीं है । तीसरे उस श्रेणी के लोग हैं जो कि अलाभकर जोतों से सम्बन्धित हैं जिनके पास खेती बहुत कम है । पहली चीज तो मैं बता रहा था श्रीमन्, वह यह है कि हमारे यहां कुछ तो ऐसे बड़े-बड़े लोग हैं जिनके पास जमीन इतनी मात्रा में है कि वे उसको जोत नहीं पाते, दूसरी तरफ ऐसे भी भूमिहीन लोग हैं जिनके पास रत्ती भर भूमि नहीं है । यह भी कानून जरूर बना है कि जो आदमी दो साल तक अपनी भूमि को न जोते, वह जमीन तब गांव सभा की हो जायेगी, मगर इस कानून का ठीक तरह से पालन नहीं होता, कभी इसका निरीक्षण ही नहीं किया जाता । कब्जा बनाये रखने के लिये कुछ न कुछ कर लिया जाता है, कुछ लोग पट्टे पर भी दे देते हैं । मगर उसका इन्दराज नहीं होता है । इस तरह से एक मोनोपोली हमारे प्रदेश में चली आ रही है ।

श्रीमन्, जापान में भी इसी तरह की समस्या थी । वहां की परिस्थितियां ठीक हमारी जैसी ही थीं । वहां पर भी बड़ी हलचलें मचीं और मूवमेंट भी हुए । लेकिन बड़ी कठिनाई के बाद वहां लोग इस नतीजे पर पहुंचे और वहां यह किया गया कि जो बड़े-बड़े लोग थे, जिनके पास काफी जमीन थी, जो स्वयं जोत नहीं पाते थे, उनको उसको शिकमी पर देने का अधिकार द दिया गया । मैं समझता हूं कि यह अधिकार यहां पर भी होना चाहिये । परन्तु श्रीमन्, जहां पर मैं इस चीज का ताइद करता हूं, वहां इसके साथ कुछ पाबन्दी भी चाहता हूं । पहली पाबन्दी तो इसके साथ मैं यह चाहता हूं कि जब आप यह करें, यानि जब कोई व्यक्ति किसी आदमी को शिकमी पर दे, तो उसके उस खेत को फिर निकाल नहीं सकेगा और लगान भी उतना ही देगा जितना कि पहले वह स्वयं देता था ।

श्री हुक्मसिंह विसेन—

आप चाहते हैं सब-लेटिंग की इजाजत दी जाय ?

श्री कमलासिंह यादव—

जी हां, मगर उसके साथ कुछ पाबन्दी भी हों। पहली तो यह कि वह जमीन को फिर वापस नहीं ले सकता। दूसरी यह कि सरकार यह कानून बनाय कि जितना काश्तकार लगान देता था वही शिकमी को भी देना पड़ेगा। जापान में भी यही पद्धति है। जब तक वह जमीन शिकमी के पास रहेगी वह मालगुजारी देता रहेगा, किन्तु जब उस आदमी को जमीन बेचना होगा तो वह उस शिकमी के हाथ बेचेंगा, दूसरे के हाथ नहीं।

श्री हुकमसिंह विसेन—

आप यह चाहते हैं कि जब वह शिकमी को देगा तो वह मालगुजारी उतनी ही पायेगा जितनी टेन्योर होल्डर खुद देता है? क्या मतलब है आपका? आप उसे साफ कर दें ताकि मैं जवाब दे सकूं।

श्री कमलासिंह यादव—

जापान में यह है, श्रीमन् .....

श्री हुकमसिंह विसेन—

आप इसी देश की बात करें।

श्री कमला सिंह यादव—

कोई भी जमीन होगी, उसकी किस्म के आधार पर सरकार उसकी वेल्यू फिक्स करेगी और कोई भी आदमी शिकमी को द या खुद जोते, उससे अधिक रुपया वसूल नहीं कर सकत। जहां तक इस वसूल की बात है, मैं देख रहा हूं कि माननीय मंत्री जी ने चकबन्दी कराई। एक चक बनाया गया। उसमें एक ही किस्म के खेत हैं। उसी में से आधा चक तो सीरदारी कर देते हैं और आधे को भूमिधरी कर देते हैं। जो भूमिधरी करार दिया जाता है उसका लगान बहुत कम होता है लेकिन जो सीरदारी का हिस्सा है उसकी १० रु० या १५ रु० तक मालगुजारी है। आपक हिरिडटरी रट से मालगुजारी दूनी हो जाती है। उस समय हिरिडेटेरी रेट जब डब्बुल होग तो बहुत ज्यादा मालगुजारी होगी। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर वे किसानों का सुधार करना चाहते हैं तो लगान भी एक किस्म का होना चाहिये। श्रीमन्, अंग्रेजों नें जब सेटिलमेंट किया था तो उन्होंने लगान एक तरह का रखा था लेकिन हमारी सरकार ने आज चकबन्दी के बाद अंग्रेजों की नकल तो की है, लेकिन जहां तक लगान के रेट का सवाल था, वह नहीं किया गया। इसलिये मेरा निवेदन है कि एक किस्म की जमीन पर एक ही किस्म का लगान होना चाहिये।

दूसरी चीज रिकार्ड्स आफ राइट्स (records of rights) की हैं, जो खाता इनके पास होता है उनसे तीन चीजों का पता लगता है। पहला तो टेनेंट्स का, दूसरा सब-टेनेंन्ट्स का और तीसरा को-शेयरर्स का। श्रीमन्, मैं देखता रहा हूं और अनुभव करता हूं कि जिन छोटी जगहों पर चकबन्दी हो गई है या जहां नहीं हुई है उनके रेकार्ड्स देखने पर सरकार नहीं बता सकती कि कितने टेनेन्ट्स हैं, कितने सब-टेनेंन्ट्स हैं और कितने को-शेयरर्स हैं। इस तरह की दिक्कतें मंत्री जी के सामने चली आ रही हैं जिस से मंत्री जी को बराबर कठिनाइयों में पड़ना पड़ता है। इसके अलावा श्रीमन्, आप यह भी कहते हैं कि खातों में कब्जा किसी दूसरे का ही होता है। इसको दूर करने के लिय १९५९ में आपको अधिवासी के राइट्स क्रियेट करते हुये अधिनियम बनाना पड़ा और दूसरे पटवारियों की वजह से उनकी दिक्कतों देखते हुये मंत्री जी ने कहा कि पटवारी लोग रिमार्कस कालम में काबिज लिखा करेंगे और एक पर्चा उसके लिये दोनों पार्टियों और प्रधान को भी देंगे। लेकिन श्रीमन्, उसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं हुआ। उसके बाद भी माननीय मंत्री जी ने कानूनगो को काम सौंप करके और सुधार किये, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि कानूनगो और पटवारो में फर्क नहीं है। कानूनगो जो कहते हैं वही पदवारी करते रहत हैं। क्या कानूनगो किसी तरह से अछूता रहेगा?

दूसरी चीज, मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि अलाभ कर जोतों में बड़ी कठिनाइयां हैं। हम बराबर इस बात का प्रयत्न करते हैं और सरकार भी करती है कि जो गरीब लोग हैं उनका स्टैन्डर्ड ऊंचा हो। लेकिन साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि आज जिनके पास अलाभकर जोते हैं उनका स्टैन्डर्ड ऊंचा किया जाय तो उसके लिये कोई राहत इस प्रदेश के कानूनों के अन्तर्गत हमें नहीं मिली है। सीलिंग के जरिये से कोशिश की गयी कि यहां की बंजर जमीन तोड़ कर अच्छी जमीन बना कर भूमिहीनों को दे दी जाय। फारेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन उपलब्धि की कोशिश की गई, लेकिन भूमिहीनों की समस्या हल नही हो सकी। अलाभकर जोतों की समस्या को भी सरकार हल नहीं कर सकी। हमें उम्मीद थी कि चकबन्दी में यह समस्या हल होगी, लेकिन किसानों के साथ चकबन्दी में ऐसा खिलवाड़ किया गया कि किसान इस से दूर रख दिये गये। चकबन्दी कई हजार गांवों की हो चुकी। उसके बाद आज मंत्री जी इस तजुर्बे पर पहुंचे हैं कि कोआपरेटिव फार्मिंग छोट-छोटे किसानों को कराने के लिये कुछ उपाय किया जाय और यह रखा गया है कि अगर किसान चाहे तो उसकी जमीन चक बना दिया जाय और गांव सभा की जमीन का भी चक बना दिया जाय। मैं आपको एक प्रत्यक्ष प्रमाण गाजीपुर की सैदपुर तहसील की चकबन्दी का देना चाहता हूं। आज वहां का कोई रिकार्ड और नक्शा ठीक नहीं है। चकबन्दी कानून और दफा ५२ के नोटिफिकेशन के बाद जब कागजात दाखिल हुये तो हजारों, लाखों, एन्ट्रीज फरजी कर दी गयीं और दाखिल दफ्तर की गयीं। नतीजा यह है कि आज चकबन्दी जो इसलिये की गई कि लोगों के जो रिकार्ड आफ राइट्स हैं वह करेक्ट होंगे और हर आदमी के अधिकार सुरक्षित होंगे, लेकिन आज वह भी गड़बड़ हो गया। तो इतने तजुर्बे के बाद जो कनक्लूजिव रिकार्ड को मंत्री जी ने ओपेन कर दिया कि अगर कोई उसको गलत प्रूफ कर दे तो रेकार्ड आफ राइट ठीक कराने का मौका मिलेगा यह चीज जरूर अच्छी हुई है।

दूसरी जो गड़बड़ी हुई कोआपरेटिव फार्मिंग में वह यह कि आपने अधिकार दिया कि जो लोग कोआपरेटिव फार्मिंग करना चाहेंगे उनको चक बनाने के लिये चकबन्दी में अधिकार दिया जाय। आज गांवों की चकबन्दियों में छोटे-छोटे काश्तकार या अलाभ कर जोत वाले किसानों के चक पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बना दिये गये। उसका नतीजा स्पष्ट है। उनका कोआपरेटिव फार्मिंग का अगर मूड भी हो जाय तब भी वह उसमें कामयाब नहीं हो सकते। मैंने उनसे कहा कि अपने अफसरों को पंजाब में भेजें। जो आफिसर यहां से पंजाब गये भी उनका समय मेरे खयाल से बेकार ही गया। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो चकबन्दी हमारे यहां की गयी है उसका बड़ा ही भीषण दुष्परिणाम हुआ। जो अधिकारी पंजाब भेजे गये वे ही सही माने में वहां की चकबन्दी की नींव को समझ नहीं सके। हमारे जो अधिकारी पंजाब भेजे गये थे अगर वे वहां की चकबन्दी को अच्छी तरह से समझ कर आये होते तो यह भीषण दुष्परिणाम नहीं होता।

सबसे महत्वपूर्ण चीज जो पंजाब के अन्दर है वह यह कि वहां जब गांव में चकबन्दी होती है तो सबसे पहले आदेश दे दिया जाता है कि गांव की सिंचाई के लिये जो भी साधन हो सकें वे उपलब्ध करा दिये जायं। वहां इंजीनियर भेजे जाते हैं जो ट्यूबवैल, गूल वगैरह के लिये स्थान आदि तय करते हैं या नहर ले जानी हो तो चकबन्दी के पहले नहर की लाइन तैयार कर ली जाती है और उसके बाद उसी नहर के किनारे या उन्हीं गूलों के किनारे रेक्टेंगुलर तरीके से चक काट दिये जाते हैं। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह यह कि अलाभ कर जोत वाले जो किसान हैं उनके चक एक जगह रख दिये जाते हैं और जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं उनके चक गांव की दूसरी तरफ रख दिये जाते हैं। इस तरह से जो पंजाब में चकबन्दी की जाती है उसमें सबसे पहला स्टेप यह लिया जाता है कि चक काटने में अलाभकर जोत वाले जितने किसान हैं उनको एक सुरक्षित स्थान दिया जाता है और एक जगह स्थान दिया जाता है। अगर वे कोआपरेटिव बेसिस पर खेती करना चाहते हैं या सहकारिता का मोड़ देना चाहते हैं तो उनके चक एक जगह हो जाते हैं और उसका नलीजा यह होता हैं कि सही तरीके से कोआपरेटिव फार्मिंग करने का सरकार का जो उद्देश्य है वह उस से पूरा होता है और अलाभकर जोत वाले किसान अपनी खेती सहकारी

[श्री कमलासिंह यादव]

ढंग से कर सकते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश के अन्दर जो चकबन्दी की स्थिति है, उसमें सहकारी खेती करना गैर मुमकिन है। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि इस विधेयक के अन्दर जो परिवर्तन लाया गया है, उन परिवर्तनों को देखते हुये सबसे पहला काम यह करना होगा कि जिन गांवों की चकबन्दी आप कराने जा रहे हैं वहां सबसे पहले सिंचाई के साधन इकट्ठा करने का प्रबन्ध करें। वहां पर आपके इंजीनियर्स जायं जो वहां पर यदि गूलें वगैरह निकालनी हों या नहरें वगैरह निकालनी हों, उनकी लाइन पहले निकाल दी जायं ताकि चकबन्दी के बाद जो दिक्कत हम आज महसूस कर रहे हैं वह न आने पावे। इसके साथ ही साथ सड़कें वगैरह जो निकालनी हों, उनकी लाइन भी पहले से बनाई जाय ताकि बाद में लोगों के चक कट कर सड़कों वगैरह में न जायं। यह भी देखा जाता है कि चकबन्दी के बाद जो गूलें वगैरह बनती हैं .....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य जब इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो प्रारम्भ में ही मैंने आग्रह किया था कि जिस सिद्धान्त के आधार पर यह विधेयक लाया गया है उसकी परिधि के बाहर जाने की आप कृपा न करें। आप देखेंगे कि इसमें गांव सभा के पैनल के वकीलों की नियुक्त, वसूली के निमित्त रिसीवर की नियुक्ति और सहकारी कृषि समितियों, सरकारी पट्टेदारों तथा अनुदान ग्रहीताओं के जोतों की चकबन्दी की व्यवस्था के लिये यह विधेयक लाया गया है। केवल इन्हीं बातों तक इस बिल की सीमा है। लेकिन आप कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं और जिनको आप स्वयं महसूस करेंगे कि उनका सम्बन्ध इस बिल से नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने को उन्हीं तक सीमित रखने की कृपा करें। चकबन्दी के प्रिंसिपुल्स पर यहां कोई बहस नहीं है। चकबन्दी में कोआपरेटिव सोसाइटी बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है और इसके लिये इस बिल में जो व्यवस्था की गयी है वह कहां तक दोषपूर्ण है, इस सिद्धान्त के ऊपर आप अपने विचार व्यक्त करें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

दोषों का अगर वर्णन नहीं किया जायगा, तो प्रवर समिति में भेजने का क्या अर्थ होगा ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य जब अपने विचार व्यक्त कर चुकेंगे, तो आप उनकी तारीफ करें या निन्दा करें लेकिन अभी आप बीच में न बोलें।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं तो श्रीमन्, यही बता रहा था कि इस विधेयक के जरिये जो अब कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये चक बनाने का अधिकार दिया गया है, उसी के उसूलों का जिक्र कर रहा था। मुझे अफसोस है कि आपको मैं समझा नहीं सका। मैं नहीं समझ सका कि जब कोआपरेटिव फार्मिंग चकबन्दी के अन्दर लायी जा रही है, काटने का अधिकार दिया जा रहा है तो दूसरी बात क्या करता? मुझे खुशी है मंत्री जी इस बात को समझ रहे होंगे। मुझे सरकार की नीतियों को देख कर अफसोस है कि वह क्या करने जा रही है। अभी तक यह देखा गया है, अंग्रेजों के जमाने में भी देखा गया है कि लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत सरकार जो मालगुजारी वसूल करती थी, इसी वसूली में किसी का काश्तकार से भी सम्मन और वारन्ट का खर्चा नहीं लिया जाता था। जो लोग कर्जा या तकावी लेते थे, उन्हीं से ऐसा खर्चा वसूल होता था। मैं नहीं समझ पाया कि किस कानून के आधार पर ऐसा संशोधन किया गया है।

जहां तक रेवेन्यू वसूली का सवाल है श्रीमन्, चपरासियों आदि का खर्चा माल विभाग देता है। कहने का मतलब यह है कि रेवेन्यू से तनख्वाह से उन कर्मचारियों को दी जाती है, तो फिर रेवेन्यू की वसूली के लिये वारन्ट और सम्मन का खर्चा कैसे लिया जा रहा है ? यह मेरी समझ में नहीं आता। यह सरकार की नीति के विरुद्ध है। और इससे साफ होता है कि काश्तकारों

से मंत्री जी की दुश्मनी हो गई है। माननीय मंत्री जी और कांग्रेस सरकार पैसे पर बिकने वाली है और मैं इसलिये कह रहा हूं कि कोई अदालत नहीं है जिसमें सरकार अपनी तरफ से कोर्ट फीस अदा करती हो, या वकालत नामे पर स्टैम्प लगाती हो। लेकिन इस विधेयक में दिया गया है कि जो अदालत के खर्चे हैं, वह भी सरकार वसूल करेगी। जब सरकार कोर्टफीस ही नहीं अदा करती, वकालत नामे पर भी स्टैम्प नहीं लगाती, तब फिर किसानों से वसूली के सम्बन्ध में हुआ खर्चा क्यों वसूल कर रही है? मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करने की कृपा करें। मैं देख रहा हूं कि इस सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। एक जमाना था, जब कि भूमिधरी के बारे में बहुत बड़ा आन्दोलन सरकार ने किया और उस आन्दोलन के सिलसिले में लाखों रुपया खर्च किया गया। जनता को बहकाया गया कि वह दसगुना जमा करे, और भूमिधर हो जायं, तुम को ट्रांसफर करने का अधिकार मिल जायगा। लेकिन आज सरकार अपने उस वायदे से वापस जा रही है। मेरी राय में इस से बढ़ कर कोई गन्दी चीज नहीं हो सकती। मैं मंत्री जी का ध्यान उस विधेयक की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके जरिये से पावर्स दी गई हैं।

"The acquisition of intermediaries rights in vast area of agricultural land comprised in the State is evidently a project of enormous magnitude. In view of the crisis in food production and demands of situation Government feel that this necessary reform must be speedily accomplished.

2. With the approval of the Legislative Assembly a Zamindari Abolition Fund has already been created. The Principles on which the Fund was approved were enunicated thus by the Hon'ble Premier in his budget speech for 1949-50 :

Out of the current year's surplus we propose to transfer Rs. 1 crore to a fund called the Zamindari Abolition Fund. Our tentative idea is that the savings of tenants should be mobilised for feeding this Zamindari Abolition Fund. A tenant who contributes an amount equal to his 10 years rent will be entitled to a reduction of 50 per cent, on the sum now paid by him as rent and will pay to the State only half of this sum as revenue. This scheme will atonce bring together sacattered surplus purchasing power into a pool to be utilized for eliminating middle men and reviving agricultural prosperity. It will exert a healthy downward pressure on inflation by canalizing savings into productive channels. There will remain no legal or other difficulty in our way. There will be no strain on the finances or credit of the State Ex-chequer and the question of compensation will be settled in a manner that may prove satisfactory to all parties."

इसका मतलब यह है कि जमींदारी एबालीशन के सिलसिले में सरकार ने महसूस किया कि फूड प्रोडक्शन की क्राइसिस न हो पायें और ग्रो मोर फूड कम्पेन को सफल बनाने के लिये एक योजना सरकार ने बनाई कि जब आदमी का टेन्योर स्टेबिल हो जायगा तो वह इस हालत में होगा कि अपने खेत में अच्छी खेती कर सके और प्रोडक्शन बढ़ा सके। इसीलिये प्रिमियर साहब के कथनानुकूल जमींदारी एबालीशन फंड बनाया गया, जिसमें एक करोड़ रुपया जमा किया गया है, और यह कह कर जमा किया गया है कि जमींदारी एबालीशन ऐक्ट के मातहत, जो कम्पेन्शेसन देना है, उसके लिये किसानों से रुपया वसूल करके इसमें रुपया जमा किया गया है और जो काश्तकार अपने लगान का दसगुना देंगे, उनको ५० फीसदी लगान में छट दी जायगी और यह छूट ४० साल के लिये दी जायगी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि अब कौन-सी ऐसी बात हो गई कि जिस से सरकार उस कथन से पीछे जा रही है। जब दसगुने लगान का वैसे ही प्राविजन हैं, इस विधेयक के अन्दर तो कौन सी बात आ गई कि प्राविजो को उड़ा रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

उसे पढ़िये, तो समझ में आ जायगा, आगे प्राविजन है।

श्री कमलासिंह यादव---

इसीलिये मैं कह रहा हूं कि अब तो वह आधा लगान नहीं होगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

होगा। आगे प्राविजन है, आप पढ़ते तो हैं नहीं।

श्री कमलासिंह यादव---

इस तरह की जो चीज है जो मंत्री जी ने कहा है कि पहले एलान किया गया है कि दसगुना देने पर उन काश्तकारों का लगान जो कि १५ गुना उनकी रजामन्दी से जारी था वह भूमिधर हो जायंगे। लेकिन इसके बाद आधा लगान न होगा तो यह बिलकुल गलत बात होगी।

इस बिल में धारा १०९ को भी हटाया गया है जो कि माइन्स एन्ड मिनरल्स से सम्बन्धित है। बिलडिंग्ज एन्ड लैंड एपरटीनेंट टु माइन्स का जहां तक संबंध है पहले इसको निकाला नहीं गया था लेकिन अब इसे निकाला जा रहा है। इसका नतीजा यह होगा कि मिनरल्स में बहुत सी चीजे हैं जिनका कि मंत्री जी अनुमान भी नहीं लगा सकते, वह भी इसमें आ सकती हैं। पूरब के जिलों में जमीन में से कंकड़ निकाला जाता है उसकी ओर वह ध्यान दें और माइन्स एन्ड मिनरल्स की वह परिभाषा को देखें तो पूर्व के क्षेत्रों में जो कंकड़ निकलता है वह भी उसमें आ जायगा। ऐसे खेत पूर्वी जिलों में सेन्ट परसेन्ट हैं क्योंकि एक ही स्ट्रेटा दूर तक चला जाता है। इस तरह से इस एक्सेप्शन से बड़ी गलतफहमी होगी और किसानों का नुकसान होगा। लोग अकसर कंकड़ खोद कर सड़क बनाते हैं और अगर वह भी माइन्स ऐक्ट में आ गया तो उसका परिणाम अच्छा न होगा और इसलिये इस धारा को निकालने का प्रयास भी सही नहीं मालूम होता।

इसके अलावा तीसरी चीज पैसे के फ्रेक्शन के संबंध में है। पहले अंग्रेजों के जमाने में लगान ७ करोड़ था और अब वह करीब-करीब ३२ करोड़ तक हो गया है चकबन्दी के बाद। फिर भी एक और २ नये पैसे को जोड़कर सौ दो सौ, पैसा बढ़ा लेना कोई बड़ी अक्लमन्दी की बात न होगी। अभी तक जैसे चल रहा है उसी तरह से इसको चलने दिया जाता और फ्रेक्शन को पूरा मानकर हिसाब लगाना उचित बात न होगी।

इसके अलावा इसमें यह भी रखा गया है कि जब किसी आदमी पर सरकार का पैसा बाकी होगा तो उसकी जमीन सरकार अटैच कर के एक रिसीवर को देगी और उसको पट्टा भी लिखने का अधिकार होगा। इसके माने यह हुए कि उसको जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में जो अधिकार जोतने वाले को हैं वह अधिकार नवैयत के मामले में मिल सकेंगे। अगर कोई भी उसका काश्तकार हो जायगा, सीरदार हो जायगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी? आपने अधिकार दिया है पट्टा करने का जबकि उसको केवल उस जमीन को सुरक्षित रखना चाहिये और वह उसमें कोई तरक्की का काम करे, इस तरह से तो वह उसकी जमीन ही लोगों को देकर बरबाद कर देगा। इसलिये मैं कहूंगा कि यह धारा भी उचित नहीं है।

जहां तक कि पेटीशन्स राइटर्स का सवाल है, अभी तक तो वह कचेहरी में तहसीलदार की सिफारिश पर जिला जज द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। लेकिन आज यह नयी भावना लायी जा रही है। यह कोई उचित है, मैं नहीं समझता।

११७ में श्रीमन्, जो एमेण्डमेन्ट लाया गया है, उसमें एक चीज और देखनी पड़ जाती है कि जहां तक पेड़ों का सवाल है, वह पेड़ जो किसी की काश्तकारी में लगे हुए हैं, या खेतों की मेड़ों पर लगे हुए हैं, उनका मालिक तो काश्तकार होता है और साथ ही साथ जो पेड़ वह आबादी में लगाता है उसका भी वह मालिक होता है; लेकिन जो पेड़ वह बंजर भूमि में लगाता है उसका इसे कोई राइट नहीं होता है। तो श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मंत्री

जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर काश्तकार यह एस्टेब्लिश कर दे कि यह पेड़ उसने ही लगाया है तो भी उसको यह अधिकार देना चाहिये। इस संशोधन से जो काश्तकार बंजर भूमि में पेड़ लगाता है वह अपने राइट्स से महरूम हो जाता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार का अधिकार किसान को मिलना चाहिये।

एक चीज की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट में लैन्ड रेवेन्यू की तरफ से वसूल करने के लिये सरकार ने कोई ऐसे उपाय नहीं छोड़े हैं जो कि बाकी हों। जो उपाय अभी तक इस विधेयक में दिए गये थे। बराबर देखा गया है कि सैकड़ों और हजारों आदमियों को तहसील की हवालातों में बन्द किया गया है। तरह-तरह की यातनाएं वे भोगते हैं परन्तु फिर भी माननीय मंत्री जी का पेट नहीं भरा है। अब इस संशोधन में सब इम्मुवेबिल और मुवेएबिल संपत्ति अटैच करने का प्राविधान किया गया है। अभी तक जो काश्तकार होते थे उनके लिये एक्सैप्शन रखा था कि उनके मकान या उनके बैल, जो उनके खाने पीने के जरुरी साधन है उनको कुर्क नहीं किया जायगा; लेकिन इस विधेयक के द्वारा जो संशोधन किया जा रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि कोई एक्सैप्शन नहीं है, चाहे वह मिल मालिक हो या चाहे वह गरीब किसान हो। तो इस तरह से गरीब किसान को अगर आप कोई एक्सैप्शन नहीं देंगे तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है और गौर तलब चीज है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित करूंगा।

एक चीज और जो देखने में आ रही है वह यह है कि आज चकबन्दी के अन्दर सीरदारी है लोगों की, लेकिन सीरदारी में भी जिस तरह से लोग चाहते हैं, दूसरों के नामों का इन्दराज करा देते हैं तो इससे एक ट्रान्सफर की भावना हो रही है। हमारे यहां पर भूमिधरी भी है लेकिन यहां पर ही हम देख रहे हैं कि सीरदारी के अन्दर जिसको चाहें उसका नाम खाते में डाल देते हैं। तो यह भी एक तरीका है। राइट औफ ट्रासफर का। तो मैं दरखवास्त करूंगा सरकार से कि वह इस प्रवृत्ति को रोके।

श्रीमन्, लगान के बारे में भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब जमींदारी का जमाना था उस वक्त दिक्कत हमारे सामने यह थी कि गांव में जो जमींदार था वही जमीन का बन्दोबस्त करता था और चूंकि गांव में कोई कल-कारखाना अथवा उद्योग धन्धा नहीं होता था जिसको करके गांव वाला अपनी जो जीवकोपार्जन कर सकता। इसलिये जमींदार के मातहत वह रहता था और जितनी मालगुजारी जमींदार मांगता था उसको देकर वह खेत जोतता था। नतीजा यह होता था कि गांव में एक होड़ सी मच जाती थी और अधिक से अधिक लगान पर खेत का बन्दोबस्त होता था। जमींदारी एबोलीशन में यही देख रहे हैं कि बहुत से काश्तकार ऐसे हैं जो ऊंचा लगान देते हैं और आज तक वह कंटिन्यू चला आ रहा है जबकि कानून के अन्तर्गत वह डबल हेरिडिटरी रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिये। आज जब सरकार चकबन्दी करने जा रही है तो एक जगह पर जो एक किस्म के खेत हों उनके लिये एक ही किस्म का लगान हो। चाहे छोटा काश्तकार हो अथवा बड़ा काश्तकार हो, हर एक को उससे फायदा होगा। चूंकि लगान फिक्स्ड होगा और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जो भूमिधर था वह तो पुराने रेट पर लगान अब तक देता चला आ रहा है लेकिन जो हमारा सीरदार हो गया उसको दुगना और तिगुना लगान देना पड़ रहा है। माननीय मंत्री जी इस बात पर ध्यान दें कि उद्देश्य यही है कि स्टैन्डर्ड आफ लिविंग हर आदमी का ऊंचा हो। उसके लिये यह जरुरी है कि आप देखें कि टैक्सेशन जो उस आदमी पर पड़ता है वह अधिक न हो और उसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन न हो। अमेरिका में यह देखा गया कि काश्तकार अपने खेत पर काश्त करता है तो टैक्स लगाने के पहले यह देखा जाता है कि जो खर्चा प्रोडक्शन पर होता है उसको जोड़ा जाता है। देख-भाल करने वाले उसके परिवार के जितने आदमी

[श्री कमलासिंह यादव]

होते हैं उनका खर्चा जोड़ा जाता है। जितने आदमियों का जीवन उस खेत पर निर्भर करता है उनके स्टैन्डर्ड आफ लिविंग की रेट लगा कर उसमें जोड़ी जाती है। इस सब को छोड़ कर जो बचता है उस पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन हमारे देश तथा प्रदेश में हम देखते हैं कि जो आदमी काश्त करता है उसके परिवार में ४,५ आदमी जो उस खेत पर निर्भर करते हैं उन पर जो व्यय होता है उसको टैक्स लगाते वक्त नहीं जोड़ा जाता। मेरा निवेदन है कि अमेरिका में जैसा किया जाता है उस तरफ सरकार ध्यान दे और इस प्रकार कुछ परसेन्टेज आश्रितों पर किये गये व्यय को छोड़कर लगान अथवा टैक्स लगाये तो ज्यादा अच्छा होगा।

उद्योग धन्धों पर ३,६०० रुपया जिसकी आमदनी होती है उसको छोड़ कर टैक्सेशन किया जाता है लेकिन खेती में यह देखा जा रहा है कि किसान पर कोई छूट नहीं है। अगर किसी पर १ रुपया लगान है तो उस पर भी गांव सभा आदि का टैक्स लग जाता है। हमारी प्रणाली ऐसी होनी चाहिये जिसमें यह व्यवस्था की जाय कि गांव में किसी किसान पर ज्यादा बोझ न पड़ जाय। क्योंकि हमें उसके स्टैन्डर्ड आफ लिविंग को ऊंचा करना है इसलिये हमें हर बात को देखना होगा कि उसके ऊपर रेवेन्यू के या और टैक्सेज इतने ज्यादा न हो जायं जिससे उसकी हमेशा के लिये मौत हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी का ध्यान विधेयक की ओर दिलाना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी इन बातों पर ध्यान देंगे।

श्री रामकुमार शास्त्री—

अधिष्ठाता महोदय, संक्षेप में इस विधेयक का मकसद और उद्देश्य जो व्यवहार में कठिनाइयां आई हैं उनको दूर करने का है। मुझे आश्चर्य हुआ प्रथम भाषण पर जब माननीय त्रिपाठी जी ने यह बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने ऐसे उदाहरण हैं जिसको जान कर वह चकित हो जाते हैं।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

अभी दो बजने में ५ मिनट बाकी हैं।

श्री दीपनारायणसिंह—

श्रीमन्, कोरम नहीं है तो कैसे काम चलेगा?

श्री अधिष्ठाता—

दो बजे तक कोरम का प्रश्न नहीं उठेगा।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह जो विधेयक सरकार ने प्रस्तुत किया है उसके अन्दर हम देख रहे हैं कि इसमें ज्ञापन पत्र दिया हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका यह तर्क मैं सुन चुका हूं। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, पहले मेरी बात सुन तो लें।

श्री अधिष्ठाता—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

श्रीमन्, इस प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन से पहले आराजी कानून में इतनी दिक्कतें और परेशानियां थीं और टैन्योर सिस्टम इतना जटिल था जिस जहमत को यहां का किसान गवारा और सहन नहीं कर सकता था । बीसियों प्रकार के टेनेंट्स थे, मौरूसी, शिकमी हीनहयाती, गरज यह कि अनेकों प्रकार की बाधायें इस आराजी कानून में किसानों के समक्ष थीं । इतने बड़े भारी कानून के मसविदा तैयार करने के लिये श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा कि इस सरकार के पास कोई अच्छा ड्राफ्ट्समैन नहीं मालूम पड़ता । यहां पर त्रिपाठी जी ने यह भी बताया था कि इसका ड्राफ्टिंग इसलिये अच्छी नहीं रही कि किसी वकील की सलाह नहीं ली गई । और यह कहा कि अगर कोई वकील हो तो वह ठीक ढंग से कानून को अच्छे सांचे में ला देगा । मेरा निवेदन है जो व्यवहारिक कठिनाइयां संचालन में आई हैं उनको दूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है । मंत्री जी पहले भी कह चुके हैं कि सारे भारतवर्ष में आराजी कानून स्थितिनुसार बदला और जो हमारे प्रदेश को ख्याति मिली हुई है वह किसी से छिपी हुई नहीं है । अर्थात उसकी बड़ी प्रशंसा की गई है । आखिरकार जो दिक्कतें समय-समय पर हमारे सामने आंई उनको दूर करने के लिये हमने यह बिल पेश किया है । इसका एक मात्र उद्देश्य यही है कि यह कानून एक नये ढंग से तजुर्बे के आधार पर चलाया जाय । सैटिलमेन्ट की बात माननीय कमला सिंह जी ने कही है। ईस्ट इंडिया कम्पनी के जमाने से आराजी का सैटिलमेन्ट (बन्दोबस्त) करने के लिये कितनी किताबें लिखी गई, हिदायतें निकाली गई हैं तिस पर भी जमीन की व्यवस्था पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाई । सरकार के प्रयास में हम काफी सफलता पा रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय शास्त्री जी, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । कोरम के लिये घंटी बजाई जाय ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही २ बजकर १ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व, में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री रामकुमार शास्त्री—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कानून कोई ऐसे फुटकर ढंग से नहीं लाया गया कि....

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है —

श्री उपाध्यक्ष—

हां, कहिये ।

श्री कमलासिंह यादव—

वह यह है कि इस विधेयक के साथ ज्ञापन भी दिया है, जिसमें फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम उसका होगा । (उपाध्यक्ष महोदय के बोलने की चेष्टा करने पर) जरा इसको सुन लें, मित्तल साहब से भी जरा राय ले लें तो ठीक होगा । मेरी राय में यह फाइनेन्शियल बिल है और इस पर गवर्नर महोदय की रिकमेंन्डेशन होना जरूरी है जो कि नहीं है । आप इसको देख लें और मंगवा लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री दीपनारायणसिंह---

मित्तल साहब से आप सलाह तब लें जब आप खुद न जानते हों, आप क्या नहीं जानते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

इस वक्त इसकी बात नहीं है, इस वक्त यह प्वायन्ट रेज नहीं हो सकता है। अगर गवर्नमेन्ट जरूरत समझेगी तो वह मंगा लेगी।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय---

आप समझते हैं कि नहीं, आप बताइये।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय अधिष्ठाता महोदय ने तो कह दिया है कि इसकी जरूरत नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय---

अधिष्ठाता महोदय ने तो इसे सुना ही नहीं है, उन्होंने तो बिना सुने ही इसे रोक दिया है।

श्री उपाध्यक्ष---

फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम की तो तभी जरूरत पड़ती है, जब इसमें कोई खर्च हो, लेकिन गवर्नमेन्ट समझती है कि इसमें कोई खर्च नहीं होगा तो कोई इसकी जरूरत नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय---

माननीय मंत्री जी से तो आपने इस पर पूछा नहीं, मंत्री जी बैठे हैं, उनसे आप पूछ लें कि जरूरत है या नहीं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी नहीं, इस पर खर्च नहीं होगा इसलिये देने को जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

बस, मंत्री जी ने कह दिया, अगर इसके अन्दर खर्च हो तभी तो जरूरत है और गवर्नमेन्ट का कहना है कि कोई जरूरत नहीं है तो बस खत्म कीजिये।

श्री दीपनारायणसिंह---

कमला सिंह जी की आदत ही है समय बर्बाद करने की।

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, यह आक्षेप है, इस पर ऐक्शन होना चाहिये।

श्री रामायण राय---

दीप नारायण जी का कहना ठीक ही है, यह वास्तविकता है।

श्री रामकुमार शास्त्री---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय माधो प्रसाद त्रिपाठी जी ने यह कहा था कि यह बार-बार संशोधन क्यों आते हैं। इससे मालूम होता है कि सरकार के पास अच्छे बिल के मसविदे को तयार करने वालों की कमी है और उनका कथन यह भी था कि सिवाय अच्छे वकीलों के जो ऐसे कार्य में सिद्धहस्त होते हैं दूसरा इस प्रकार का सुन्दर बिल का मसविदा तैयार कर ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने वस्तुस्थिति से कहीं दूर जाकर यह बात कही। जमींदारी अबालिशन (उन्मूलन) बिल की ड्राफ्टिंग के पीछे एक जबरदस्त इतिहास तथा वातावरण रहा है। (एक आवाज---वह लोग अच्छे वकील थे)। यह

बात सही है कि उसमें बड़े बड़े अच्छे वकीलों का हाथ था और स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास जी टंडन की काबलियत भी उसके साथ जुडी हुई थी, जिसके बारे में कोई शक शुबहा हो नहीं सकता। उस समय एक ऐग्रेरियन कमेटी भी बनी थी और उसने प्रदेश के काफी जिलों में योग्य व्यक्तियों द्वारा सर्वे किया था और यह भी पता लगाया था कि किसानों की क्या आर्थिक स्थिति है। इतना ही नहीं, अवध में किसान मूवमेन्ट (एक आन्दोलन) नाम से एक जबर्दस्त तहरीक भी चल चुकी थी, उस वक्त की टेनेन्सी सिस्टम को देखकर जहां जहां किसानों को दुशवारी होती थीं उनका अनुभव करके ही जमींदारी प्रथा को हटाया गया था और आज भी यह बिल उन्हीं सिद्धहस्त लोगों की ड्राफ्टिंग की बिना पर इस उद्देश्य से लाया जा रहा है कि व्यावहारिक रूप में जहां कहीं खास तरीके से किसानों को दिक्कतें होती हैं उनको सुधारा जा सके। त्रिपाठी जी ने यह भी बताया कि किसानों के कल्याण के वास्ते जो भूमि सीलिंग के बाद बच रहे अथवा गांव में अगर कुछ बंजर भूमि है तो उसकी व्यवस्था ठीक तरह से नहीं हुई। वह भूलते हैं कि हर गांव में भूमि व्यवस्था समिति बनाई गयी और उसमें प्राथमिकता (प्रायरिटी) जो फौज में हो, जो राजनैतिक पीड़ित हो और जो हरिजन भूमिहीन हो उसको दी गयी है। सैकड़ों एकड़ जमीन पूर्वी अंचल में, बलिया, देवरिया और गाजीपुर में जिनके पास जमीन नहीं थी और जिनके परिवार के काफी लोगों का समय बाहर जाकर रोजी कमाने में व्यतीत होता था उनको कालोनाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत मैं साधारण सदस्य होने के नाते दिलाने और पनपाने की कोशिश करता रहा और वहां काफी जमीन भूमिहीनों को मिली, और दी जा रही है। ५० हजार एकड़ जमीन की व्यवस्था गांव समाज द्वारा उनके लिये की गयी है। माननीय सदस्य को अपने बस्ती जिले के बारे में भी जानकारी नहीं है। अभी आज प्रातःकाल प्रश्नोत्तर के समय में एक उत्तर दिया गया था। जिसमें भूमिहीन हरिजनों आदि को बची भूमि को देने का ब्योरा था। मैं और श्री उग्रसेन जी भी भुक्तभोगी हैं क्योंकि वह भी किसानों में काम करते रहे हैं। लेकिन जो बात त्रिपाठी जी कह रहे थे उससे मुझे निराशा हुई। किसानों को परेशानियां और दुशवारियां हैं इसी लिये तो आपके समक्ष उक्त बिल को लाया गया है। माननीय सदस्य का कहना यह भी था कि सीलिंग से जो बची हुई जमीन होती है उनके ही परिवार के बीच में बांट दी जाती है। उन्होंने बताया कि नेपोटिज्म होता है। भाई बिरादरी को दे दिया जाता है लेकिन एक बात बहुत बाअदब, बगैर किसी इन्सीन्युयेशन (दोष लगाये) हैं कि श्री त्रिपाठी उन्हीं लोगों की वकालत करते रहते हैं जो नेपोटिज्म करते हैं। हंसब ठठाइब और फुलाउब गालू दोनों बातें साथ साथ नहीं हो सकतीं। अतः यह कहना कि भूमिहीनों को जमीन बिलकुल नहीं दी गयी यह ठीक नहीं है। उनको जमीन दी गयी, हो सकता है कि कम हो, यह मैं मानने को तैयार हूं कि गांव में जो संपत्ति होती है उसका दुरुपयोग होता है, उसके लिये भी एक कमेटी बनी है और उसका भी सभापति या सदस्य जो कहिये आप सब की अनुग्रह और कृपा से मैं हूं। इस बात का जिक्र किया जा रहा है और गंभीरता से विचार हो रहा है कि जो बड़ी रेवेन्यू कमेटी होगी उनसे पूछा जाय कि कौन से तरीके अख्तियार किये जायं जिनसे जो कुछ गलत बातें हो जाती हैं वे न हों। लेखपाल और जो सभापति हैं वे सब हमारे और आपके ही कुटुम्ब के लोग होते हैं। उनके सहारे से ही हम लोग यहां पर चुनकर आते हैं और शासन का कार्य करते हैं। वह अगर कोई गलत काम करते हैं तो उसको किस तरह से रोका जाय विचारणीय प्रश्न है। बाते उस सब–कमेटी के सामने आयेंगी तो उनको दूर करने का प्रयास किया जायगा। जनता धीरे धीरे अनुभव प्राप्त करती जाती है उसी आधार से रुकावट को दूर करने की व्यवस्था की जायगी।

हमारे भाई कमला सिंह जी ने यह फरमाया कि कानून आराजी में सुधार की गुंजायश है। मेरा निवेदन यह है कि इस आराजी के कानून में बहुत सुधार किया गया है और अब भी हो रहा है। हमारे जो आई० सी० एस० के लोग हैं वे कलेक्टर इत्यादि से ऊंचे

[श्री रामकुमार शास्त्री]

पद पर काम करने वाले होते हैं। आप किसी भी विभाग को उनको दे दीजिये तो उनसे यह आशा की जाती है कि भरोसे से वह अच्छा काम उस विभाग का करेंगे। लेकिन आपने देखा है कि कानून आराजी में कितने लोगों ने मेहनत से काम किया है और उन लोगों ने काम किया है जो इस देश और प्रदेश के किसानों में अग्रणी रहे हैं और अपनी जिन्दगी में उस सुन्दर कार्य को आगे बढ़ाया है। आज कलेक्टर का दर्जा ऐसा है कि इतने ऊंचे अधिकार पाकर वह पथ भ्रष्ट हो सकता है मुझे इसमें सन्देह है उन्हीं तरक्की करने वालों में से कानूनगो भी हैं वे अपने कार्य में अनुभवी दक्ष और निपुण होते हैं। खामी भी उनमें हो सकती है। इस दर्जे से तरक्की करके बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं। आज भी प्रदेश में कई मिसालें हैं। लेकिन सारा सवाल किसानों को सुविधा देने का है। यह आशा हम करते हैं कि जो गलत काम करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। शासन का इसमें दोष नहीं है। चरित्र भ्रष्ट होने की जिम्मेदारी सदा व्यक्तिगत जिम्मेदारी का विषय है। हम यह जरूर चाहते हैं कि सारा काम सद्भावना और अच्छी नीयत से किया जाय। आपके जो लेखपाल हैं वह आपके सहारे से सारे अराजी के कागजात खसरा और खतौनी तैयार करते हैं। यदि कोई त्रुटि वे करें सो आप माननीय सदस्य हमें सूचित करें।

हमारे कुछ माननीय दोस्तों ने चकबन्दी की कुछ शिकायत की। उसमें शिकायत की बात नहीं है। शुरू में तजुर्बा नहीं था। पंजाब की आप दुहाई देते हैं। वहां से सीखकर इस सूबे में हाकिम लोग आये और उसी तरह से यहां पर काम शुरू किया गया। १९५६ में जब यह काम शुरु हुआ तो बगैर मेड़ तोड़े हुए ही चकबन्दी शुरू हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि चौकोर बनाने के बजाय दूसरी तरह से चक बने। उनकी शक्ल आप देखें तो पता चलेगा कि वह बड़े टेढ़े मेढ़े हैं। जिला लखनऊ तहसील मोहन लाल गंज की समाचार पत्रों में शिकायत की गई थी, मैं तसलीम करता हूं कि चन्द लोगों के चक खराब हुए। पहले जो चक बनाये गये थे वह करीब करीब इसी प्रकार के टेढ़े मेढ़े थे। वैसे सब जगह चौकोर बनाने की बात भी नहीं है पर कोशिश जरूर है। मोहन लाल गंज में अगर ५६ वाले चक को देखने का प्रयास किया जाय तो वे कुछ शरीफे के फल की शक्ल के हैं। मुझे आधा घंटा चक ढूढने में लग गया। एक सब से बड़े किसान के चक को हम लोग मौके पर और नक्शे में देख रहे थे। शुरू शुरू में जो हमारे यहां के लोग पंजाब से ट्रेनिंग हासिल करके आये थे उन्होंने गोल काटने की कोशिश की। वह टेढ़े-मेढ़े शकल के मालूम होते हैं। पहिले पहल हमें उस समय तजुर्बा नहीं था ढंगदार चक बनाने का। जनता ने जिस प्रकार से चाहा उस तरह से उसको काट दिया गया। वहीं किसान, वहीं खेत, वहीं उसका कुंआ वहीं पानी तो वह वहीं अपनी आराजी में ईख तैयार करता है। और उसे पेरकर रस तैयार करता है। गुड़ बनाता है। प्रथम प्रयास में गुड़ गीला हो जाता है। अच्छा भी बन सकता है। पर अपने प्रयास में वह किसान निराश नहीं होता गीली चीटे वाली भेली अनुभव और ताव अच्छा पाने पर सुधर जाती है। सारा खेल अनुभव और तजुर्बे का है। इसी तरह चकबन्दी के कार्य की भी बाते हैं। अनुभव हीन होने ही के कारण ज्यादातर खामी पायी जाती है।

धीरे धीरे किस भांति उसकी भेली दानेदार बनने लगती है? ठीक यही हुआ है चकबन्दी कार्य भी अब चक चौकोर बनने लगे। इस प्रदेश के अन्दर हम ३९ जिलों में चकबन्दी कर रहे हैं और ३९ जिलों में मामूली किसान के घर यदि बटवारा हो तो यदि कहीं गलती रही तो उलाहना पुश्त दर पुश्त चलता है। भाइ भाइयों में चारपाई बंटवारे के समय छोटी बड़ा याद हो तो शिकायत बनी रहता है। चकबन्दी से तो हम हजारों लाखों एकड़ भूमि का बटवारा कर रहे हैं। साधारण शिकायत नगण्य है। एक बड़े भाई और एक छोटे भाई में जब एक घर दूसरे में बंटता है। तब अस तक उलाहना बना रहता है यदि किसी के यहां मेहमान आता है तो दूसरे से कहते हैं कि हमें चारपाई दे दो पर नहीं देते। भाई तक को नहीं दे पाते। हम न मालूम आज कितनी चारपाई का इन्तजाम करने जा रहे हैं। उसमें सम्भवतः गलतियां जरूर हो सकती हैं लेकिन जहां पर खराबी है उसे सदस्यगणों के सहयोग से हम दूर करना चाहते हैं।

जहां बहुत सी दिक्कतें बतायी गयीं वहीं आप रेकार्ड की भी त्रुटियों को बताते हैं। रेकार्ड आपरेशन जब होता है तब उससे कई खामियां सुधर कर अच्छी बनती है। यह कहा गया कि अलाभकर जोत वालों को दूर-दराज जगहों पर डाल दिया गया। लेकिन मेरा निवेदन है कि गोयंड़ की जमीन छोटे किसान को हम पहले देते हैं। यह चकबन्दी की टेक्नीक (गुर) है। वैसे तो इसमें कोई खराबी कहीं हो सकती है, क्योंकि भलामानुस कोई सो रहा हो और चोर आकर गला काट देता है, लेकिन टेक्निक भी कोई चीज है। मैं तो आप में से ही एक साधारण जन सेवक हूं और तजुर्बे की बात कहना चाहता हूं कि छोटे किसानों को समान सुविधा चकबन्दी योजना में है। आपके सूबे के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में जाकर जो देखता हूं वह आपके सामने रखता हूं। यही वास्तविक स्थित है। वैसे तो सभी भूमि गोपाल की है। जितने प्रदेश के रहने वाले हैं, अगर चकबन्दी के द्वारा अधिक पैदावार करते हैं तो सब का ही कल्याण होता है। इसीलिए जमींदारी प्रथा को हमने हटाया। बीच में इन्टरमीडियरी बिचौलिया—मध्यवर्तियों को हटा कर हमने २६ प्रकार की जो नवेयत आराजी थी उसको तोड़-मरोड़ कर ४ प्रकार की जमीन को नवेयत कर दिया है। श्री कमलासिंह जी फरमाते हैं कि किसानों को अधिकार कम हुए। लेकिन उन्हें तो मालूम है कि पहले किसानों के प्रति क्या होता था। गरीबों को पानी तक नहीं भरने देते थे कुओं पर, मन-मुटाव होता था। आज लोग अपने कुएं बना सकते हैं, बाग लगा सकते हैं। आज अगवाड़ा-पिछवाड़ा किसान का है, घर उसका है, वह अपने सीने को ऊंचा करके चल सकता है। थोड़ी बड़ी खामियां हो सकती हैं, उनको दुरुस्त करना हम सब का धर्म है, इसीलिए इस विधेयक को हम लाए हैं और अगर श्री माधव प्रसाद यह कहें कि कोई लाभ नहीं है किसान को तो मैं तो यही कहूंगा कि बड़े लोगों की बड़ी जबान होती है। लेकिन मैं एक अनुभवी सेवक इस प्रदेश का अर्से से रह चुका हूं। अगर कोई खामी है तो नत मस्तक होकर उसको दूर करना कराना चाहता हूं, लेकिन सरापा यह कह देना कि किसानों को कोई लाभ ही नहीं हुआ तो क्या कहूं? आप में से अधिकतर पहले हमारे ही गोल में थे, एक ही पंक्ति में सेवा और भोजन करने वाले थे। हमने दुख-सुख सब साथ सहे हैं। आज दुख तो है ही, सुख यह मिला है कि अच्छा काम भी करते हैं तो बुराई मिलती है। कैसी विडम्बना है।

जहां तक चकबन्दी का सम्बन्ध है, धीरे-धीरे सुधार के साथ चल रहा है। पंजाब की नकल करने की हमें जरूरत नहीं है। अगर अपवाद स्वरूप में किसी आफिसर की नीयत बद हो तो दूसरी बात है, लेकिन आज अफिसरान इतने माहिर होते जा रहे हैं और हो चुके हैं कि सब काम विधिवत् ठीक चल रहा है। सौभाग्य से अपने यहां तो दूसरी जगह से जैसे गुजरात प्रान्त से भी लोग आए थे और चकबन्दी कैसे होती है इसे देखने और अनुभव प्राप्त करने के लिए एक टीम आयी थी। अब तो हमारे उत्तर प्रदेश में इसके लिए एक तालीमगाह (प्रशिक्षण केन्द्र) भी बन गया है, पंजाब जा कर हमको कुछ सीखना बाकी नहीं है। अब हम अपने चक चौकोर और सुन्दर बनाते हैं। पूर्ववक्ता फरमा रहे थे कि चकबन्दी में नालियां आवश्यकतानुसार ठीक कर दी जाय। हम इन तमाम बातों का ध्यान रखते हैं। एक मित्र हमारे फतेहपुर के हैं। हम को मालूम हुआ कि वहां कोई कैनाल इलाहाबाद से आने वाली है। यह जान कर वहां चकबन्दी बन्द करा दी गई और कहा कि जब तक नहर न आ जाय चकबन्दी नहीं करायेंगे। इस पर २०–२५ गांव सभा के सभापति हमारे यहां आए कि चकबन्दी तो हो ही जानी चाहिए। यह है लोगों की प्रबल मांग चकबन्दी होने की।

श्री दीपनारायणसिंह—

वह नहर पहले ही बन गयी।

(व्यवधान)

श्री रामकुमार शास्त्री—

खैर, जो जानकारी मेरी है उसी के आधार पर ही मैं सदन में निवेदन कर रहा हूं। श्री कमला सिंह जी ने जैसा कहा, उसके लिए मुझ निवेदन करना है कि बस्ती जिले में एक बांध बिस्वां से सहजनवां तक बनने वाली थी। निकटवर्ती बसे वहां के किसानों ने कहा कि अगर इससे

[श्री रामकुमार शास्त्री]

अलाभकर गांव किसानों के खेत आ जायेंगे तो उनको बहुत नुकसान होगा। इस का समुचित इन्तजाम किया गया। इस प्रकार हमने चकबन्दी में बहुत कुछ व्यवस्था करने का प्रबन्ध और प्रयास किया है और बराबर किसानों को हम सुविधा देने का प्रयत्न करते हैं। हाहाकार वाली स्थिति नहीं है। ये व्यर्थ के शब्द सम्बोधित किए जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अच्छे भूमि सुधार सम्बन्धी कामों को हमें चलने देना चाहिए। अगर कहीं गलती हो जाय तो वह आपके सहयोग से ही ठीक हो सकती है। जहां जहां माननीय सदस्यों की निगाह रहती है वहां गलती कम होती है। श्री केशरी प्रसाद जी को बड़ी शिकायत चकबन्दी के सिलसिले में थी। जैसी स्थिति थी उसके हिसाब से उनका मुतालबा पूरा किया गया। जब तक हमारे पास साधन हैं तब तक भले ही शीघ्र सुविधा प्राप्त करने में दुश्वारी होती रहे, लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए हम देर सबेर कोशिश करते रहेंगे और वह आपको मिलती रहेगी। चकबन्दी के काम में दिक्कतें होते हुए भी हम उसे सम्भाल और संवार रहे हैं। यह बड़ा गहन कार्य है और अगर माननीय सदस्य अपने यहां जा कर देखें तो वे कहीं न कहीं सम्भवतः उलझ जायंगे और सोचेंगे कि एक रेस्पेक्टेबिल डिस्टेंस पर रहना ही अच्छा है वरना बदनाम हो जायेंगे यह ठीक है कि हम हर किसान की बात पूरी नहीं कर पाते। अगर एक किसान अच्छा चक चाहता है तो लाजमी है कि किसी दूसरे का चक खराब हो, लेकिन हमारे सूबे में बहुत से ऐसे जिले हैं जहां बहुत अच्छा काम हुआ है। मुजफ्फरनगर और पश्चिम के दूसरे जिलों में बहुत अच्छा काम हुआ है। गोंडा–बहराइच आदि में भी काफी अच्छा काम हुआ है। जहां खामियां हैं। वहां माननीय सदस्यों को बतलाना चाहिए और उसके लिए हम कोशिश करेंगे। हम को कोई जिद नहीं है। शिकायत आने पर हम अफसरों को टरमिनेट शिकायत साबित होने पर अलग कर देते हैं और जब टरमिनेट करते हैं तो हमारी प्रार्थना है कि आप उनके लिए सिफारिश न लायें। आप के ऊपर प्रेशर पड़ता होगा, और आपका प्रेशर हमारे ऊपर पड़ता है। जहां कहीं नक्शे और मौके में फर्क हो उसे दुरूस्त करने के लिए ही यह बिल लाया गया है और उसी के लिए दफा २७ का हवाला मन्त्री जी ने दिया है। उसी में यह संशोधन करना चाहते हैं। जिससे किसानों को राहत मिले और वे वकीलों के चंगुल से बचें।

इसके अलावा कुमायूं और जौनसार बावर में वहां की भूमि-व्यवस्था में तथा लगान की वसूली को हमको ठीक करना है। उसके लिए टुकड़ों में यह बिल आया है। इससे मैदानी इलाके की भांति पहाड़ के निवासियों को भी जमींदारी उन्मूलन की समान सुविधा मिलेगी।

इसके अलावा जितने भी इसमें संशोधन वसूली आदि के हैं, उनमें कोई विशेष महत्व का नहीं है और उसमें किसी में गम्भीरता से सोचने की भी बात नहीं है। कोई मौलिक या बुनियादी बात उनमें नहीं है। अतएव माननीय सदस्यों का अमूल्य समय नष्ट नहीं होना चाहिए। इसमें तो केवल साधारण सुधार सम्बन्धी बातें कही गयी हैं और कठिनाई के निराकरण के लिए ही यह बिल लाया गया है। दोनों माननीय सदस्यों ने तमाम जमींदारी खात्मा पर ही अपना भाषण दे डाला। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उनकी बातों को सुनकर। जमींदारी प्रथा में किसानों को यह महसूस ही नहीं होता था कि जमींन भी उनकी है। उन्होंने अपने लोटा-थाली जेवर बेच कर, पैसा इकट्ठा किया और जमीन की मिलकियत भूमिधर बन कर हासिल की। आज वे समझते हैं कि जमीन उनकी है। बिना किसी खून खराबी के हमने इतना बड़ा काम जमींदारी उन्मूलन का किया, जमींदारी को खत्म किया, किसानों को इतने अधिक अधिकार दिये, उनको भूमि का मालिक बनाया, और फिर भी आप कहते हैं कुछ किया नहीं गया, धन्य है।

चकबन्दी में जो काम हुए हैं, संसार में इस प्रकार का कहीं आप उदाहरण नहीं दिखा सकते। चकबन्दी से हमारे यहां अवश्य अवश्य लाभ हुआ है। किसान इसे महसूस अच्छी तरह करता है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

मैं अपने यहां की चकबन्दी की तारीफ करता हूं।

श्री रामकुमार शास्त्री—

सब जगह अच्छा काम हुआ है, कहीं-कहीं से कुछ शिकायतें जरूर आती रहती हैं। इत्तिफाक से मेरा छोटा सा दफ्तर भी सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर के निकट ही है। जो भी सोशलिस्ट पार्टी के पास शिकायत लेकर आते हैं, माननीय सदस्य उन्हें लेकर मेरे पास चले आते हैं। जो भी मेरे पास शिकायतें आती हैं, मैं उनको छानबीन कराके दूर करने की कोशिश करता हूं। कहीं मथुरा जिले के किसी किसान का चक रोड के बीच में कुवा आ गया चक, रोड के तो उसको भी ठीक करवा दिया गया है, जो भी शिकायतें आयी हैं, उनको देखा भाला गया है। तो चकबन्दी का अच्छा असर हमारे यहां हुआ है, शिकायतों के बारे में जितना सम्भव हुआ है उसको दूर करने की कोशिश की गयी है। माननीय श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी तो इतने काबिल वकील हैं कि उनकी तारीफ वह अपने स्वयं करते हैं। उनके द्वारा ऐसी बात सुनकर जरूर ताज्जुब होता है। कहते हैं कोई सुधार इतने वर्षों में किसानों का नहीं हुआ। बिल के मसविदा के बनाने में कमी की बात भी कही गयी। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इसकी तारीफ सारे भारत में हुई है। इसके लिए ऐसी हल्की बात कहना सर्वथा उचित नहीं है। अगर कोई ले मैन अनजान ऐसी बात कहता तो मुझे दुख न होता, किन्तु उन जैसे योग्य व्यक्तियों से ऐसी निराधार आलोचनात्मक बात सुन कर जरूर ताज्जुब होता है। जो कानून के माहिर अपने को कहते हैं, व अगर ऐसी थोथी बातें कहें तो आश्चर्य होता है। मुनासिब तो यह था कि इस प्रस्तुत विधेयक का समर्थन किया जाता। किसानों के सामने, जो वास्तविक दुश्वारियां हैं उनकी ओर ध्यान दिलाया जाता, जो खामियां हैं उनकी ओर हमारा ध्यान दिलाया जाता, तो उससे हमें भी कुछ लाभ होता और किसान को उत्पीड़क कोआर्सिव मेजर्स इस्तेमाल करने की बात कहीं गयी। दो चार केसेज हो सकते हों इसके हुए हों, मगर हम तो ज्यादा से ज्यादा सुविधायें मालगुजारी जमा करने में देते हैं। विशेषत: छोटे किसानों के लिए गरीब किसान जो हैं। उसको भी हम बराबर सुविधा देते हैं। अगर आपत्काल में उनकी फसल जाया हुई ओले पड़े, या और कोई दैवी प्रकोप हुए, तो तीन करोड़ की छूट हमने उन्हीं किसानों के राहत के वास्ते दी है। जो यह विधेयक आया है, यह सुधार के लिए आया है। इसको तो माननीय मन्त्री जी ब्योरेवार रख रहे हैं। लेकिन, जितने भी भाषण हुए हैं, उनको सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वे एक जनरल ढंग से इसको देखते हैं और उससे जितना भी लाभ और हानि है, अगर उस दृष्टि से देखते तो इसमें इतनी बहस करने की जरूरत भी न होती। अन्त में इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूर्णरूप से समर्थन करता हूं। और आशा करता हू कि माननीय सदस्य भी समथन करेंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि जो आधा लगान भूमिधरी पर है, जरा उसके बारे में स्पष्ट कर दें....

श्री रामकुमार शास्त्री—

मन्त्री जी अपने भाषण के समय सभी स्पष्ट कर देंगे।

श्री दीपनारायणसिंह—

इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ संशोधन जो माननीय राजस्व मंत्री ने सब किसानों की भलाई को ध्यान में रख कर प्रस्तुत किये, उनका हम सब को स्वागत करना चाहिये क्योंकि जब हम किसी भी संशोधन या बिल पर बात करें तो यह देखें कि कौन संशोधन किसानों के लिये कितना लाभदायक है। हम सभी ने चकबन्दी के अनुभवों के आधार पर यह देखा कि हर जिले में लाखों नक्शों में खसरों में गलतियां आई और जो अन्तिम मान तैयार किया गया उसके अनुसार कोई कहीं भी कुछ मुकदमा नहीं चला सकता। खुद मेरे गांव की बात है। नक्शे खसरे तो बन गये पर उस के बाद फिर बेईमानी से तैयार करा लिये गये। अब फिर उनके संशोधन का कोई रास्ता नहीं था और आप, माननीय उपाध्यक्ष जी, आश्चर्य करेंगे कि मेरा मकान शादीपुर म है जो कलेक्टरी कचेहरी से लगा हुआ है। वहां से तहसील की तरफ हेल्थ

[श्री दीपनारायणसिंह]

आफिसर के मकान के सामने जमीन है वहां का दफ्तर करीब १०० गज की दूरी पर है। लेकिन हुआ क्या ? मेरे मकान और श्री राम प्यारे पान्डेय, वकील, के मकान के बीच में दो और मकान हैं। नक्शे में मेरे मकान को मय जमीन के श्री रामप्यारे वकील के मकान के सामने दिखा दिया गया है। श्री उपाध्यक्ष महोदय, इस का नियम ५२ में प्रकाशन भी हो गया। मैंने इसके बाबत लिखा भी था। परन्तु इस समय मैं आप को बधाई देता हूं इस बात के लिये कम से कम कि आप ने यह संशोधन किया दफा २७ में कि "उपधारा (२) और (१) में चकबन्दी के अनुसार तैयार किये गये अभिलेख की सभी प्रविष्टियां ठीक मानी जावेंगी जब तक कि उस के प्रतिकूल प्रमाणित कर दी जायं" यानी उस को गलत साबित करने का अदालत ने मौका दिया। इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं। इतनी मैंने, प्राइवेट भी प्रार्थना की थी और अब भी की है। लेकिन श्रीमन्, ऐसा भी है कि बहुत से गरीब इसमें मुकदमा नहीं चला सकेंगे। फिर भी यह सही बात है कि अगर किसी चीज को हम देखें तो हर दृष्टि से उस को देखें। दूसरी बात हमारे यहां के किसान जमीन को बहुत चाहते हैं और यही कारण है कि चकबन्दी के दौरान में जो भ्रष्टाचार हुआ वह इसी मनोवृत्ति का फल है। हर आदमी अच्छी जमीन लेना चाहता है। खराब दूसरों को देना चाहता है और रुपया देकर के तिकड़मबाजी करके असर डालकर यह काम करवाना चाहता है। इसका नाजायज फायदा अधिकारी उठाते हैं। उस में बहुत सी पार्टी-बन्दियां भी हो जाती हैं, गलतियां होती हैं। वह गलतियां यहां भी आती हैं। यह सही बात है, आप भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा। लेकिन इसकी दवा न माल मन्त्री के पास है और न किसी के पास है। जब तक मोरेल ठीक नहीं होगा तब तक यह चीज दूर नहीं हो सकती। बहुत को रगड़ा भी है आपने। अच्छे भी आप के यहां बहुत से हैं, अच्छों को लोग बुरा भी कहते हैं लेकिन इसकी वजह वही है जो मैंने अभी आप को बतायी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पहली दफा चकबन्दी जब आपने की तो नालियां जो नहर की थीं उनको दौरान चकबन्दी बनाने की बात नहीं थी। तो बाद में उसमें फौजदारियां हुईं क्योंकि दिक्कत उस में यह थी कि कोई भी आदमी अपनी जमीन में नये सिरे से नालियां बनाने नहीं देना चाहता था। इसलिए यह जो आप ने दौरान चकबन्दी बनाने का रखा है यह अच्छा काम किया है और मैं कहूंगा कि जो पुरानी जगह हैं वहां पहले ऐसा नहीं था, वहां भी इसको ठीक करें।

मेरे जिले के माननीय रामकिशोर जी वर्मा एम० एल० ए० के यहां आज ही चार पांच काश्तकार बुढ़वां गांव के आये थे। एस० ओ० सी० के यहां उन की सारी बहस हो चुकी, जबानी फैसला भी वह सुना चुके लेकिन फैसला लिखा नहीं। उस की वजह से सारी दिक्कतें हो रही हैं। इस किस्म के केसेज बहुत से हैं। इसलिये यह आप ताकीद कर दें कि निर्णय जब दें तो तुरंत लिख दिया जाय। और दसरी बात यह कि यह घास काटने वाली प्रणाली गलत है कि जल्दी चलो, जल्दी चलो। जो गलतियां आप के यहां हुई हैं उनके बारे में मैंने अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी काम हमसे मांगा जाता है कि इतना काम कर डालो। अदालतों में भी यही हो रहा है। दस मुकदमों में दो दो गवाह हैं, बड़ा मुश्किल है, जिरह होनी है, सब कुछ होना है। एक तरफ तो पेशकार बैठा, दूसरी तरफ अहलमद बैठा और एक तरफ खुद लिखना शुरू किया, यह घास काटने वाली चीज जुडिशियरी में ठीक नहीं है। आप एक साल की जगह तीन साल लगाइए लेकिन कम्प्लीट काम कराइए। जल्दीबाजी का काम शैतान का हुआ करता है। चकबंदी की सारी बुराई जल्दीबाजी के कारण है। जहां पर कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी चक बनाइए वहीं पर ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ी आज हुई है। मैं, माननीय रामकुमार शास्त्री की बात से सहमत हूं। आप और हम गलतियां कर सकते हैं। यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में आप की सत्तारूढ़ पार्टी ने अगुवाई की और मौरूसी हक काश्तकार को आपने दिये। यह बहुत बड़ी अगुवाई आप ने की। जो बात है वह माननी पड़ेगी। लेकिन आप ने अगस्त, सन् १९४६ में जमींदारी एबालीशन

करने का प्रस्ताव पेश किया और ६ साल जो उसमें लगा दिए इस बीच पोखर तालाब सब उनके पेट में चले गए। फिर जमीन के लगान के बारे बड़ी असमानता है। जो मेहनत करने वाली कौम है उसको ज्यादा देना पड़ता है। मैं आप से दरख्वास्त करूंगा कि जमींदार एबालीशन की धारा २४६ में संशोधन कर के आप लगान भी एक समान करिए, एक किस्म की जमीन पर सब काश्तकारों से समान लगान लीजिए। अभी आप को और संशोधन करने होंगे और उसके लिए आप दोनों तरफ के अच्छे अच्छे लीगल जानकारी वालों की कमेटी बना लीजिए। और सारी चीजों की छानबीन करें अपने तजुर्बे से मैं भी आपकी मदद करने के लिये तैयार हूं, चाहे आप मुझे उस कमेटी में रखे या न रखे। सही बात है कि हम को अपने तजुर्बे से अपनी गलतियों को देखना चाहिये। अगर आज वे नहीं मालूम होती हैं तो कल सामने आवेगी लेकिन बहुत जल्दी जल्दी संशोधन करने से बड़ी दिक्कत होती है। किताब जो छपती हैं, वकील भी कहते हैं कि रोज कौन खरीदे और काश्तकारों को भी दिक्कत होती है, आप को भी दिक्कत होती है। तो जब आप कोई संशोधन की बात करें तो इस बात को भी दृष्टि में रख कर ही करें। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि बकाया में काश्तकार की खेती बारी नीलाम या कुर्क कर ली जाय। मैं इसलिये कहता हूं कि देहात का जो काश्तकार है उसी पर उसकी जिन्दगी है, जिसमें वह कमाता है। पंजाब रेवेन्यू मिनिस्टर, सर छोटू राम, ने तो यहां तक कर दिया था कि काश्तकार की जमीन किसी किस्म से भी नान-काश्तकार के पास न जाने पावे। मैं तो यह कहने के लिये तैयार हूं कि कोई नानकाश्तकार किसी काश्तकार की जमीन खरीद भी नहीं सके। सर छोटू राम ने पंजाब के किसानों के हित में ही यह काम किया था। इसी तरह से आप से मेरा निवेदन है कि किसानों की चाहे और कोई जायदाद आप नीलाम कर लें, घर कुर्की कर लें लेकिन उस की जिन्दगी बसर करने के लिये या परमानेंट साधन जमीन है, उस पर हमला न कीजिये। श्रीमन्, मेरे पास ६ एकड़ जमीन है जिसका मैं भूमिधर बन गया और लगान आधा हो गया। उसे बेचने और रेहन करने का हमें अधिकार है लेकिन मेरा कहना यह है कि यह जो बेचने यह हस्तान्तरण करने का तरीका है उस पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है। मान लीजिये कि साहूकार ने मेरे ऊपर डिगरी करा ली और उस में वह मेरी सारी जमीन ले ली, फिर मैं क्या करूंगा? इसलिये आप इस पर कोई प्रतिबन्ध लगावें कि सरकार या कोई भी अपने कर्जे की डिगरी में काश्तकार का मकान नीलाम या कुर्क करा लें, उसे जेल भेज दें लेकिन कम से कम उसकी जमीन नीलाम न करावे।

मुझे मालूम है कि सरकार का करोड़ों रुपया सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के रूप में पूंजीपतियों व मिल मालिकों पर बकाया है लेकिन उस की वसूलयाबी के लिये किसी मिल को नीलाम या कुर्क नहीं करा सकी है। माननीय हुकुम सिंह जी आप किसानों के हितैषी हैं, बुजुर्ग हैं, और देश की आजादी के लिये आप ने बहुत कुछ किया है। आप यह सोच लें कि जब मिल मालिकों से करोड़ों रुपये की बकाया में उन की कोई मिल नहीं नीलाम करा सके हैं तो इन छोटी हैसियत के काश्तकारों को नीलाम कराने की बात क्यों सोच रहे हैं। इस विधेयक में जो अच्छे संशोधन हैं उन की मैं ताइद करता हूं। उत्तर प्रदेश में अधिकतर किसान हैं और हम सब उन्हीं के प्रतिनिधि हैं। आप की जो यह सरकार बनी है वह किसानों की वजह से ही बनी है। आप जितने भी काम किसानों के हित में करते हैं, चाहे वे सोशलिस्ट हों, चाहे हम निर्दलीय सदस्य हों, सभी आप की ताइद करते हैं। आखिर हम इस असेम्बली में आये किस लिये हैं?.....

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कहां करते हो?

श्री दीपनारायण सिंह—

मैं करता हूं, लेकिन मेहरबानी करके आप कुर्की वाली और नीलाम वाली धारा इसमें से हटा दीजिये। इन शब्दों के साथ मैं आप के इस संशोधन विधयक का स्वागत करता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बिल को सपोर्ट कर रहे हो ?

श्री दीपनारायणसिंह—

आन दि होल सपोर्ट कर रहा हूं।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय माधो प्रसाद जी की कुछ बातें सुन कर थोड़ी सी हैरानी हुई और उससे भी ज्यादा परेशानी हुई माननीय कमला सिंह जी की बात को सुनकर के। क्योंकि यहां कितनी बातें कही गयीं उनका प्रस्तुत संशोधन से कोई तारतम्य नहीं था। आप, उपाध्यक्ष जी, उस वक्त थे नहीं लेकिन मैं उन बातों की तरफ आपका ध्यान नहीं दिलाऊंगा। कुछ विशेष बातों की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे एक मित्र ने कहा कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में काश्तकारों की कोई सिक्योरिटी नहीं रही। और फिर उसके बाद अपने ही दूसरे तर्क में माननीय सदस्य ने कहा कि नहीं, उसको भूमिधर होने का हक प्राप्त है और भूमिधर होने के बाद वे अपने स्थान पर सिक्योर्ड हैं। दोनों तर्क परस्पर विरोधी रहे और मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भूमिधरी अधिकार सरकार ने अपने शासन में बना रखा है मैं समझता हूं काश्तकार के लिए वह एक उत्तम मार्ग है जिसके द्वारा वे अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकता है।

दूसरी बात कही गयी कि कुछ लोगों के पास अधिक खाते हैं, और उसी प्रसंग में यह भी बात कही गयी कि नहीं लोगों को जमीन शिकमी पर उठाने का अधिकार होना चाहिये फिर उसकी तफसील में चले गये। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो इस बात की वकालत करें कि बड़ी जोत वालों के पास जोत रहे और उन को शिकमी पर उठाने का अधिकार रहे। यह वही कह सकता है जिसका गरीबों से वास्ता न हो, सोशलिस्ट होने के नाते मैं कहता हूं कि सरकार ने जो तरीका अख्तियार किया हो सकता है कि उस तरीके के लागू करने में कहीं कोई दिक्कत हो लेकिन सिद्धान्ततः लैन्ड सीलिंग करके जो जमीन निकाली जा सकती है इस पर अगर बल दिया गया होता उस के बटवारे की बात कही गयी होती तो कुछ सिद्धान्ततः बात समझ में आती। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि नये सिरे से शिकमी पर उठाने का अधिकार बड़े जमींदारों को दे दिया जाय।

एक बात सुनकर और आश्चर्य हुआ और वह बात अगर उपनेता जनसंघ ने कही तो ताज्जुब नहीं हुआ लेकिन जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कही गयी तो ताज्जुब हुआ कि दो भाषाएं एक तरफ से कैसे बोली जा रही हैं ? एक पूंजीपति के पोषक की विचार धारा और दूसरी तरफ बड़े जमींदार लोग। आप देखें जन संघ में बैठने वाले लोग सब राजा, महाराजा हैं वह अगर कहें कि नहीं हम को शिकमी पर उठाने का अधिकार दो तो मैं समझ सकता हूं कि वे क्यों कहते हैं लेकिन जब सोशलिस्ट लोग वकालत करेंगे, तो धन्य हैं वह समाजवाद जिसको वह लाना चाहते हैं, और कुछ ऐसा लगता है कि रिश्ता नजदीक होता जा रहा है। भाषा पर तो था ही अब जमीन पर भी हो रहा है। एक तर्क और दिया गया और वह यह कि भूमिधरी का लगान और सीरदारी का लगान अगर किसी एक की जमीन है, तो उस को एक कर देना चाहिये। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि हरगिज एक न कीजिये। जिस भूमिधर ने दसगुना जमा करके अपना लागन आधा करा लिया है तो तमाम माननीय सदस्यों के कहने पर भूमिधर का लगान सीरदार के बराबर कतई न कीजिये। इस प्रकार का अगर तर्क दिया जायगा, काश्तकारों के समर्थन में और उस पर अगर जनमत संग्रह लिया जाय कि माननीय सदस्य जो सोशलिस्ट पार्टी के हैं उनका यह तर्क है तो उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर यह तर्क क्यों दिया जा रहा है ? इस तरह से काश्तकारों के विरुद्ध क्यों बात की जा रही है ? हो क्या गया है ? मेरी हैरानी और परेशानी इन्हीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से बढ़ गयी कि आज जो लोग अपने को सोशलिस्ट कहते हैं वे इस तरह का नारा लगायें।

एकबात और की गयी, जो काबिज के इन्दराज से सम्बन्धित थी। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसने पटवारियों के हाथ से काबिज का इन्दराज छीनकर काश्तकारों का भला किया है। मेरी राय में यह निहायत ही उचित कदम है। और यह मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं बल्कि सभी लोगों ने इस बात की मांग की थी कि काबिज का इन्दराज, जो पहले पटवारियों और आज के लेखपालों को करने का था वह उस से छीना जाना चाहिये। मैं सरकार को इस कदम के लिए बधाई देना चाहता हूं कि यह उस ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर कानूनगो के भी काम में कोई दिक्कत पैदा हो और माननीय मन्त्री जी की नोटिस में कोई शिकायत आये तो यह अधिकार उस से भी हटा लीजियेगा। लेकिन यह किया तभी जाय, जब इस तरह की निश्चित शिकायतें सरकार को प्राप्त हों। मैं यह नहीं कहता कि आज ही कानूनगो से छीन लें जब तक कोई प्रमाण न हो तब तक ऐसी मांग करना मैं अनुचित समझता हूं और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जल्दी का काम शैतान का होता है। यही माननीय दीपनारायण सिंह ने भी कहा। मैं कतई सरकार को यह सलाह नहीं दूंगा कि दीपनारायणसिंह जी ने जो कहा उसको मान लें, बहुत सोच-विचार करके सरकार को इस बारे में कदम उठाना चाहिये। और जो हमारी नीति इस समय लागू है उसके खिलाफ जब तक कोई बात न मिले, तब तक उसको बदलना नहीं चाहिये।

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी का एतराज यह था कि इसको बहुत देर में लाया गया और मैं यह समझता हूं कि इस समय भी अगर यह बिल लाया तो इसमें कोई खास देरी की बात नहीं है और वह इस लिए महसूस नहीं करता हूं कि इसमें जितने भी संशोधन हैं उनको देखने से देरी की कोई बात नहीं मालूम होती क्योंकि काफी सोच समझकर यह बिल लाया गया है। इस बिल के खण्ड ३ में यह कहा गया है कि नदी की प्रक्रिया से अगर कोई जमीन हमारे प्रदेश में आयेगी, तो वह हमारे राज्य की सम्पत्ति होगी। बहुत मासूम संशोधन है। अगर नदी की प्रक्रिया से कोई जमीन हमको उत्तर प्रदेश बिहार बाउन्डरी के फैसले के फलस्वरूप बलिया जिले में मिलती है, तो क्या हम यह कहेंगे कि हमारा क्रिमिनल और रेवेन्यू जुरिस्डिक्शन बिहार में रहेगा? यह कैसे सम्भव है?

श्री कमलासिंह यादव---

एक बात मैं माननीय कल्पनाथ सिंह से कहना चाहता हूं। इस में यह नहीं दिया है कि वह जमीन हमारी होगी बल्कि जो जमीन इस तरह की बढ़ेगी उस पर इस ऐक्ट का प्रसार करेंगे।

श्री कल्पनार्थसिंह---

यही मैंने कहा कि हमारा रेवेन्यू जुरिस्डिक्शन होगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह संशोधन कितने उचित मौके पर है कि इधर बिहार सीमा डिस्प्यूट का फैसला हुआ जो हम सब को मिला और उस पर अभी बहस भी नहीं हुई लेकिन सरकार तैयार है कि ज्यों ही फैसला हो हम अपना अधिकार-क्षेत्र बढ़ायें, तो यह संशोधन उस पंच निर्णय से सम्बन्धित है कि जो जमीन हम को मिलेगी, उस पर हम अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं। इस लिए मैं इस संशोधन की ताइद करता हूं और चाहता हूं कि अन्य माननीय सदस्य भी इसकी ताइद करें।

इसके अलावा खण्ड ५ के गांव सभाओं को कुछ अधिकार दिये गये हैं कि अगर वह माइनर इरिगेशन से सम्बन्धित वाटर चैनेल्स या नालियां जो बनें या नहरों की गूलें बनें और जो काम 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत कार्य हों उन सब के रख-रखाव और आगे बढ़ाने के लिए उनके संरक्षण के लिए यह आवश्यकता समझी गयी कि यह जिम्मेदारी गांव सभाओं को दी जाय, वह काम लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी का था लेकिन अगर गांव सभाओं को भी यह काम सौंप दिया जाय तो इस में कोई सदेन्ह की बात नहीं है। माइनर इरिगेशन के सम्बन्ध में और अधिक अन्न उपजाओ योजना की दिशा में और खास तौर से जब से इस सरकार का ध्यान कृषि उत्पादन की ओर गया है तब से आवश्यक हो गया है कि इस प्रकार की चीजें सरकार निहित कर दे और यह काम गांव सभाओं को दे दे। अगर वह मुनासिब समझेगी तो इस

[श्री कल्पनार्थसिंह]

काम को उनसे वापस भी ले लेगी। मान लीजिये कि वापस लिया और गांव सभा ने कोई ड्रेन बनाया या कोई कांस्ट्रक्शन का काम किया, अगर गांव सभा का यह अधिकार होगा तो वह उसको बढ़ाकर भी सरकार उस को देगी। इस प्रकार की व्यवस्था इसमें है। मेरी समझ में नहीं आता कि फिर क्यों इसका विरोध हो रहा है कि यह विधेयक जनमत संग्रह के लिए भेजा जाय या प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, मेरे ख्याल से निरर्थक बहस से तो कोई लाभ नहीं होता।

इसके अलावा जो रिसीवर की नियुक्ति की बात है अगर कोई बड़ा आदमी है या मिल मालिक है और उस की प्रापर्टी को अटैच करने की बात है तो उसकी नियुक्ति होगी और उस के द्वारा उसकी प्रापर्टी की हिफाजत की जायगी। नियमों और विधि के अनुकूल सरकार अपनी बकाया उससे वसूल करेगी और इसी कार्य के लिए रिसीवर की नियुक्ति चाहते हैं। अगर किसी के पास मालगुजारी बाकी हो तो उस को जेल में रखना या हवालात में रखना या उस की जायदाद को कुर्क करना मुनासिब न समझ कर ही हम चाहते हैं कि एक रिसीवर की नियुक्ति कर दें और वह उस जमीन को पट्टे पर उठा दें और अगर कोई आदमी पट्टे के लिए तैयार न होगा केवल तभी कुर्की की बात आयेगी। माननीय दीप नारायण जी चले गये मैं उनसे अर्ज करना चाहता था कि जब उस सीमित क्षेत्र में कोई जमीन को पट्टे पर लेने को राजी न होगा तभी नीलामी का सवाल पैदा होगा और अगर कोई पट्टे पर लेना चाहेगा तो उसको जमीन दे दी जायगी। इस में यह भी व्यवस्था है कि मान लीजिये कि पट्टा दस साल के लिए हुआ है और अगर बीच में ही बकायादार अपनी बकाया अदा कर देता है तो वह पट्टा पूरी अदायगी पर अपने आप खत्म हो जायगा। इसलिए कौन-सी इस में खास बात हो गयी ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

माननीय सदस्य ने श्रीमन्, अभी कहा कि पट्टा चाहे कितने ही साल का हो अगर बकायादार पैसा अदा कर देता है तो किसान की जमीन वापस हो जायगी यह चीज वह कृपा कर बतावें कि यह दफा अधिनियम में कौन-सी है ?

श्री कल्पनार्थसिंह—

मैं अर्ज करना चाहूंगा कि यह १८वां खंड जो है उस को आप पूरा पढ़ें उस के बाद जो वह कहेंगे मैं उनकी बात सुनूंगा और मेरी जानकारी गलत होगी तो मैं अपने को ठीक कर लूंगा। आप दफा १७ व १८ पढ़ें, तब कहें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें ऐसी व्यवस्था है यदि वह है, तो वह बतायें नहीं तो जो संशोधन हम देंगे, उसे आप स्वीकार करें।

श्री कल्पनार्थसिंह—

जोत की कुर्की और उसे पट्टे पर देना या बेचना संशोधन १८ में दिया हुआ है। इसके उपखंड (१) में दिया हुआ है कि :

> "पट्टे की अवधि समाप्त हो जाने पर जोत के सम्बन्ध में मालगुजारी की किसी बकाया के लिए राज्य सरकार के बिना किसी दावे के जोत सम्बद्ध खातेदार को वापस दे दी जायगी।"

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, इस से तो स्पष्ट नहीं होता कि पट्टा चाहे जितने दिनों का हो अगर काश्तकार रुपया वापस कर देता है तो पट्टा समाप्त हो जायगा। पर हम चाहते हैं कि इसकी व्यवस्था हो जाय।

श्री कल्पनाथसिंह—

इसके अलावा जो अमेंडमेंट्स हैं वे जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, कुछ उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ को संशोधित करने वाली अनियमितताओं में संक्रमणकालीन उपबन्धों का संशोधन, कुछ भूमि विधि संशोधन हैं। इन संशोधनों में कोई खास बात नहीं है जो इतनी बहस की जाय। लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो बहस होती रहे। बहस अच्छी बात है, लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन-सी ऐसी खास बात है कि जिस को जानने के लिए आप इसे प्रवर समिति में या जनमत जानने के लिए भेजना चाहते हैं। एक माननीय सदस्य कहते हैं कि इसे लाने में देर हुई है। एक माननीय सदस्य ने यह कहा की इसको जनमत संग्रह के लिए परिचालित किया जाय। तो मैं नहीं समझ पाया कि कौन-सा रास्ता पहले अख्तियार किया जाय। यह मैं अवश्य चाहूंगा कि हमारे माननीय सदस्य जो अपने अपने संशोधन पेश करना चाहें वे कर दें पर वे इस विधेयक को पास होने दें।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक माननीय माल मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है और जिसके द्वारा भूमि विधियों में संशोधन किया जा रहा है उस में कुछ संशोधन ऐसे हैं जो वास्तव में स्वागत के योग्य हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी कमियां हैं जिनकी पूर्ति की आवश्यकता है। मैं कुछ चन्द बातें माननीय माल मन्त्री जी की सेवा में अर्ज करना चाहता हूं। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में धारा ११७ और ११७-क जो है उसकी जगह पर एक नयी धारा लायी जा रही है। यह धारा वह है जिसके अनुसार जमींदारी खात्मा के बाद ग्राम सभाओं में जो सम्पत्ति निहित होगी उसका विवरण दिया है और उस के जो अधिकार हैं उसके द्वारा दिये गये हैं। एक बात की चर्चा इस सदन में भी बार-बार आई है और माननीय माल मन्त्री जी के भी नोटिस में है कि ग्राम समाजों की सम्पत्ति का बहुत ही दुरुपयोग होता है। यह प्रश्न स्थायी समिति में भी उठा था कि ग्राम समाज की जो सम्पत्ति है, उसका दुरुपयोग होता है। उसको जो हानि पहुंचायी जाती है उसको कैसे रोका जाय और समिति ने इस पर विचार कर के एक उप-समिति भी बना दी थी कि वह इस प्रश्न पर बिचार कर के अपनी रिपोर्ट दे और उस रिपोर्ट के आधार पर विधियों में संशोधन करने पर विचार किया जाय। मैं नहीं जानता कि उस समिति ने क्या रिपोर्ट दी है? सवाल यह उठे थे कि ग्राम समाज की जो भूमि है उसका दुरुपयोग होता है और ग्राम समाज का सभापति ही उसका दुरुपयोग करता है। मैं यह मानता हूं कि इस अधिनियम में उस दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ व्यवस्थायें की गयी हैं। अगर कोई ग्राम समाज का सभापति किसी भूमि के सम्बन्ध में गलत पट्टे कर देता है नियमों के विरुद्ध और वह चीज परगनाधीश की नालेज में आये तो वह उस पट्टे को कैन्सिल कर सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि खाली सभापति ही दोषी नहीं हैं, जो नियमों का उल्लंघन करते हैं और ग्राम समाज की जमीन के गलत पट्टे कर देते हैं। परगनाधीश के नीचे के अधिकारी जैसे लेखपाल, कानूनगो का भी उस में हाथ होता है। ग्राम समाज का सेक्रेटरी लेखपाल होता है। जब तक सभापति लेखपाल को नहीं मिलायेगा तब तक पट्टा नहीं हो सकता और जब तक काननगो की सहमति न हो तब तक उस पट्टे का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। शिकायतें करने पर पट्टे खारिज हुये, लेकिन वे पट्टे कानूनगो के यहां रजिस्टर हो चुके थे। तो मैं इतना जरूर चाहूंगा कि कानून में इस प्रकार का संशोधन अवश्य होना चाहिये कि कानूनगो के सामने पट्टा रजिस्ट्रेशन के लिए आता है और वह नियमों का उल्लंघन करके आया है, अर्थात् गांव के भूमिहीन को न देकर अथवा भूमिहीन के होते हुये किसी दूसरे गांव के लोगों को वह जमीन प्रधान ने दे दी है तो उस पट्टे का रजिस्ट्रेशन कानूनगो न करे। यह आमतौर से देखा गया है कि ग्राम सभापति ने लेखपाल और कानूनगो को भागीदार बना कर ही गलत पट्टे करवाये हैं और इसी लिए आप ११७ का संशोधन कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि उस में अभी व्यापक संशोधन की आवश्यकता है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

नियमों में हो सकता है।

श्री भीखालाल—

चकबन्दी विधेयक में एक संशोधन किया गया है धारा २३ में। धारा २३ चकबन्दी विधेयक में वह धारा है जिसके अनुसार अस्थायी चकबन्दी स्कीम को बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा स्थायी किया जाता है। धारा २० में आबजेक्शन इन्वाइट किये जाते हैं और काश्तकारों को अधिकार होता है कि अपने आबजेक्शन्स दें और उनका निस्तारण २१ के मातहत होता है। उसके बाद आबजेक्शन खत्म हो गया या आबजेक्शन नहीं हुआ तो धारा २३ की कार्यवाही होती है और उसके मातहत अस्थायी कागजात को स्थायी करने की व्यवस्था की जाती है। धारा २० में यह प्राविजन है कि जब यह अस्थायी कागजात तैयार हो जायं, तो उन की एक-एक प्रति हर काश्तकार को जानी चाहिये। उसकी एक-एक प्रति हर काश्तकार को जाने के बाद पूरे कागजात उस गांव में नोटिफाई किये जाने चाहिये। नोटिफाई होने के बाद काश्तकार १५ दिन के अन्दर उज्रदारी करेगा। चकबन्दी कर्मचारियों द्वारा इस व्यवस्था का काफी दुरुपयोग किया गया है, क्योंकि कुछ शब्दावली ऐसी हैं जिस से काश्तकार को बड़ा नुकसान होता है। धारा २०(१) के अनूसार कागजात तैयार हो जाने के बाद हर काश्तकार को उस की नोटिस जायगी। उसके बाद में पूरी स्कीम गांव में पब्लिश होगी। लेकिन उपधारा (२) में दिया है कि नोटिस मिलने के दिन से या पब्लिकेशन के दिन से उज्रदारी करने की १५ दिन की मियाद दी जायगी इसका दुरुपयोग होता है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि आप के ए० सी० ओ० और सी० ओ० पब्लिकेशन के दिन से मियाद जोड़ लेते हैं और पब्लिकेशन केवल फाइल पर ही होता है। ऐसा होता है कि पब्लिकेशन आज हो गयी और नोटिस १० दिन के बाद दिया तो किसान को केवल ५ दिन मियाद के मिलते हैं। इसका क्लैरिफिकेशन हो जाना चाहिये। जब यह चकबन्दी संशोधन विधेयक सदन में आया था तो उस समय भी मैंने इस बात को प्वाइन्ट आउट किया था लेकिन उस समय भी वैसा ही रहा। इससे किसान को १५ दिन की मियाद नहीं मिल पाती है।

चकबन्दी की श्रीमन्, यह शिकायत रही है कि यह योजना बहुत धीरे-धीरे चलती है। लेकिन अब सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं, कानून में परिवर्तन भी किया है और कुछ स्टेजेज भी कम की हैं और अब स्टाफ भी काम करने में दक्ष हो गया है और अब काम तेजी से चल रहा है। काम के जल्दी होने के सम्बन्ध में आप के विभाग से आदेश जाते हैं कि फलां तहसील में ४०० गांव हैं। इसलिए फलां-फलां गांव की चकबन्दी फलां फलां तारीख तक खत्म हो जानी चाहिये। ए० सी० ओ० का आदेश हो गया कि "अ" गांव की चकबन्दी फलां तारीख तक खत्म हो जानी चाहिये। लेकिन इस तारीख तक खत्म होने के माने यह नहीं हैं कि कायदे कानून की प्रक्रिया को ही खत्म कर दिया जाय।

श्रीमन्, मैंने मन्त्री जी के पास एक प्रार्थना-पत्र भेजा है कि हमारे यहां एक देवगांव है सफीपुर तहसील, जिला उन्नाव में, वहां धारा २० के नक्शे पब्लिश हुये। किसानों ने आबजेक्शन देने शुरू किये। लेकिन इस से पहिले ए० सी० ओ० और सी० ओ० के यहां कागजात दुरुस्तगी के मामले पड़े हुये हैं, उनका फैसला नहीं हुआ, मिसलें मौजूद हैं और करेक्ट खतौनी तक तैयार नहीं हुई है लेकिन चक बनाये गये। यह कैसे हो गया? जब तक कागजात दुरुस्त न हों तब तक चक नहीं बन सकते हैं। अगर चक बना दिये तो कागजात दुरुस्त होने पर चक बदल जायेंगे। यह क्यों किया गया? यह इस लिए किया गया कि उन के सामने टारगेट फिक्स हैं कि इस गांव की चकबन्दी अमुक तारीख तक समाप्त हो जानी चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि जल्दी में जो कानून की प्रक्रिया है उसको निगेलेक्ट न किया जाय, जिससे किसानों को नुकसान हो।

लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में बना था उस समय जमींदारियां कायम थीं उस में भी बहुत से संशोधन किये गये हैं। जमींदारी खत्म होने के बाद और जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था कानून बनने के बाद उसकी बहुत-सी धारायें बेकार हो गयी हैं। इन दोनों अधिनियमों में बहुत-सी चीजें ओवरलैपिंग हैं। जैसे मालगुजारी की वसूली की प्रक्रिया जमींदारी एबालिशन और लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट दोनों में है। कहीं लेखपाल लिखा है और कहीं पटवारी लिखा है। हालांकि पटवारी का नाम अब भूमि विधियों में बिलकुल बदल गया है। कहीं-कहीं मुहाल की शब्दावली दी हुई है जो अब समाप्त हो गयी है। इस तरह की शब्दावली है। इस को नये सिरे से बनाया जाना चाहिये। मन्त्री जी को नया बिल पेश करना चाहिये। जो मौजूदा भूमि विधियों और भूमि व्यवस्था कानूनों के अनुरूप हों बहुत से संशोधन अच्छे हैं इन से तो काम में सुविधा होगी। मैं इनका स्वागत करता हूं। लेकिन जिन तीन बातों को मैंने रखा है उनकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक उपस्थित किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और जो प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, इसमें जो चकों के विषय में दफा २७ के संशोधन के लिए मन्त्री जी ने व्यवस्था की है वह जितनी ही जल्दी पास हो जाय, उससे किसानों का उतना ही ज्यादा हित होगा। हमारे जिले के शाहगंज तहसील में चकबन्दी जब से शुरू हुई तब से हो रही है और यह संशोधन यदि हो जाये तो किसानों में जो परेशानी हो रही है वह जल्दी दूर हो जाय। शाहगंज तहसील में हजार डेढ़ हजार अप्लीकेशनें शिकायतों की पड़ी हुई हैं, यदि वह संशोधन हो जाय तो उनकी सारी शिकायतें खुद ही दूर हो जायं। जब वहां पर चकबन्दी हुई तो बहुत से कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने गलत नक्शे बना दिए। अब चक फाइनल हो जाने पर किसान का खेत कहां है और वह जोत कहां रहा है। नक्शे में उसका चक कहीं पर है और बन्दोबस्त में कहीं पर उसे चक मिला हुआ है और वह जोत कहीं रहा है। मैं अपने यहां के बघारी कलां गांव के बारे में आपको बताता हूं। बघारीकलां नक्शे में एक मील पश्चिम में बदलापुर से दिया हुआ है। लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति यह है कि वह बदलापुर से ७ मील पश्चिमोत्तर में है और गोमती नदी के किनारे है और यहां पर कोई पक्की सड़क नहीं है, जबकि नक्शे में बिलकुल इसके उल्टा लिखा हुआ है। और यहां पर हरिजनों की काफी आबादी है जिस आबादी को नक्शे में काट दिया गया है। इसी प्रकार ऐसे बहुत से अन्य गांव भी हैं, जैसे तियरा, तिलवारी, सोंगर, लखमापुर, दुबौली खुर्द, मुबारकपुर, डंगली और सिरकिना आदि जहां पर नक्शे गलत बने हुए हैं, जहां पर नक्शे में दिखाई गई स्थिति से वास्तवकि स्थिति काफी भिन्न है।

मान्यवर, शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां पर यह गड़बड़ी न की गयी हो, कहीं कम कहीं ज्यादा प्रायः सभी जगह गड़बड़ियां पायी जाती हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी जो संशोधन कर रहे हैं, वहां पर जो एक तरह से चकबन्दी का कार्य ठप पड़ा हुआ है, उनमें सुधार होगा। नक्शे में दूसरा लिखा हुआ है और बन्दोबस्त में कुछ दूसरा लिखा है। धारा ५२ के प्रकाशन हो जाने पर अब गलतियां लोगों के सामने आयी हैं और नियमों में संशोधन हो जाने पर उनमें सुधार हो जायगा। मैं समझता हूं कि अधिकारियों और कर्मचारियों का दोष उतना नहीं है, क्योंकि जब चकबन्दी का कानून बना था उस समय यह गड़बड़ियां नहीं थीं। यह जो संशोधन किया जा रहा है, यह बहुत ही अच्छा कदम है, इसमें मुझे सुझाव यह देना है कि जब कच्चा बन्दोबस्त बनने लगे तब कच्चे नक्शे किसानों को अनिवार्य रूप से दे दिये जाया करें। तब वह देख सकेंगे कि उसके नक्शे सही हैं या गलत हैं और गल्ती मिलने पर उसके पक्का होने, उसके फाइनल होने के पहले वह उसमें सुधार करा लेंगे। नहीं तो गलती किसानों को मालूम नहीं होगी और भारी भारी गल्तियां बनी रहेंगी और जब ४, ६, १० साल बीत जायेंगे और जब किसान अपनी हदबन्दी कराना शुरू करेंगे तो आपकी गल्ती के कारण किसानों में आपस में झगड़े फसाद होंगे

[श्री माताप्रसाद]

कत्ल और दंगे होंगे और यह बुरा नतीजा होगा। इसलिए इसको रोकने के लिए यह करना बड़ा आवश्यक है। इसलिए जब नये नक्शे बनने लगें तो किसानों को नक्शे दिए जायेंगे और उन्हें आब्जेक्शन रेज करने का समय दिया जाये।

एक और गड़बड़ी है, मान्यवर, चकबन्दी में। उसमें लोग क्या करते हैं? जिस समय वह शुरू-शुरू में जाते हैं, आबादी को काटकर निकाल देते हैं, लेकिन उसका रकबा नहीं निकालते हैं। यही कारण है कि पहले के बन्दोबस्त आज सही उतरते हैं, लेकिन आजकल के नक्शे प्रायः सब गलत हो जाया करते हैं, कहीं किसी का घर चक में दे दिया गया है। कहीं किसी का बाग चक में दिया गया है इसकी वजह यह है कि जिस समय पड़ताल करने के लिए लोग जाते हैं तो सिर्फ खेत का पड़ताल करते हैं। पूरे गांव की आबादी में से उस आबादी को निकाल कर जितना रकबा, बाग, गढ़े या सार्वजनिक चीजों का है वह निकाल दी जाय और तब खेत का रकबा निकाल लें तो सही सही नक्शा बन पायेगा। मेरे यहां शाहगंज तहसील में पूरे बलवे और गदर की नौबत है और कई हजार किसान तकलीफ में पड़े हैं इसलिए यह बिल जितनी जल्दी पास हो जाय उतना ही अच्छा है।

*श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन बिल रखा गया है उसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां फौती का मामला आता था उसमें सरकार ने बड़े बड़े अमेंडमेंट्स किए हैं लेकिन उसका नतीजा यह होता है कि किसान जब मरता है तो उसमें यह था कि नायब तहसीलदार का फैसला फाइनल होगा और वह नायब तहसीलदार वही हैं जो कलेक्शन में थे जिनको यह भी पता नहीं है कि म्युटेशन क्या चीज होती है। तो मेरी गुजारिश यह है कि नायब तहसीलदार का आर्डर फाइनल न हो बल्कि उसकी अपील हो सके, यह संशोधन हो जाना बहुत जरूरी है।

हिन्दू सक्सेशन ऐक्ट में हिन्दू स्त्रियों को पूरा अधिकार दिया गया है यहां तक कि लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार दिया गया है। जमींदारी खात्मा ऐक्ट की दफा १६९ में अगर किसी औरत का शौहर कोई जमीन खरीदता है तो उस पर उसको इन्हेरिटेंस मिलता है लेकिन वह बिल नहीं कर सकती यद्यपि उसका मर्द कर सकता है। तो जब उसको पूरा अधिकार है, उसकी वह प्रापर्टी है तो उसको बिल करने का भी पूरा अधिकार होना चाहिए। जब वह सेल तक कर सकती है, उसके बिल के राइट को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, यह कौन सा इंसाफ है? तो १६९ में संशोधन होना चाहिए।

अब १७२ में और १७१ में भी करीब-करीब हर साल संशोधन किए गए। जमींदारी खात्मा ऐक्ट जब ५१ में चला तो डाटर और डाटर्स सन् (daughter's son) को हक था लेकिन उसके बाद बदर को रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से रख दिया। अब पोजीशन यह है कि अगर कोई काश्तकार मरता है और उसके दो औरतें हैं तो वह दोनों उसके कुल शेयर की मालिक हैं और मान लीजिए उन दोनों औरतों के एक-एक लड़की है और फिर उनमें से एक औरत मरती है तो उस औरत का हक दूसरी औरत को चला जाता है और उसके बाद उसकी लड़की को और जो औरत पहले मर गयी थी उसकी लड़की को कुछ नहीं मिलता है। यह कौन सा इंसाफ है? इसलिए मैं चाहता हूं कि स्त्री को जो टेनेंसी मिलती है उसकी प्रापर्टी में उसकी लड़की का हक होना चाहिए। कानून की यह बहुत बड़ी गलती है कि दो स्त्रियों के दो लड़कियां अलग अलग हों और दूसरी की लड़की को दोनों स्त्रियों का हक मिल जाय जब कि पहली की लड़की को कोई भी हक न मिले। मैं समझता हूं कि इसमें यह संशोधन जरूर होना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

१७१ के संबंध में यह है कि काश्तकार ने जमीन ली है और जमीन को उसने भूमिधरी कर लिया। भूमिधरी करने के बाद उसकी स्त्री को हक मिला। उस स्त्री के अगर कोई लड़का नहीं है और उसको केवल लड़की है तो उसको वह हक नहीं मिलता है। उसके भाई को मिल जाता है। जो स्त्री डिसीज्ड है उसकी लड़की को हक प्राप्त नहीं होता है। एक मर्तबा बाप दादा की जायदाद में एक हक उसकी मां को मिला लेकिन लड़की को वह हक नहीं मिलता है। यह कानूनी डिफेक्ट है कि वह जायदाद लड़की को नहीं पहुंचती है। सरकार जब-जब जिस प्रकार के कानून को चाहती है और जरूरत महसूस करती है वैसा वह बना लेती है वरना इस संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। मौजूदा निजाम यह चाहता है कि जो प्रापर्टी स्त्री को ऐज विडो (as widow) मिली है उसकी लड़की को उसमें हक मिलना चाहिए न कि बटवारे में उसके हसबैंड के भाई को। १७१, १७२ में ऐसे संशोधन की आवश्यकता है जो जरूरी है।

इसी तरह से चकबन्दी कानून बनाया गया है। उसके अन्दर सरकार समझती है कि जनता को बहुत लाभ हुआ और किसान उससे संतुष्ट हो गया। सरकार तो लखनऊ में बैठी रहती है। हम देखते हैं कि काश्तकारों की वह हालत हो रही है कि अगर यह चकबन्दी न होती तो मैं समझता हूं कि काश्तकार बड़ा मालदार होता। एक बात यह भी बतलाऊं कि न्याय विभाग में बोर्ड आफ रेवेन्यू और हाईकोर्ट के जो फैसले हुए थे और उनके आधार पर लोगों ने जो बटवारे कराए थे सरकार ने चकबन्दी कानून लाकर सब खत्म करा दिए। सरकार ने काश्तकार को ऐसे लोगों के हवाले कर दिया जो थर्ड क्लास बी०ए० या थर्ड क्लास बी०एस०सी० हैं। जो फैसले ट्रिब्युनल के और हाई कोर्ट के हैं उनको रद्द करने का अधिकार उनको दे दिया है। यह सरकार इस तरह से कर रही है जैसे खेल होता है। एक एक सी० ओ० के पास एक एक दिन में १०० मुकदमे होते हैं। डाइरेक्टर के पास एक-एक दिन में २०० अपील होती हैं जो एक जज भी तय नहीं कर पाता है। वह क्या फैसले करेंगे यह आप अनुमान लगा सकते हैं। इसमें मैं नहीं जाना जाहता हूं। उस कानून को लाने की एक मंशा सरकार का था और वह यह कि सरकार यह चाहती थी कि काश्तकार की सब जमीन एक हो जाय। तीन-तीन जगह उसकी स्त्री को रोटी लेकर जाना पड़ता है तो उनको आराम देने की वजह से चकबन्दी करने की बात थी। एक जगह की बजाय तीन जगह उसके चक बना दिए गये हैं और चकबन्दी का कानून बनाकर सरकार ने वह चीज पैदा कर दी जो कोई भी आज तक नहीं पैदा कर पाया। सरकार ने एक एक इंच का बटवारा कराया ह। इस तरह से लोगों के चक बना दिए गए हैं कि सरकार को उससे कोई फायदा नहीं हुआ लेकिन काश्तकार का विध्वंस हो गया। एक विचित्र बात यह हुई कि एक काश्तकार ने हजार पया खर्च करके एक कुंआ बनाया और वह किसी दूसरे के चक में पहुंच गया तो वह कुंआ बनाने वाला उससे सिंचाई नहीं कर पायेगा। उस कुंयें पर दूसरे का अधिकार हो गया है तो दूसरे आदमी की आबपाशी करने या न करने दे यह उसको अधिकार हो गया है। सरकार के कर्मचारी सी० ओ० ने एलान कर दिया है कि वह उस कुंये का मालिक हो गया। उसको पूरा अधिकार है कि दूसरे को आबपाशी न करने दे। इससे देश में काश्तकारों के ऊपर बड़ा भारी असर पड़ेगा। राइट आफ अपीजमेंट जिनको हो गया था इस कानून के अन्दर उनसे भी अधिकार छीन लिए गये हैं। ५० फीसदी चकबन्दी हो गई लेकिन लोगों का इससे फायदा तो नहीं हुआ पर कंसालिडेशन करने वाले लोगों ने अपने घर जरूर बना लिए। वह काश्तकार तो बेचारा वहीं का वहीं रहा। उसने तो सिर्फ यह सोचा कि चलो ५०० रुपये की बात है, दे दो और अपना खेत ठीक कर लो। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कौन से कानून की तहत में है कि बीच का कुंवा एक काश्तकार को दे दिया जाय। चकबन्दी के कानून को सरकार को संशोधित करना चाहिए। काश्तकारों में बड़ी गलतफहमी है। यह कानून बनाया जाना चाहिए कि जिस कुंवे से काश्तकार को आबपाशी करने का हक रहा है चकबन्दी होने के बाद भी उसका वह हक बरकरार रहेगा और उसकी सुविधा उसको मिलती रहेगी। अभी चकबन्दी पूरी नहीं हुई लेकिन इसके कानून में संशोधन होना शुरू हो गये हैं। इसके अनुसार वह करेक्शन कर

[श्री गिरवरप्रसाद]

सकेंगे। मेरा नम्र निवेदन है कि जो डिवीजन तय हुए हैं और जो फाइनल करार दिए जा चुके हैं उनमें करेक्शन क्या हो सकेगा यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं चाहूंगा कि यह सदन की तथा मेरी जानकारी के लिए माननीय मंत्री जी बतलायें। जो मुकदमा डिक्लेरेटरी सूट से तय हुआ है वह ३३ / ३९ में कैसे तय हो सकेगा? इसमें तो केवल क्लैरिकल मिस्टेक्स आती हैं और एस० ओ० सी० आदि से फाइनल होते हैं उनके लिए यह दफा २७ का संशोधन क्या माने रखता है?

दूसरी बात यह है कि लोकल ऐक्ट्स में वट्स ऐंड मेजर्स का एक ऐक्ट है। इसमें स्टैंन्डर्ड मेजर्स हैं। उनको ही सरकार ने माना है। इस स्टैंन्डर्ड मेजर्स में यार्ड नहीं रहता उसकी जगह मीटर कर दिया गया है किंतु साढ़े ५ गज का गट्ठा और उसकी जरीब से ही पैमाइश की गयी है। मेजर्स ऐक्ट में इसको सेव कर दिया गया है और उसके बाद भी कड़ी की पैमाइश बरकरार रहेगी। लेकिन गज की जगह मीटर कर दिया। तो इसमें शब्द "अदर-वाइज" (otherwise) नहीं लिखा गया है। इसलिए सरकार स्पष्टीकरण करे अन्यथा रिट हो जायगा कि सही मेजर्स से चकबन्दी नहीं की गयी है। सरकार इसका जवाब दे कि चकबन्दी किस आधार पर की गयी है।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ है और जिन कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। एक बात माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार जब भूमि विधि संशोधन विधेयक आया था उस समय भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं कि गांव पंचायतों के पास जो ऊसर, बंजर, परती भूमि है तथा लावारिस भूमि है और इसमें से ज्यादातर ऊसर है। लेकिन इसके बाद भी वह भूमिहीनों को नहीं दी जाती। भूमिहीन मजदूरों के लिए एकत्र भूदान की भी जमीन आ जाती है और उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसके लिए कोई न कोई संशोधन अवश्य आना चाहिए था। पिछली मर्तबा माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम नियमों के अन्तर्गत इसके लिए कोई संशोधन ले आयेंगे लेकिन मैं समझता हूं कि आज तक कोई संशोधन नियमों में इसके लिए नहीं किया गया है ताकि इस भूमि का सही उपयोग हो सकता। जो ग्राम सभापति भले हैं, जिनके दिल में दर्द है भूमिहीनों के प्रति उन्होंने इस परती भूमि का एलाटमेंट भूमिहीनों में सही तरीके पर किया है। लेकिन अधिकतर प्रधान ग्राम समाजों में जो एलाटमेंट किए हैं वे झगड़े में ऐसे चल रहे हैं जहां पर कि वह जमीनें उन्हीं लोगों को मिल गयी है जिनके पास पहले से जमीनें हैं और अगर कायदे से देखा जाय तो उनको नहीं मिलनी चाहिए। लेखपाल और कानूनगों उसकी पुष्टि करते हैं। कोई नहीं देखता है कि गांव समाज ने सही तरीके से अलाटमेंट किया है या नहीं। तो चाहिए तो यह था कि जब इतना बड़ा भूमि-विधि संशोधन विधेयक लाया गया तो पंचायत राज की उस दफा का और जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में दोनों में परिवर्तन इसमें लाया जाना चाहिए था। भूदान की जमीनें आज भी बहुत थोड़ी बंट पायी हैं और इतनी धीमी गति से काम हो रहा है कि इसमें शक है कि यह काम पूरा हो पायेगा या नहीं। सरकार को भूदान व ग्राम सभा की भूमि वितरित करने के लिए कोई नई व्यवस्था सोचनी चाहिए।

मैंने पहले भी कहा था कि अगर गांव सभाएं सही अलाटमेंट नहीं करती हैं तो एस० डी० ओ० या जिलाधीश को केवल उनके अलाटमेंट को खारिज करने का अधिकार है लेकिन सही कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर १० मर्तबा गलत अलाटमेंट हो तो १० मर्तबा कलक्टर उसको खारिज कर सकता है। ऐसी व्यवस्था से क्या लाभ होगा। अगर गलती को रोकने के लिए और सुधार करने के लिए गुंजाइश न हो और यह शिकायतें अधिकतर गांव सभाओं में है। मैं चाहता हूं कि या तो मंत्री जी इसी विधेयक में संशोधन करें और यदि वह समझते हैं कि नियमों में होना चाहिए तो उसी में कर दें। यह कई वर्षों से मांग चली आ रही है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह सही है कि चकबन्दी में जो किसान प्रभावशाली मिलनें

जुलने वाले हैं अपना काम करा लेते हैं किंतु कमजोर किसान रह जाता है। जबकि प्रोपोजल होते ह तो उनके लिए यह नियम है कि वह अपने चक सही तरीके पर बनवा लें लेकिन इसमें थोड़ी जमीन वालों को मुसीबत झेलनी पड़ती है। पहली मर्तबा नाम होने के बाद जब कच्चे नक्शे तैयार होते हैं तो प्रत्येक किसान को उसकी नकल मिलनी चाहिए जिससे उसको ऐतराज करने का वक्त पर और सही तरीके पर मौका मिल सके कि किस तरह के चक बनाये जा रहे हैं। उनके पास कोई सबूत नहीं होता है कि वह समझ पायें कि हमारी जमीन कहां जा रही है, किसकी जमीन आ रही है और एक ही किस्म की भूमि एक चक में रखी जा रही है या और तरह की। जब सब फैसला कर लेते ह और तब उनको सुनाते हैं तो फिर उसको संभालने में इतनी कठिनाइयां आती हैं कि उनको दूर करने में बड़ी मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है और काफी समय लगता है। तो अगर उनको ऐतराज का मौका हो और फिर पक्के नक्शे बनवाये जायं तो अच्छा होगा।

मैं समझता हूं कि विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है और इसका असर तमाम छोटे बड़े किसानों और मजदूरों पर पड़ने वाला है। इसलिए इस पर बड़ी गंभीरता से विचार किया जाय और जो इसमें संशोधन ग्राम सभा भूमि वितरण के रह गये हैं और तथा गांव व्यवस्था के संबंध में जो त्रुटियां रह गयी हैं उनको दूर किया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को जनमत संग्रह तथा प्रवर समिति में भेजने के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत हैं मैं उन दोनों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। दोनों का समर्थन इसलिए करता हूं कि माननीय मंत्री जी दोनों में से किसी एक को स्वीकार करने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी सरकारी पक्ष के एक साथी ने कहा कि इसको जनमत संग्रह के लिए क्यों भेजा जाय। श्रीमन्, इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में यह कहा गया है कि सरकार को कुछ कठिनाइयां महसूस हुईं जिनके निराकरण के लिए यह विधेयक लाना पड़ा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या पड़ रहा है उनके निराकरण के लिए क्या किया जा रहा है? धारा ११७ में संशोधन देने की जो बात माननीय राजस्व मंत्री जी ने कही कि संशोधन दे दिया जाय वे उसका विरोध नहीं करेंगे यह खुशी की बात है। कुछ और भी संशोधन ऐसे हैं जो इस विधेयक के द्वारा किए जा रहे हैं वे अच्छे हैं जिनका मैं स्वागत करता हूं। चकबन्दी अधिनियय की २७वीं धारा में जो संशोधन किया जा रहा है उसका भी मैं स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ी कमी थी जिसको इसके द्वारा दूर किया जा रहा है। किंतु हमारी तो शिकायत यह है कि जो और मामूली कठिनाइयां हैं जिनके लिए संशोधन लाने की आवश्यकता है जहां जहां कमियां हैं उनको दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है? माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि हम कोई बुनियादी नीति संबंधी संशोधन करने नहीं जा रहे हैं इसलिए विशेष चर्चा की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक पर बहुत गंभीरतापूर्वक विस्तार के साथ विचार होना चाहिए। यदि वास्तव में हम भूमि संबंधी समस्या को हल करना चाहते हैं, किसानों की कठिनाइयों को दूर करना चाहते हैं, तो हमें इस पर विस्तार के साथ विचार करना होगा, यदि सरकार की ओर से ऐसा कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता जिससे किसानों की कठिनाइयों को दूर करने की व्यवस्था होती, अलाभकर जोत वालों के लगान में छूट होती, भूमिहीनों को भूमि मिलने वाली होती तो मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि इस प्रदेश में, माननीय चरणसिंह जी के अथक परिश्रम के बाद, ऐसी व्यवस्था की गयी है कि जोतने वाले को ही जमीन दे दी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मैनेजरसिंह]

लेकिन उपाध्यक्ष जी, मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि उसका लाभ जोतने वालों को नहीं हुआ। मैं दफा ३४ कागजात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह नियम चला। मेरा कहना यह है कि इसका उद्देश्य था असल जोतने वाला हो जिसका नाम कागज में दर्ज न हो उसका नाम दर्ज करने के लिए अधिकारी मौके पर जायं और उसका नाम दर्ज कर दें। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि यदि आंकड़े एकत्रित किए जायं, जो शिकमीदार ,थे जिनका नाम दर्ज था, उनका नाम हटा दिया गया है उसी कानून की तहत में। मैं बलिया तहसील की बात कहना चाहता हूं वहां एक नायब तहसीलदार, शायद जिनका नाम विदेशीराम था, उनको यह काम सुपुर्द किया गया। आप चाहे बलिया तहसील की तरमीम को देख लें। उपाध्यक्ष जी, ९९ फी सदी शिकमी की काश्तकारी गायब हो गई और मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उस समय लाख रुपये से अधिक का अर्जन उन्होंने किया। मैं नहीं जानता वे अधिकारी कहां हैं। वे शायद डिप्टी कलेक्टर तो अवश्य हो गये होंगे। मेरी शिकायत इस विधेयक के संबंध में यही है कि कोई बुनियादी नीति संबंधी संशोधन मंत्री जी ने प्रस्तुत नहीं किया। आधे दर्जन अधि-नियमों में संशोधन करने की जो बीमारी इस प्रदेश की है वह भी हम देखते हैं। हमने देखा क्षेत्र समिति अधिनियम बना, उसमें भी जमींदारी विनाश अधिनियम की एक-दो धाराओं को संशोधित कर दिया गया। यह तीसरा या चौथा प्रयास है। अब आधे दर्जन अधिनियमों में संशोधन फिर हमारी सरकार करने जा रही है। हमारी सरकार ने तो यह खिचड़परोसी दुकान कायम कर दी है। इससे क्या होगा, जो कम पढ़े लिखे किसान हैं वे मारे जावेंगे। उपाध्यक्ष जी, आपको स्मरण होगा कि लेजिस्लेचर ग्रुप की सभा में हमारे एक माननीय साथी नारायण दत्त तिवारी ने कहा था कि राइडर का अमेरिका में व्यवस्था है विधेयक पेश होता है तो उससे संबंध न रखने वाली भी कोई बात हो वह भी स्वीकार कर ली जा सकती। फारेन ऐड का बिल पेश था। वहां के कांग्रेस के मेम्बर्स ने सोचा कि हम अपना भत्ता बढ़ा लें और साढ़े बाइस हजार से तीस हजार बढ़ा लिया। वह स्वीकृत हो गया। तो जो राइडर की प्रथा वहां पर है वही प्रथा हमारी सरकार यहां पर अपनाये हुये है।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो हाउस आफ कामन्स और लोकसभा में भी है।

श्री मैनेजरसिंह—

उपाध्यक्ष जी, मेरी जानकारी बड़ी है। परन्तु जो सदस्यों को अधिकार प्राप्त हैं वह सरकार को क्यों प्राप्त हों। हम कोई इस प्रकार का संकल्प दें तो आपसे अस्वीकृत हो जावेगा कि यहां से सहमति नहीं है। हम कोई संशोधन देना चाहें, हम भी राइडर लाना चाहें तो हमें तो वह सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन आप ब्रिटिश पार्लियामेंट की कुछ परम्पराओं को इस आदरणीय सदन में लागू करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आपकी बड़ी कृपा होगी, यदि अपनी व्यवस्था के द्वारा हमें भी आप उसके लिए अवसर देंगे क्योंकि आपने एक दिन लोक सभा का हवाला देते हुए यह व्यवस्था दे दी थी कि लिखित भी कोई माननीय सदस्य दे दे तो वह कार्यवाही का भाग बन जायेगा। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप हमें भी उस सुविधा से महरूम नहीं होने देंगे। जैसा मैंने पहले ही कहा, जो संशोधन रखे गये हैं उनसे मेरा विरोध नहीं है। मैं समझता हूं कि जो कठिनाइयां वाजिब हैं उनके लिए संशोधन की आवश्यकता है।

शास्त्री जी ने बहुत ही जोरदार शब्दों में चकबन्दी की वकालत की। मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि मैं भी चकबन्दी का समर्थक रहा हूं और बलिया जिले में मैं ही अकेला कांग्रेस पक्ष और विरोध पक्ष में एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता रहा हूं जिसने चकबन्दी का समर्थन भीतर और बाहर, जनता के सामने भी किया है। आपके डिप्टी डाइरेक्टर जब हमारे जिले में गये तो मैं ही अकेला सार्वजनिक व्यक्ति था जिसने जनता को समझाने की कोशिश की कि चकबन्दी

आम की योजना है, इसको स्वीकार करना चाहिए। किंतु यहां यदि आज कोई मुझसे पूछे तो मैं साफ कहूंगा कि योजना लाभप्रद अवश्य है, जनता के फायदे की है लेकिन कितना ही प्रयास करने के बाद भी वह आज इससे लाभ के बजाय हानि हो रही है, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो मैं विरोध भी कर सकता हूं, हमारी मनःस्थिति आज यहां तक पहुंच गई है। शास्त्री जी ने कहा कि जो चक अण्डाकार बन रहे थे वह अब चौकोर बन रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज भी जो चक कटे हैं वह छः छः, सात-सात कोने के कटे हैं और बारह बारह कोने के भी हैं . .

श्री रामकुमार शास्त्री—

आपने इसका जिक्र नहीं किया कि आप भी वहां हमारे साथ थे और खसरा खतौनी सब साथ में था।

श्री मैनेजरसिंह—

एक गांव दिधार आपने देखा था और मैंने यह कहा था कि दिधार की चकबन्दी से मुझे कोई विशेष शिकायत नहीं है, वह संतोषजनक है। तीन गांवों का मैंने कहा था वहां पर। तो मैं यह कह रहा हूं कि चकबन्दी में जो गड़बड़ी है वह सामयिक गड़बड़ी है। आपको उसमें उचित तरमीम करनी चाहिए थी। जो काम का बोझा चकबन्दी के कर्मचारियों पर है उसका कोई हिसाब आपके यहां नहीं है। आप केवल समय निर्धारित कर देते हैं कि इतने समय के अन्दर इतना काम हो जाना चाहिए यह सबसे बड़ी भयंकर बीमारी है जिसके कारण चकबन्दी बिगड़ रही है। माननीय सदन के सदस्य बराबर इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। मगर सरकार ध्यान नहीं देती बल्कि सरकार और उसके विपरीत आचरण करती है। ३० दिन की जगह आपने १५ दिन रखने की कोशिश की लेकिन वह २१ दिन हुआ। तो इसकी वजह से चकबन्दी में गड़बड़ी है। दूसरी बात, सार्वजनिक भूमि के संबंध में कुछ व्यवस्था इस विधेयक में होनी चाहिए। अभी चन्द दिन पहले इसी सदन में आजमगढ़ का एक सवाल पेश हुआ था कि प्रधान महोदय ने जमीन का बन्दोस्त कर दिया जिसमें कायदे की पाबन्दी नहीं की। बार-बार सदन में पूछा गया लेकिन कोई माकूल उत्तर नहीं मिला कि प्रधान के खिलाफ क्या कार्यवाही की। तो मैं चाहता था कि इस विधेयक में कोई ऐसी व्यवस्था आप करें कि चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे प्रधान हो, जिसकी वजह से सार्वजनिक भूमि की क्षति हो, उसके खिलाफ आप कार्यवाही करें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं भी एक गांव का प्रधान हूं और इसलिये मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि चाहे हमारे साथी प्रधान हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हों, उनके लिये कोई दंड की व्यवस्था आपको जरूर करनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि चकबन्दी की आप बड़ी तारीफ करते हैं। चकबन्दी जिन गांवों में हुई है, मैं चाहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जी और हमारे सभा सचिव जी बलिया में चकबन्दी के सिलसिले में मेरे साथ चलें। वहां मैं उनको दिखलाऊंगा कि जो पहले सार्वजनिक मार्ग थे वे चकबन्दी की वहज से ही बहुत से गांवों में बन्द हो गये। सार्वजनिक उपयोग के लिये जितनी जमीन की आवश्यकता थी उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। हम चाहते हैं कि अपने देश, प्रदेश और अपने जिले के गांवों का योजनाबद्ध विकास करें। हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही है और चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा हम बना रहे हैं। हम यह सोच रहे हैं कि आने वाले ५ साल में कौन कौन विकास के कार्य हमारे प्रदेश में, जिले में और गांवों में होंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने चकबन्दी अधिनियम में इस चीज को अनिवार्य कर दिया है कि आने वाली पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक कार्य के लिये, जो सार्वजनिक भूमि होगी उसकी व्यवस्था चकबन्दी में अवश्य कर दी जाय? इसके लिये अनिवार्य कर्त्तव्य भार सरकारी कर्मचारियों के ऊपर डाला जाय या चकबन्दी कमेटी के ऊपर डाला जाय जो

[श्री मैनेजरसिंह]

उस जमीन की व्यवस्था करे। क्या आपने इस तरह की कोई व्यवस्था की है? मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इस तरह की व्यवस्था न तो पहले वाले अधिनियम में है और न इस विधेयक में कोई व्यवस्था करने का प्रयत्न किया गया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इधर भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि चकबन्दी विभाग में जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको आपने स्थायी नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि उनका स्थायीकरण कर दिया जाय भ्रष्टाचार की शिकायत पर फिर बाकायदा आप उनके ऊपर चार्ज लगा कर उनको डिसमिस कर दें तो ठीक है। लेकिन इससे एक लाभ यह होगा कि वे समझेंगे कि हमारी नौकरी स्थायी है, हमें पेन्शन मिलेगी जिससे बुढ़ापे में गुजर हो सकेगी और इसलिये कोई बेईमानी करेंगे या गलती करेंगे तो हमारा भविष्य नष्ट होगा। लेकिन अगर आप उनको अस्थायी रखते हैं तो उनकी कुछ मनोवृत्ति इस ढंग से कार्य करने की हो गयी है कि वे सोचते हैं कि अस्थायी तो हैं ही, कल का क्या ठिकाना, चलो जो १०-२० हजार या एक लाख मिल जाय, उसे लेकर कहीं रोजगार, धंधा ही करें। श्रीमन्, मैं जानता हूं कि चकबन्दी विभाग के जितने अधिकारी हटाये गये हैं उनमें ९९ फीसदी ऐसे हैं जो रोजगार कर रहे हैं। कोई १०-२० हजार का कर रहा है, कोई ५० हजार का कर रहा है, तो कोई एक लाख रुपये का व्यवसाय कर रहा है।

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

आप क्या बात कर रहे हैं?

श्री मैनेजरसिंह—

मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता जो तथ्यहीन हो। अगर मैं कोई गलत बयानी कर रहा हूं तो माननीय मंत्री जी उधर मेरा ध्यान दिलायेंगे तो मैं उसे दुरुस्त कर लूंगा। आप कहेंगे तो मैं नाम भी दूंगा कि जो हटाये गये हैं वे किस व्यवसाय में हैं। माननीय सभा सचिव जी की एक बात का मैं समर्थन करता हूं कि जो अधिकारी किसी शिकायत पर या किसी भ्रष्टाचार के सिलसिले में हटाये जाते हैं उनकी वकालत हम लोग ही करते हैं। यह एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसके कारण भ्रष्टाचार चकबन्दी विभाग से नहीं जा रहा है। मैं जानता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी इस प्रकार के मामलों में सिफारिश बहुत कम सुनते हैं। मीठी मीठी बातें कह कर उसे हंस कर टाल देते हैं लेकिन जल्दी सुनते नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ऐसी कोई सूची बनायें कि कौन कौन ऐसे सार्वजनिक कार्यकर्ता या राजनीतिक नेता हैं या उनके साथी हैं जो भ्रष्टाचार में निकाले गये अधिकारियों की सिफारिश करते हैं। मुझे खेद है, मैं नहीं जानता कि गलत सिफारिश करने वाले कौन लोग हैं, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि ऐसे लोगों की आप सूची बनवायें, जो इस तरह का काम करते हैं, और यदाकदा उनके बारे में कह दिया करें ताकि उन पर कुछ असर हो।

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

उनके नाम हमारे विभाग में हैं।

श्री मैनेजरसिंह—

मुझे मालूम है कि बलिया जिले में एक हरिहर प्रसाद श्रीवास्तव, सी० ओ० थे, जिन्होंने काफी गलत काम किये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप सी० आई० डी० से या कलेक्टर से जांच करायें। आपको पता चलेगा कि शायद ही कोई ऐसा मामला उन्होंने फैसल किया हो जिसमें कुछ लेन-देने न किया हो। आपने उनको डिमोट किया लेकिन अब मुझे पता लगा है कि शायद वह फिर बहराइच या बस्ती के सी० ओ० बना दिये गये हैं। आप जांच करायें कि किन लोगों ने उनकी सिफारिश की? हमारे दो एक साथियों के यहां वह दौड़ते थे। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ आप सख्त कार्यवाही करें।

पैनेल के वकीलों के संबंध में मेरी राय है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे लापरवाही से काम करते हैं। उनके यहां प्रधानों तथा गांव समाज के जो पैरवी करने वाले हैं, उनको बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है और वह दिलचस्पी नहीं लेते क्योंकि वे समझते हैं कि पैनेल के वकील होने के नाते यह मामला हमारा है, चाहे काम करें या न करें। यदि किसी दूसरे वकील को गांव समाज वाले रख लें, तो वह समझेगा कि यह हमारे मोअक्किल हैं और यदि ठीक से काम नहीं किया तो फिर हमारे यहां नहीं आयेंगे। पैनेल के वकील बहुत लापरवाही करते हैं और उसके द्वारा भ्रष्टाचार को प्रोत्साहत मिलता है। मैं चाहता हूं कि यह व्यवस्था समाप्त हो। पैनेल वकील राजनीतिक दबाव के कारण रखे जाते हैं। उसमें पार्टी और गुटबाजी से काम होता है। इसलिये अच्छे वकील नहीं आते और मेरा ऐसा अनुभव है कि जो अच्छे वकील जिले के हैं, वह सरकारी वकील होने के लिये नहीं आते। वह कहते हैं कि हम दरख्वास्त देने क्यों जांय। कोई भी सरकारी वकील या पेनेल नहीं बन सकता जब तक कि वह खुशामद न करे। इसीलिये अधकचड़े लोग पेनेल वकील होकर गांव सम्पत्ति के साथ न्याय नहीं कर पाते।

यू० पी० लैंड रेवेन्यु ऐक्ट में आप संशोधन करने जा रहे हैं हमारी शिकायत है कि यह सरकार और कांग्रेस पार्टी इस देश को जहन्नुम में लें जाना चाहती है। और मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि सत्तरह अठारह साल के बाद देश में जो समस्याएं भाषा आदि की खड़ी हुई हैं, उससे ऐसा लगता है कि इस देश का खंड खंड हो जायगा। हिन्दी भाषी प्रदेश के जो लोग हैं, ये हिन्दी के दुश्मन हैं। इस सरकार ने जो हिन्दी के संबंध में विधेयक आने वाला था, उसको नहीं आने दिया। क्या यह मुनासिब नहीं था कि जिस अधिनियम में आप संशोधन कर रहे ह, यू० पी० लैंड रेवन्यु ऐक्ट जो १९०१ का है उसमें असंगतियों को दूर करने के लिये क्या आप उसका हिन्दी रूपान्तर नहीं करा सकते थे। अगर आप पूरे अधिनियम का हिन्दी रूपान्तर इस सदन के द्वारा स्वीकृत करा लेते तो एक बोझा आपका खत्म हो जाता। यह स्पष्ट है कि अंग्रेजी के मूल अधिनियम का हिन्दी तर्जुमा आप नहीं करा रहे हैं, और मेरी शिकायत है कि हिन्दी में अंग्रेजी के कानूनों का रूपान्तर कराने में यह सरकार अब तक असफल रही है और आगे भी असफल रहेगी। इसलिये मैं कहता हूं कि जो अंग्रेजी के हिमायती हैं, जो नाना प्रकार की भाषाओं का आन्दोलन खड़ा कर रहे हैं, उन सबको यह सरकार प्रोत्साहन दे रही है। यदि सरकार चाहती है कि यहां भाषा की समस्या का कोई प्रश्न खड़ा न हो तो शीघ्रतिशीघ्र जितने पुराने अधिनियम हैं, उनका हिन्दी में रूपान्तर होना चाहिये।

सी० एल० आर० डी० में जो लगान आप नियत करते हैं, उसके संबंध में आये दिन वहां चर्चायें होती हैं, दोनों पक्षों से। किसी काश्तकार का नाम छूट गया और वह नाम जोड़ दिया गया, तो उस जमीन का लगान पिछला साफ है, गलती से जिसका नाम था, वह लगान देता आया और अब जो नया नाम चढ़ा तो उससे पिछले ७–८ साल का लगान सीरदारी के हिसाब से ले रहे हैं और उसको अधिवासी बना रहे हैं। मेरी राय से इसमें बड़ा अन्याय हो रहा है और चाहूंगा कि मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें। जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा १ और २ मे जो संशोधन कर रहे हैं, रामपुर की जमींदारी एबालीशन के संबंध में संशोधन कर रहे हैं, और कुमायूं अधिनियम के अधिकार क्षेत्र को समाप्त करके उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि अधिनियम लागू करना चाहते हैं, इस बारे में हमारी शिकायत है कि इसको पूरे प्रदेश में लागू करें। हमारे बलिया के कई टाउन एरियाज में बलिया शहर के कुछ हिस्से में जमींदारी एबालीशन का कानून अभी तक लागू नहीं है। बनारस में भी नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि समस्त उत्तर प्रदेश में एक ही कानून लागू करना चाहिये। जिन क्षेत्रों में जमीदारी विनाश अधिनियम लागू नहीं हो रहा है,उसका कारण निहित स्वार्थ है और जब आप इसको पूरे प्रदेश में लागू कर देंगे तभी यहां का किसान माननीय राम कुमार शास्त्री के कथनानुसार सीना उठाकर चल कसता है। मैं कहना चाहता हूं कि आपने जमींदारी को अभी समाप्त नहीं किया है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

जनरल डिस्कशन कब तक चलायेंगे ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

कल तक, क्योंकि संशोधन कम हैं, इसलिये दो दिन जनरल डिस्कशन हो और एक दिन संशोधनों पर विचार हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

तो ठीक है, कल शाम तक आप सामान्य विवाद चलायेंगे और उसी वक्त माननीय मंत्री का जवाब होगा ।

(कुछ सदस्यों द्वारा आपत्ति करने पर)

मैं चाहूंगा कि इस संबंध में आपस में समझौता कर लीजिये । कल संशोधनों के लिये कुछ समय और हो जाय ।

कल दो बजे तक खत्म कर दीजिये ।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

आज जनरल डिस्कशन हो जाय और कल संशोधनों पर विचार हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

कल दो बजे तक रखिये ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, ३ बजे तक रखिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

तो ठीक है, ३ बजे तक जनरल डिस्कशन चलेगा ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कल २ बजे तक रखिये ताकि संशोधनों पर विचार करने के लिये कुछ समय और मिल सके, क्योंकि संशोधनों में ज्यादा पेचीदगी होती है, और उनको समझने और समझाने में समय लगता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब ये लोग चाहते हैं कि ३ बजे तक रहे ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हम तो नहीं चाहते, २ बजे तक रखिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब इधर के लोग ३ बजे तक के लिये कह रहे हैं तो ३ बजे तक ही रहने दीजिये ।

श्री बंशीधर पांडेय —

इस के बाद परसों तक के लिये एक विधेयक और है.....

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, परसों तक दोनों बिल पास हो जायेंगे ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करता हूं और मंत्री जी को बधाई देता हूं ऐसा बिल लाने के लिये लेकिन शिकायत मेरी यह है कि इस विधेयक को बहुत पहले सदन में प्रस्तुत हो जाना चाहिये था। जैसे कि खाम स्टेट है, गढ़वाल में, कोटद्वारा, भाबर में मंत्री जी ने सन् १९५० में कहा था कि वहां की खाम स्टेट खत्म हो जायगी और वहां के लोगों को जमीन का मालिक बनाया जायगा। लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। यह बहुत अच्छा हुआ कि मंत्री जी इस विधेयक को लाये हैं, उन्होंने इस को लाकर जनता का बड़ा उपकार किया है। जमींदारी उन्मूलन के बाद जो कमियां और खामियां उसके लागू होने में नजर आईं उनको दूर करना बहुत जरूरी था और जो लाजमी संशोधन था वह मंत्री जी इस विधेयक द्वारा सदन में लाये हैं और उसके लिये वह हमारी ओर से बधाई के पात्र हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कानून से हमारी भूमि व्यवस्था में सुधार होगा और जो कमियां फिर भी रह जायंगी उनको भी संशोधन के द्वारा इसी विधेयक में शामिल कर लिया जाय तो बहुत ही अच्छा होगा।

जिस तरह की कुछ कमियां मंत्री जी के सामने भीखालाल जी ने रखी हैं, मैं समझता हूं, अगर इस तरह की कमियों को अभी दूर कर दिया जाय तो उससे सरकार की प्रतिष्ठा जाती नहीं बल्कि सदन की और सरकार की दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ती ही है। इस तरह से जनता के कष्टों को जल्द दूर किया जा सकता है। अगर यह सहयोग हमारी सरकार की ओर से मिले तो वह प्रशंसनीय होगा। इसी तरह से मैं समझता हूं कि नगरों की जो भूमि व्यवस्था हैं उसमें भी बहुत जल्दी सुधार हो जाना चाहिये। इसी विधेयक को वहां भी लागू करना चाहिये। हमारे कुमायूं के लिये भी मंत्री जी ने बहुत अच्छा किया कि खाम स्टेट और तराई भावर में भी प्लेन्स का ही जमींदारी उन्मूलन कानून लागू करने की व्यवस्था की है। मुझे आशा है कि बहुत जल्द इस विधेयक को पारित कराने के बाद मंत्री जी उचित कदम इस दिशा में उठायेंगे। खाम स्टेट, भावर और तराई भावर की जो जमीनें हैं उन को जमींदारी उन्मूलन कानून के अन्तर्गत लाकर लोगों को जल्द से जल्द भूमिधरी के अधिकार प्रदान करने चाहिये। मैं अधिक न कहते हुए मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो उचित संशोधन पेश किये जांय। अगर उनके पास कराने में थोड़ी देर भी होती हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप के इस सहयोग से किसानों का बहुत लाभ होगा और प्रदेश के कृषक आप के कृतज्ञ होंगे। मै इतना ही कहकर समाप्त करता हूं।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कमलासिंह जी द्वारा रखे गये संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, यह जो कमलासिंह जी ने कहा है कि इसको प्रवर समिति के विचारार्थ भेजा जाय, यह बिल्कुल सही है, और वह क्यों? वह इसलिये कि ८-८-१९४६ को जमींदारी विनाश के लियें एक समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष माननीय स्वर्गीय गोविन्द वल्लभ पंत थे और जो वर्तमान राजस्व मंत्री हैं वे भी उसमें थे। इस समिति में १३ सदस्य थे। उन्होंने भी अपनी प्रश्नावली को विचार के लिये भेजा था और वह सब एम० एल० ए०, एम० एल० सी०, डिवीजनों के कमिश्नर्स, जिला अफसर, स्वायत्त संस्थाओं के अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और मुस्लिम लीग, अन्य राजनीतिक पार्टियों और विभिन्न किसान सभाओं को भेजा गया था। तो इस लिये माननीय कमलासिंह जी ने जो सुझाव दिया है, वह बिल्कुल ठीक है क्योंकि इतना बड़ा संशोधन जिसमें माननीय मंत्री जी हमारे सामने ५२ धाराओं का संशोधन रख रहे हैं, जिसमें ५२ धाराओं को उथल पुथल कर डाला हो, उसे प्रवर समिति को भी न भेजा जाय। मेरे पहले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लखीसिंह]

बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि जल्दबाजी हो रही है। हमारे माननीय मंत्री जी तो जल्दी नहीं कर रहे हैं, वे बुजुर्ग आदमी है, लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी को य उच्च अधिकारी जो हैं, वे हिला देते हैं। यद्यपि वे बड़े ही अनुभवी आदमी हैं लेकिन फिर भी उनको हिला देते हैं। इतने बड़े संशोधन और इतनी बड़ी पोथी हमारे सामने रख दी जाती है जिसमें ५२ धाराओं को तोड़-फोड़ डाला है। मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि यहां पर माननीय कल्पनाथ सिंह जी का भाषण हुआ। वे अब उधर चले गये हैं। उनका वहां पर तबलचीपन का काम है। सरकार चाहे बुरा काम कर तो उनकी नजर में अच्छा है और चाहे सरकार अच्छा काम करे तो भी अच्छा। जो चीज अच्छी है वह तो हम भी अच्छी कहेंगे, लेकिन जो चीज उल्टी है उसका हम डटकर विरोध करेंगे। जिस वक्त १९४६ में जमींदारी विनाश के लिये समिति बैठी थी उस वक्त हमारे सामने वह चीज गयी कि हम किसानों को समझायें कि जमींदारी विनाश के बाद जमीन का मालिक किसान होगा। यह हम बताते थे लेकिन अब हम यह तो नहीं कहते कि उसे कोई फायदा नहीं हुआ.....

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय लखीसिंह जी, यह तो आप आम बात कह रहे हैं। आप कृपया बिल के संबंध में भी कुछ कहिये।

श्री लखीसिंह---

यही तो जड़ है सारी। शास्त्री जी ने अपने भाषण में एक बात बताई। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी और शायद और लोग भी हंस रहे होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी चक-बन्दी की तारीफ को सुन कर गुजरात के लोग आये। पंजाब की सरहद के माननीय सदस्य बैठे होंगे इस सदन में। मेरठ, सहारनपुर, मथुरा, आगरा जिले के सदस्य जानते होंगे पंजाब की चकबन्दी के बारे में। श्रीमन्, वहां एक भी किसान को तकलीफ नहीं है। सीधा रास्ता बनाया गया, मेड़ भी बनाई गयीं, लेकिन हमारी सरकार तो चकबन्दी की नापतोल में ही फंसी हुई है। कभी एक कर्मचारी ने ४ गट्ठे जमीन उधर बढ़ा दी और कभी दूसरे कर्मचारी ने ३ गट्ठे जमीन इधर बढ़ा दी। किसान चक्कर में पड़ा हुआ है और वकीलों का काम बन रहा है। वकीलों का मेहनताना चकबन्दी होने के कारण बढ़ गया है। मेरे जिले में ४ तहसीलें हैं। ३ में चकबन्दी हो गयी सादाबाद, मथुरा और छाता तहसीलों में चकबन्दी हो गयी और माठ में अभी चल रही है। मैं कहता हूं कि सरकार की तरफ से ५ प्रमुख मंत्री एवं उप मंत्री चलें मेरे साथ और एक एक किसान के चक को देखें, एक महीने अथवा १५ दिन मेरे साथ रहें तो उनको पता चल जायगा कि चकबन्दी की वहां क्या हालत है। बटलोई में से एक चावल निकाल कर पता चल जाता है कि चावल ठीक पका है या नहीं। एक गांव में देख लो अथवा १० में देख लो। ऐसे चक हैं कि ८० फीसदी किसान अगर तबाह न हो गये हों तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। मैं चकबन्दी को बुरा नहीं कहता लेकिन चकबन्दी हो तब न। यह चकबन्दी नहीं चक्रव्यूह है जिसमें किसान तबाह हो गया। चकबन्दी होने से पहले एक गांव से दूसरे गांव तक सीधा रास्ता जाता था। बैलगाड़ी सीधे उस रास्ते पर गांव तक पहुच जाती थी लेकिन अब अगर ५ रास्ते हैं एक गांव तक पहुंचने के लिये तो ५ में एक तो शायद ठीक बन गया होगा लेकिन ४ रास्ते ऐसे बना दिये हैं कि दारुल-शफा को जाना है तो पहले हजरतगंज जाइये और फिर वहां से दारुलशफा जाइये और फिर वह दारुलशफा को जायें। इस तरह से चकबन्दी के कर्मचारियों ने रास्ते बनाये हैं और किसान झंझट में पड़ गया है। कहीं कहीं तो श्रीमन्, बिलकुल ही रास्ता नहीं बना है। मंत्री जी ने चकबन्दी की बहुत तारीफ की और शास्त्री जी ने भी की इसीलिये मैंने ये २, ४ बातें चकबन्दी की कह दी हैं।

श्रीमन्, यहां मैं बताऊं कि हमारे क्षेत्र में चकबन्दी हो चुकी है, कागजात मुकम्मिल हो चुके हैं लेकिन चक के लिये रास्ता नहीं है और हम से किसान कहता है कि अब बताओ क्या करें। उस समय रास्ता बताया था लेकिन अब रास्ता ही नहीं है। यह हालत वहां मची हुई है। सबको तो मैं बेईमान नहीं बता सकता। लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि जो एस० सी० ओ० ने लिख दिया वही भगवान हो गया फिर सी० ओ० उसी कदम पर जायेगा, एस० ओ० सी० भी उसी कदम पर जायेगा और अगर डायरेक्टर साहब अच्छे हुये तब तो किसान बच जायगा वरना डायरेक्टर भी उसी आधार पर जायगा। एस० सी० ओ० भाग्य विधाता होता है। एस० सी० ओ० ने चक काट दिया तो वह उलट नहीं सकता है। एस० सी० ओज० १०० में से ६५/६६ उस तहसील से लखपती बनकर निकलेंगे, हजारपति नहीं। श्रीमन्, मैं आपको चकबन्दी का नमूना बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब विधेयक पर आइये।

श्री लखीसिंह—

श्रीमन्, विधेयक पर ही मैं कह रहा हूं। मैं अपने गांव की बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। देखिये उद्देश्य कितना बढ़िया है, इसे मंत्री जी ने इसमें जोड़ दिया है। जमींदारी विनाश, भूमि सुधार, मालगुजारी तथा जोत चकबन्दी से सम्बद्ध विभिन्न विधियों के कार्य संचालन में विधिक तथा प्रक्रिया संबंधी कुछ कठिनाइयां तथा न्यूनातायें प्रकट हुई हैं। उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा १२७—ख—में आयुक्तों के न्यायालयों, राजस्व परिषद् और उच्च न्यायालय में गांव सभा के पैनल क वकीलों की नियुक्ति के लिये कोई अधिकार नहीं है।

देखिये यह और आफत है, यह और शनीचर हमारे ऊपर है। जो भाई मैनेजर सिंह जी बता रहे थे उसको मैं अपनी भाषा में नहीं बताना चाहता हूं। वकीलों को मैं शनीचर नहीं बताता हूं। वे तो कानून के पण्डित होते हैं। लेकिन पैनल के वकील अधिकतर कांग्रेसी होते हैं और यहां पर जो बड़ी मशीनरी है वह उनको नियुक्त करती है और उनका वह विभाग मौरूसी हो गया है। गांव पंचायत के केसेज तो उनक मौरूसी हैं, उनकी मिलकियत है इसलिये वे लापरवाही करते हैं। गांव पंचायतों के मुकदमों के अलावा और मुकदमे ले लेते हैं। अगर गांव पंचायत के चार मुकदमें हैं तो १८ मुकदमे और ले लेते हैं। गांव पंचायतों के मुकदमों की अच्छी तरह से पैरवी नहीं करते हैं इसलिये वे मुकदमे बरबाद हो जाते हैं। मंत्री जी मानें या न मानें लेकिन मैं सही बात कह रहा हूं। उनकी माया ही न्यारी है। कुछ ऐसे भी हैं जो हारे हुए उम्मीदवार होते हैं, कांग्रेस के हारे हुए। जो हार जाते हैं जब जनता उनको वोट नहीं देती तो उनको उनके रोजगार के लिये उसमें पद दे दिया जाता है। तो श्रीमन्, यदि इस संशोधन में यह होता कि जो अलाभकर जोत हैं उनसे लगान हटाया जाता है तो मैं उसका स्वागत करता। सरकार यह बताती है कि उत्तर प्रदेश में नहीं, हिन्दुस्तान में ८० प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनकी खेती बिना मुनाफे की है तो जब वह मुनाफे में खेती नहीं करते हैं तो उनसे लगान किस बात का लिया जाता है। जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट जो है, उसमें है, मैं उसको लेता हूं। इसमें भी लिखा हुआ है कि मालगुजारी किसान की पैदावार के किसी प्रतिशत के हिसाब से ली जाये और ४० साल तक कोई मालगुजारी बढ़ाई न जाये। मुझे तो श्रीमन्, यह भी भय है कि कहीं यह सरकार किसानों पर मालगुजारी बढ़ा न दे।

श्री उपाध्यक्ष—

जरा समय का लखीसिंह जी ध्यान रक्खें।

श्री लखीसिंह—

माननीय, मैं संविधान पर तो बोला नहीं रहा हूं न केशव सिंह वाले मामले पर बोल रहा हूं, इसमें मुझे बोलने दिया जाये और मुझको इसमें बोलने की समय में खुली छूट दे दी जाये। तो श्रीमन्, आपको बताना चाहता हूं कि मंत्री जी इस संशोधन में यह चीज जोड़ें कि अलाभकर जोतों से लगान बिलकुल हटाया जायगा, जो बिना मुनाफे के खेती करने वाले किसान हैं, उनसे लगान न लिया जाये। मंत्री जी मेरी बात सुनते नहीं है, मेरा बड़ा अच्छा सुझाव है। अभी हमारी सरकार ने चकबन्दी की है, चकबन्दी में ए० सी० ओ० साहब जमीन की किस्म बनाते हैं, ४ आने की, ६ आने की और १२ आने वाली जमीन। तो शास्त्री जी महाराज जब आपके एस० सी० ओ० किस्म लिखकर चक बनाते हैं और किस्म लिखकर चक दिये जाते हैं तो लगान में वह किस्म क्यों नहीं लागू की जाती है, क्यों हर प्रकार की जमीन से बराबर का टैक्स वसूला जाता है, यह किसानों के साथ बड़ा अन्याय है। जो २ आने की जमीन है, उस पर भी वही २ रुपया बीघा लगान और जो आठ आने और १२ आने वाली जमीन है उस पर भी वही २ पया बीघा लगान लेना, कितने अन्याय की बात है, इस पर मंत्री जी जरा सोचें। जब श्रीमन्, आपने जमीन का बन्दोबस्त कराया तो लगान का बन्दोबस्त क्यों नहीं कराया? और यदि नहीं कराते तो यह सारे किसानों पर घोर अन्याय आप कर रहे हैं। यह इस सरकार पर मेरा चार्ज है, यह सरकार किसानों को बर्बाद करना चाहती है और बर्बाद करके मिटा देना चाहती है जिससे किसान सदा के लिये दब जाये और वह राजनीति में दखल न कर सकें और उनकी कुर्सी न छीन सकें। यदि श्रीमन्, मानो तो मेरे दो सुझाव नोट करो, एक तो लगान का बन्दोबस्त कराओ, जैसी जमीन हो उसी के अनुपात से किसान पर लगाया जाये। आपने जमींदारी प्रथा को खत्म करके कौन से तीर मार लिया, कौन सा शेर मार लिया, जब कि आप किसान से अधिक मालगुजरी वसूल रहे हैं, बनिस्बत उसके कि आप जमीदारों से प्राप्त करते थे। यदि आप उनसे कम लेते और उनको कोई आराम देते तो मैं आपको हार पहनाता। सरकार की तारीफ रामायण राय जी करें, चाहे कल्पनाथ सिंह जी करें जो इधर से गये हैं, लेकिन मैं तो सरकार की तारीफ नहीं कर सकता। मैं इन्हीं बातों पर अंग्रेज सरकार से, लड़ा ८–१० मर्तबे गिरफ्तार हुआ जेल गया और चोटें भी खाई। जो आप जमीदारों से लगान लेते थे उससे तिगुना आप किसान से लगान ले रहे हैं और आप उसको लुटवा रहे हैं। हां, यह मानता हूं कि जमीदार किसान को बहुत तंग करता था ऐसे जमींदार थे जो किसान को जल्दी-जल्दी बेदखल कराते थे, लकड़ी नहीं काटने देते थे उसमें कुछ सुधार हुआ है लेकिन वसूली में कोई सधार आपने भी नहीं किया। उनका एक कारिन्दा होता था, आपका डबल हो गया। लगान तिगुना, कारिन्दा डबल। वह तो कुर्की कराने का तरीका अख्तियार कर सकता था लेकिन आपका अमीन अगर तीन महीने का लगान न वसूल हो तो उसकी मुश्कें बांध कर उसको तहसील की सड़ी कोठरी में डाल देगा। इस विधेयक में कुर्की और गिरफ्तारी वाली बात है इसलिये अर्ज करता हूं अगर किसान को गिरफ्तार करते हो, १०–१५–२० रुपये के लिये तो करो लेकिन उसको जेल भेज दो। हम और आप उपाध्यक्ष जी जेलों में बहुत रहे हैं लेकिन तहसीलों की सड़ी हुई कोठरी, जिसमें खाना भी वक्त पर नहीं, पानी भी वक्त पर नहीं, बिछावन कुछ नहीं, हवा का नाम नहीं, जिसे हम अंग्रेजी के जमाने में कालकोठरी कहा करते थे, उसमें उसको डालकर निकम्मे तहसीलदारों से कुचलवाते हो, यह ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री लखीसिंह—

मेरे भाषण से उपाध्यक्ष जी घबड़ाओ नहीं, मेरी वाणी कड़ी है लेकिन मैं तो सरकार का उपकार करने के लिये ही कहता हूं। सरकार सुने न सुने, हमारा वह क्या करेगी उसका

खुद जनाजा ६७ में निकल जायेगा। हमने लगान वाली बात बताई, तहसील की काल कोठरी वाली बात बताई कितना घोर अन्याय होता है।

एक बात और, जहां-जहां, जिन-जिन तहसीलों में चकबन्दी हुई वहां की एक एक कमेटी बनाओ और इस सदन के विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाओ, मैं यह नहीं कहता कि हमारे लोगों को उसमें रखो। वह कमेटी जांच करे और उस समय ए० सी० ओ०, सी० ओ०, एस० ओ० सी० और डाइरेक्टर सब का भंडाफोड़ हो जायगा। यह हमारा तजुर्बा है, इसे करो और ठीक न उतरे तो जो चाहे सजा देना।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका एक एक शब्द नोट कर लिया है। उस पर कार्यवाही होगी। अब आप समाप्त कीजिये।

श्री लखीसिंह—

इन शब्दों के साथ में अपनी बात खत्म करता हूं और एक बात अन्त में जरूर कहता हूं कि जब तक मेरे ये तीन-चार सुझाव मंत्री जी नहीं मानेंगे तब तक हम इस संशोधन का विरोध जरूर करेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस भूमि विधि संशोधन विधेयक के संबंध में जो माननीय विरोधी सदस्यों के मैंने विचार सुने हैं आज तक, जितने भी संशोधन विधेयक इस सदन में आये हैं उनमें किसी में भी इतना प्रबल समर्थन किसी विधेयक का उन्होंने नहीं किया जितना इसका किया जा रहा है। माननीय माधव प्रसाद जी के भाषण की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं। उसमें उन्होंने यह चाहा है और कहा है कि यह संशोधन बहुत पहिले आना चाहिये था। इसका अर्थ यह है कि वह इसको उचित समझते हैं लेकिन उनकी शिकायत यह है कि इसके लाने में देर हुई। इसलिये उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन जैसा कि कायदा विरोध करने का नाम मात्र को होता है वही उन्होंने किया है। श्री भीखालाल जी ने कहा कि यह संशोधन विधेयक जो पेश किया गया है बहुत महत्वपूर्ण है और यह भी उन्होंने कहा है कि इससे जो गांव पंचायतों में और रेवेन्यू विभाग में दुरुपयोग होता है वह रुकेगा। यह आशा उन्होंने जाहिर की है। इससे ऐसा जाहिर होता है कि उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। माननीय मैनेजर सिंह जी ने इसको बहुत बढ़िया विधेयक बतलाया है। इसलिये मैं नहीं समझता हूं कि सदन का वक्त अब क्यों खराब किया जा रहा है। यह संशोधन विधेयक एक तरह से विरोधी पक्ष ने पास कर ही दिया है।

अब मैं यह अर्ज करूंगा कि माननीय मैनेजर सिंह जी और माननीय लखीसिंह जी इस बात पर बहुत जोर देते हैं और सोशलिस्ट पार्टी से भी यह सुनने को मिलता है कि अलाभकर जोतों का लगान घटाया जाय। यह बहुत अच्छी बात है। परन्तु मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि आपने यह नारा लगाया है तो जरूर, लेकिन कभी इस पर अमल भी किया है। जो भूमिहीन है, जो गरीब हैं उनको जमीन दी भी है? आप जो यह कहते हैं कि धन और धरती बटकर रहेगी तो कभी आपने इसके ऊपर अमल भी किया है या सिर्फ मन से ही यह बात करते हैं। मैनेजर सिंह जी तो वहां के सभापति हैं। क्या वह ऐसी बात बता सकते हैं एक अपनी गांव पंचायत में उन्होंने भूमिहीनों को जमीन दी है? आज गांवों की हालत यह है कि अलाभकर जोत को मजदूर ५० रुपये बीघा पर लेने को तैयार है। वह यह चाहते हैं कि उनको २, ४ बीघे जमीन मिल जाय। इसलिये अलाभकर जोत से लगान माफ करने की दलील न चलायें बल्कि इस पर अमल करके बतलायें कि इतनी जमीन दे दी गई। मैं यह कहूंगा और दावे के साथ कहता हूं कि

[श्री ज्वालाप्रसाद]

वह सद्भावना का प्रश्न है और कहीं भी बहुत कम हो पाया है। कानूनी रूप देना दूसरी बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात है। आप बेकार गलत नारा लगाकर हरिजनों को गुमराह करने की कोशिश न करें।

श्री उग्रसेन—

आपके नेता तो चौधरी गिरधारी लाल और डाक्टर सीताराम ही हैं, और कोई नहीं है।

(व्यवधान)

श्री ज्वालाप्रसाद—

आपकी निगाह में इससे किरकिरी पैदा हो गयी है। आप अपने दिमाग से साम्प्रदायिकता नहीं निकाल पाये हैं।

श्री उग्रसेन—

वे आज तक एक भी हरिजन बस्ती में नहीं गये होंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आपके माने श्रीमन् के होते हैं, यह आप माननीय सदस्य को बतला दें। वह बार-बार आप-आप कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री ज्वालाप्रसाद—

गांव समाज के लिये भी इस विधेयक में प्राविधान किया गया है। जो मंशा है वह यह है कि गांव समाज की संपत्ति की रक्षा की जाय। अभी तक उसकी बुर्दशा होती रही है और बहुत जगह मैंने देखा है कि गांव समाज की संपत्ति तहसील में भ्रष्टाचार का माध्यम बनी हुई है। अगर इस तरफ ध्यान दिया गया है तो इससे गांव पंचायतों का स्तर ऊंचा होगा और सभी को राहत मिलेगी और गांव समाज अच्छा काम कर सकेंगे।

आबादी के लिये चकबन्दी के दौरान हरिजनों तथा भूमिहीनों के लिये जमीन छोड़ी जाती है। उसमें हरिजनों को भूमि मिलने का कायदा है लेकिन प्रायः माननीय मैनेजर सिंह तथा माननीय उग्रसेन जैसों के कारण, तथा सोशलिस्टों के कारण उनको भूमि नहीं मिल पाती, एक बिस्वा जमीन भी उनको नहीं मिलती। इसलिये यदि आप उनको अधिक सुविधा प्रदान करने की बात करें और यह काम तहसील या हाकिम परगना की तरफ से ही करायें तो इसमें सुविधा होगी और यह भूमि केवल हरिजनों को ही नहीं वरन् उन सब लोगों को मिलनी चाहिये जिनके पास रहने के लिये मकान नहीं है।

अगर यह विधेयक जनता की राय जानने के लिये या जैसा कि माननीय कमला सिंह जी का प्रस्ताव है, प्रवर समिति के लिये भेजा गया तो उसमें एक बड़ा अहित होगा जिसकी तरफ मैं इंगित करना चाहता हूं। चकबन्दी के बाद सब कार्यवाही समाप्त हो जाती है तो अक्सर ऐसा होता है कि किसी-किसी के नाम में बाग आदि चला आता है, उसे आखिरी परचा मिलने के समय नाम उसमें नदारद रहता है। शुरू से आखिर तक उन का नाम रहा लेकिन आखिरी परचे में उसका नाम नदारद रहता है। ऐसी गलतियां महकमा फिर ठीक नहीं कर सकता और उसके लिये किसान को सिविल कोर्ट जाना पड़ता है। मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस बिल में ऐसी व्यवस्था की है कि जिससे किसान का समय और धन नष्ट होने से बचेगा।

पैनल के संबंध में व्यवस्था हुई है । उसमें मैं नहीं समझता कि जो वकील गांव समाज की तरफ से तहसीलों में जाते हैं उनसे गांव समाज का हित होता है। वह ५ रुपया फी मुकदमा पाते हैं और अधिकतर गांव समाज के खिलाफ लोगों से मिलकर उसकी संपत्ति का ह्रास करते हैं। इसके लिये आप कुछ उचित व्यवस्था करें। रास्ते की बाबत श्री मैनेजर सिंह जी ने कहा, उसके लिये भी गांव सभापतियों को काम करना चाहिये। जिस रास्ते को खोलना चाहते हैं, वह खोल सकते हैं। रास्ता बन्द है और आप चले आये। इसीलिये मैंने कहा था कि विधान सभा सदस्यों को क्षेत्र समिति का और गांव पंचायतों का सभापति नहीं होना चाहिये। यह सही है कि चकबन्दी के बाद रास्ते छेके गये, रास्ते रोके गये, लेकिन बहुत से सभापति माननीय मैनेजर सिंह जैसे विचार रखने वाले सोचते हैं कि इनको मनमानी कर लेने दो, यदि यह बदला गया तो वह खिलाफ हो जायगा और अगले चुनाव में मुश्किल होगी। इसलिये मजबूत बनिये। सभापति के हाथ में शक्ति है, वह रास्ता खोल सकता है, फिर भी आप कहते हैं कि सरकार ही करे। आप तो यहां के कायदे कानून जानते हैं, आप तो खुद एक तरह से सरकार में हैं, आप क्यों नहीं नियमों का और कायदे का पालन कराते हैं ?

श्री मैनेजरसिंह—

हमारा नाम लिया गया। मैं सफाई देना चाहता हूं कि मैं जिस गांव सभा का प्रधान हूं उसमें मैंने ५ बार कटौती के प्रस्ताव रखे लेकिन आपके कर्मचारी ने पसन्द नहीं किया। जो रास्ते उन्होंने बिगाड़े हैं मैं उनको सीधा करा रहा हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद—

यह जो संशोधन लाया जा रहा है कि इसको जनमत के लिये प्रसारित किया जाय या प्रवर समिति को सौंपा जाय, मैं कहता हूं कि जब कि विरोधी सदस्यों की अन्तरात्मा कहती है कि ये संशोधन उपयोगी हैं और जल्दी आने चाहिये थे तो व्यर्थ ही सदन का समय क्यों लिया जा रहा है और इस अमूल्य समय में कोई दूसरा काम क्यों न किया जाय। मैं संशोधन लाने वालों से निवेदन करूंगा कि वह अपने संशोधन वापस लें और जो यह कहते हैं कि इसको जल्दी आना चाहिये था उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मुझे आशा है कि आप लोग इसको कानूनी रूप देने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे एक सूचना देनी है माननीय सदस्यों को। माननीय शांतिप्रपन्न शर्मा, सूचना उप-मंत्री की तरफ से आपको निमंत्रण है। आज रवीन्द्रालय में शास्त्रीय संगीत होगा ८ बजे शाम।

श्री उग्रसेन—

कौन कौन प्रमुख कलाकर भाग लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

नाम तो इसमें नहीं हैं।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधित विधेयक यहां पर पेश हुआ है वह वैसे तो पहली बार नहीं है। बहु-विधि संशोधन विधेयक हैं गवर्नमेन्ट की आदत पड़ गयी है कि ३–४ कानूनों को एक साथ मिला कर लाये, कर-विधि संशोधन विधेयक आया, सिविल लाज अमेंडमेन्ट ऐक्ट आया। अब माननीय मंत्री ने ७ कानूनों को संशोधन करने के लिये यह विधेयक रखा है जिसमें कि ५० संशोधन हैं। वैसे तो संभवतः अगर अलग अलग करके

[श्री रघुपालसिंह]

वे विधेयक आये होते तो इनका विशेष प्रभाव समाज और देश पर हुआ होता। उनके संबंध में आवश्यक सुझाव और आपत्तियां हुई होती। इस संशोधन विधेयक से तो साधारणतया पता ही नहीं चलता कि यह क्यों लाया गया है। इसमें जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में संशोधन किया जा रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में भी संशोधन किया जा रहा है, और भी कानूनों में संशोधन किया जा रहा है, उन सब के बारे में अगर अलग अलग संशोधन आते तो वह अच्छा रहता। इससे बहुत से सदस्यों को तो यह भी पता नहीं चलेगा कि इस विधेयक द्वारा क्या किया जा रहा है।

मान्यवर, इसमें चकबन्दी वाला जो संशोधन है उसके संबंध में बहुत से माननीय सदस्यों ने मंत्री महोदय को बधाई दी है और कहा है कि वह अच्छा संशोधन लाये हैं। उस पर मैं भी बधाई देता हूं, परन्तु एक बात कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था, वायदा किया था, उसको पूरा करने के लिये ही वे यह संशोधन लाये हैं। मैं तो राज्य चकबन्दी कमेटी का सदस्य भी हूं और आज से नहीं काफी दिनों से माननीय सदस्यों द्वारा यह मांग की जा रही थी कि इस प्रकार का संशोधन किया जाय क्योंकि इसके न होने से चकबन्दी में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी, लेखपाल वगैरह गलत एन्ट्री कर रहे थे। तो माननीय मंत्री जी को उस आश्वासन की पूर्ति के लिये मैं अवश्य बधाई देना चाहता हूं।

इसमें मान्यवर, कई कानूनों के बारे में संशोधन हैं, किन्तु मैं ३ कानूनों के बारे में ही अपनी राय रखना चाहूंगा, बाकी के बारे में मैं कुछ न कह सकूंगा। जमींदारी एबालिशन एक्ट में जो संशोधन करने की बात है, उसके जरिये कुछ उल्टी उलझन पैदा हो गयी है। खण्ड ३ के अन्दर संशोधन करके भूमि की परिभाषा को बदला जा रहा है। भूमि की परिभाषा से धारा १०९ और अध्याय ७ को निकाला जा रहा है, जो ठीक नहीं है। अध्याय ७ में गांव सभा में क्या निहित होगा उसका वर्णन है, उसमें भूमि भी है। १९४ में उस भूमि को पट्टे पर उठाने का जिक्र है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि इस भूमि की परिभाषा में संशोधन करने का जो विचार है उसका क्या मतलब है। फिर ११७ के अन्तर्गत जो भूमि गांव समाज की होगी उसका क्या मतलब होगा? पट्टे पर जो होगी उसका क्या मतलब होगा? क्या इस तरह का भी कोई प्राविजन करने का विचार है कि गांव समाज की जो भूमि होगी उसको पट्टे पर देने का अधिकार नहीं होगा? इस भूमि की परिभाषा से धारा १०९ निकालने से इसका फायदा उन्हीं लोगों को वास्तव में होगा जिन्होंने इन्डस्ट्री के लिये उसको लिया है। ११७ तथा ११७-ए जिनके अन्तर्गत सारी भूमि गांव समाज में वेस्ट करती है उसको पूरा का पूरा सब्सटीट्यूट किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप अपना भाषण कल जारी रखें।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
५ अप्रैल, १९६५।

नत्थी 'क'

[देखिए नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७५ पर]

संलग्नक

चित्रकूट धाम नगरपालिका को १९५९ से १९६४ तक सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों तथा उनके उपयोग का विवरण

वर्ष जिसमें अनुदान दिया गया	कार्य जिसके लिये अनुदान दिया गया	अनुदान की धनराशि	नियमानुसार उपयोग धनराशि	बची हुई धनराशि	अनुदान के नियमानुसार उपयोग के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदम
१	२	३	४	५	६
१९५९ ..	१—सड़कों की मरम्मत के लिये ..	२१,५००	..	२१,५००	यह अनुदान इस शर्त पर दिया गया था कि पालिका इतना ही धन अपने कोष से व्यय करेगी। पालिका ने यद्यपि अनुदान की धनराशि का उपयोग कर लिया है किन्तु अपने कोष से अभी तक कोई व्यय नहीं किया है। पालिका ने प्रार्थना की थी कि उसे तुल्यदान लगाने की शर्त से मुक्त कर दिया जाय। यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई थी किन्तु अनुदान के उपयोग की अवधि ३१-३-६४ तक बढ़ा दी गई थी। जिलाधीश से पूछा गया है कि वह नगरपालिका से उन परिस्थितियों को बताने के लिये कहें जिनके कारण अनुदान का उपयोग नहीं हो सका तथा नगरपालिका से यह भी पूछ कर बतावे कि अनुदान की धनराशि वापस क्यों न करा ली जाय।

वर्ष जिसमें अनुदान दिया गया	कार्य जिसके लिये अनुदान दिया गया	अनुदान की धनराशि	नियमानुसार उपयोग धनराशि	बची हुई धनराशि	अनुदान के नियमानुसार उपयोग के लिये सरकार द्वारा उठाए गए कदम
१	२	३	४	५	६
	२—हैन्ड कार्ट्स तथा व्हील बैरो खरीदने के लिये ..	२८०	२८०	..	..
१९६० ..	३—सड़कों की मरम्मत के लिये ..	२६,७००	..	२६,७००	स्थिति वही है जो ऊपर क्रम संख्या १ में दी हुई है।
१९६१ ..	४—सड़कों की मरम्मत के लिये ..	१०,०००	..	१०,०००	स्थिति वही है जो ऊपर क्रम संख्या १ में दी हुई है।
	५—हैन्ड कार्ट्स तथा व्हील बैरोज खरीदने के लिये ..	१५०	१५०	..	..
१९६२ ..	६—शिक्षा कार्यों के लिये ..	११,०००	११,०००	..	..
१९६३ ..	७—शिक्षा कार्यों के लिये ..	१७,०३७	१७,०३७	..	..
	८—परीक्षण जलकूप का निर्माण ..	३३,५५०	१२,९७२	२०,५७८	यह धनराशि स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई थी उन्हीं के द्वारा कार्य होना है। कार्य चालू है।
१९६४ ..	९—सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत के लिये।	२०,०००	१,२४८	१८,७५२	अनुदान के उपयोग की अंतिम तिथि ३१-३-६५ तक थी।
	१०—शिक्षा कार्यों के लिये (पाठशाला के रक्षण एवं संरक्षणहेतु)	७,६२७	४,७५३	२,८७४	बोर्ड ने सूचित किया है कि इसके शीघ्र उपयोग हो जाने की आशा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८१ पर)

भावों की तालिका

खाद्यान्न	औसत थोक मूल्य प्रति क्विन्टल रुपयों में							
	पूर्वी भाग				पश्चिमी भाग			
	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
	१९६४	१९६४	१९६४	१९६४	१९६४	१९६४	१९६४	१९६४
१	२	३	४	५	६	७	८	९
गेहूं	८६.८६	८३.८८	८६.४१	८४.०६	९२.४८	८९.८८	८७.७६	९९.२५
चना	७९.२२	८४.९०	८७.०८	८६.६३	८८.३२	८६.२७	८१.६८	८९.१५
जौ	६४.१९	७१.००	८०.३८	६८.९९	७४.९६	७५.२१	६९.८४	७५.८६
चावल फुटकर ..	९३.४०	८०.६८	६२.५४	६२.६५	९७.८४	१००.१७	७१.६५	७७.४६
मक्का	६६.९८	४०.१३	४९.४८	४९.०१	६४.२४	४३.३८	४२.१९	४५.२६
ज्वार	७३.५०	६२.७३	६७.८५	५७.८७	६२.९३	५६.३७	५०.८०	६२.३२
बाजरा	७५.७३	७१.१८	६२.६२	५७.६९	६४.३०	६०.५३	४३.९८	४६.१६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९३ पर)

जनवरी, १९६४ से जनवरी, १९६५ तक उत्तर प्रदेश के जिलों में पब्लिक व प्लानिंग कोटे की सीमेंट की अलाटमेंट तालिका (संख्यायें मीट्रिक टनों में)।

क्रम-संख्या	जिला		१/६४ [जनवरी मार्च, ६४] पब्लिक २५ प्रतिशत प्लानिंग ७५ प्रतिशत	२/६४ [अप्रैल जून, ६४] पब्लिक ३१ प्रतिशत प्लानिंग ६९ प्रतिशत	३/६४ [जुलाई सितम्बर, ६४]		४/६४ [अक्टूबर, दिसम्बर ६४]		१/६५ [जनवरी, मार्च, ६५]	
					पब्लिक	प्लानिंग	पब्लिक	प्लानिंग	पब्लिक	प्लानिंग
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०
१	देहरादून	..	१,७७१	१,२४२	८०५	९२	६२१	२०७	७८२	९२
२	सहारनपुर	..	२,०९२	१,६७९	९६६	६४४	७३६	५०६	९२०	१,०१२
३	मुजफ्फरनगर	..	१,८९४	२,३४६	८७४	८९७	६६७	१,०१२	८२८	९८९
४	मेरठ	..	३,८८९	२,७८३	१,८६३	१,०३५	१,३८०	९८९	१,७२५	१,२६५
५	बुलन्दशहर	..	२,१६९	१,५४१	८९७	८९७	६९०	१,२६५	८५१	८०५
६	अलीगढ़	..	२,९२६	२,७६०	१,३५७	३,६५७	१,०३५	३,६८०	१,२८८	३,६११
७	मथुरा	..	१,७०२	१,१९६	७८२	१,०१२	५९८	९८९	७३६	१,०१२
८	आगरा	..	५,२७७	३,७७२	२,४१५	१,१९६	१,८८६	९६६	२,३४६	१,०१२
९	मैनपुरी	..	१,७२०	१,२१९	७८२	६४४	५९८	८०५	७३६	९८९
१०	एटा	..	१,७०२	१,१९६	७८२	७१३	५९८	८०५	७३६	७५९
११	बरेली	..	२,५०८	१,७४८	१,१७३	७१३	८७४	१,१५०	१,०८१	१,१२७
१२	बिजनौर	..	१,०६९	१,०५८	५५२	६२१	३९१	५९८	४८३	९८९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१३	बदायूं	..	१,३९१	१,१९६	६४४	८७४	४२७	१,०८१	५५२	९८९
१४	मुरादाबाद	..	२,२४३	१,५८७	१,०३५	९६६	८०५	१,०८१	१,०१२	९८८
१५	शाहजहांपुर	..	१,३३७	९८९	६२१	५५२	४८३	५९८	५९८	५९८
१६	पीलीभीत	..	१,०७१	७५९	५०६	५०६	३९१	२०७	४८३	३६८
१७	रामपुर	..	१,३९१	९८९	६४४	२३०	४३७	३४५	५५२	३६८
१८	फर्रुखाबाद	..	१,३९१	१,१५०	६४४	८९७	४३७	९६६	५५२	९८९
१९	इटावा	..	१,५५८	१,१५०	७१३	४८३	५५२	५७५	६९०	५०६
२०	कानपुर	..	५,३८२	३,७९५	२,५५३	७१३	२,०२४	६४४	२,५३०	२,००१
२१	फतेहपुर	..	९४३	८७४	४३७	४१४	३४५	५५२	४३७	५२९
२२	इलाहाबाद	..	४,७८४	३,३५८	२,३६९	३,३१२	१,८६३	३,०१३	२,३२३	२,९८१
२३	बांदा	..	८५२	६९०	३९१	७५९	२९९	५७५	३६८	९८९
२४	हमीरपुर	..	८५२	६४४	३९१	१,१५०	२९९	६९०	३६८	९६६
२५	झांसी	..	१,०४८	१,०१२	४८३	७८२	३६८	५७५	४६०	९८९
२६	जालौन	..	९०७	७१३	४१४	७१३	३२२	४३७	३९१	४३७
२७	वाराणसी	..	४,०३६	२,९६७	१,८९७	६९०	१,५१२	१,०१२	१,८८६	९६६
२८	मिर्जापुर	..	८४५	८५१	४४२	७३६	२९९	२७६	३६०	५२९
२९	जौनपुर	..	१,८१७	१,७९४	८२८	२,४८४	५९८	३,०३६	७३६	२,८५२
३०	गाजीपुर	..	१,७०२	१,८६३	७५९	२,६२२	५५२	२,८०६	६९०	२,५७६
३१	बलिया	..	२,११३	१,३८०	९४३	१,१७३	४६०	१,५६४	५७५	१,५१८
३२	गोरखपुर	..	२,५३९	२,३००	१,१५०	२,३९२	८५१	२,९४४	१,०५८	२,८७५
३३	बस्ती	..	१,७२९	२,०७८	७८२	२,३००	५७५	३,४२७	७१३	३,१७४
३४	आजमगढ़	..	२,००१	१,८१७	९२०	२,८५२	६६७	२,८०६	८२८	२,३००
३५	देवरिया	..	२,०२४	१,८४०	९२०	२,२०८	६६७	२,८५२	८२८	२,८०६
३६	नैनीताल	..	१,७५३	१,१९६	७८२	९२	५९८	११५	७३६	११५
३७	अल्मोड़ा	..	८९८	६९०	३९१	१८४	२९९	२०७	३६८	१८४
३८	गढ़वाल	..	७५९	५९८	३२२	१८४	२५३	१८४	३२२	९२
३९	टेहरी गढ़वाल	..	६३०	५०६	२७६	२९९	२०७	२५३	२५३	६९०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०
४०	लखनऊ	..	५,३३६	३,७७२	२,५३०	६२९	१,९७८	६२१	२,४६१	७५५
४१	उन्नाव	..	१,१०४	१,०१२	५२९	३९१	३९१	७५९	४८३	५९८
४२	रायबरेली	..	७३०	८०५	३२२	३६८	२५३	६२१	३२२	५९८
४३	सीतापुर	..	१,१४६	९६६	५७५	५०६	४३७	५०६	५५२	५७५
४४	हरदोई	..	१,१४६	९२६	५२९	४८३	३९१	५९८	४८३	४८३
४५	खीरी	..	१,००२	८०५	४६०	२३०	३४५	४६०	४३७	६९०
४६	फैजाबाद	..	१,४४८	१,४४९	६९०	१,४४९	५०६	२,४१५	६२१	१,०१२
४७	गोंडा	..	१,१४८	१,२८८	५५२	१,७४८	३९१	२,७१४	४८३	२,६९१
४८	बहराइच	..	७५२	१,१९६	३६८	१,६१०	२५३	२,१३९	३२२	२,११६
४९	सुल्तानपुर	..	७५२	१,१९६	३६८	१,६१०	२७६	२,००१	३९१	१,५८७
५०	प्रतापगढ़	..	७५२	५९८	३६८	२५३	२७६	४८३	३९१	९६६
५१	बाराबंकी	..	९६६	८७६	४८३	५७५	३४५	७३६	४३७	७३६
५२	चमोली	..	२९९	१८४	११५	..	११५	..	१६१	..
५३	उत्तरकाशी	..	१८४	९२	६९	..	६९	..	१३८	..
५४	पिथौरागढ़	..	१८४	९२	६९	..	६९	..	१३८	..
	योग	..	९३,६६१	७६,५७५	४३,५३२	५२,५३२	३२,७६९	६०,३०८	४१,००१	५९,९८०

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९९ पर)

तालिका

डोमा कल्पी फार्म ब्लाक परसपुर जिला गोंडा में तृतीय योजना काल में प्रति एकड़ मुख्य फसलों की उपज (कुन्तल में)

क्रम संख्या	फसल का नाम	१९६१–६२	१९६२–६३	१९६३–६४	१९६४–६५
१	२	३	४	५	६
१	मूंगफली टी-२५	३.०८	३.०३	४.२२	३.१०
२	मक्का टी-४१	१.७५	०.९१	३.२४	०.७६
३	धान नं०-१२	..	..	..	६.५८
४	गेहूं एन० पी० -७१०	४.०५	५.३०	२.६२	..
५	गेहूं हाई विड-६५	५.७०	..	२.९५	..
६	गेहूं सी-१३	५.३५	३.७२	..	..
७	जौ के-१२	५.२२	४.२०	१.५९	..
८	आलू कुफरी रेड	४०.७०	३६.५८	३१.०१	..
९	मटर टा०-१६३	१.०३	१.२४	..	..

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—३० एल० ए०—१९६५—८६२।

उत्तर प्रदेश विधान सभा